ISSN-0971-8397

योजना

मई 2018 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

पोषण

पोषण अभियान : कुपोषण से निपटने की कारगर शुरुआत
राकेश श्रीवास्तव

पोषण में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका
प्रेमा रामचंद्रन

विशेष आलेख

समग्र खाद्य सुरक्षा से सार्थक पोषण
एम एस स्वामीनाथन

फोकस

भारत में पोषण के उपाय
शमिका रवि

बदलता भारत

सतत विकास के लिए जरूरी ढांचे का उन्नयन
हिरणमय रॉय

वित्तीय समावेशन की संभावनाएं
चरण सिंह

प्रधानमंत्री ने रक्षा प्रदर्शनी 2018 का उद्घाटन किया

DEFEXPO18
INDIA
Ministry of Defence

डिफेंस एक्सपो 2018 के उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न पवेलियन का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री

चेन्नई में 11-14 अप्रैल 2018 के दौरान हुई देश की 10वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया। थल, जल और देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी इस प्रदर्शनी का आयोजन साल में दो बार होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा प्रदर्शनी 2018 के तहत दुनिया के सामने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को पेश किया गया। रक्षा प्रदर्शनी के शीर्षक में भी इसकी झलक देखने को मिली। इसका विषय कुछ इस तरह था- *भारतः रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब।* रक्षा प्रदर्शनी में 670 रक्षा फर्मों ने हिस्सा लिया। इनमें 154 अंतरराष्ट्रीय फर्में थीं, जबकि 500 घरेलू रक्षा फर्मों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की ताकतों को पेश किया गया और तेजी से बढ़ रहे निजी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में बताया गया। इसके अलावा, उपकरणों और उप-प्रणालियों के लिए एमएसएमई के दायरे में हुई बढ़ोतरी को भी बताया गया।

प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली इकाइयों में टाटा, एलएंडटी, कल्याणी, भारत फोर्ज, महिंद्रा, एमकेयू, डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल, बीडीएल बीईएमएल, एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल, एचएसएल, एमआईडीएचएएनआई, आयुध फैक्ट्री से जुड़ी इकाइयां आदि शामिल हैं। बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग (अमेरिकी), साब (स्वीडन), एयरबस, राफेल (फ्रांस), रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट्स, यूनाइटेड शिपबिल्डिं (रूस), बीएई सिस्टम्स (ब्रिटेन), सिबत (इजराइल), वार्टशिला (फिनलैंड), रोड, श्वार्ज (जर्मनी) आदि ने रक्षा प्रदर्शनी 2018 में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि *मेक इन इंडिया* के लिए रणनीति को लागू करने में देश अभी काफी मजबूत स्थिति में है और ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि शांति को लेकर हमारी प्रतिबद्धता उतनी ही मजबूत है, जितनी हमारे लोग और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर हमारी कटिबद्धता है। और इसके लिए हम अपने सैन्य बलों को तमाम उपकरणों से लैस करने के लिए तमाम कदम उठाने को तैयार हैं, जिसमें सामरिक रूप से अहम स्वतंत्र रक्षा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में *उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेष* योजना शुरू की है। यह देशभर में *रक्षा नवोन्मेष* हब स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में उनकी सरकार द्वारा उठाए सुधार संबंधी कदमों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा विनिर्माण लाइसेंस, रक्षा ऑफसेट, रक्षा निर्यात मंजूरी, रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रक्षा खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी क्षेत्रों में नियम और प्रक्रियाओं को उद्योग के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल, ज्यादा पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया गया है। ❑

योजना

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

• वर्ष : 62 • अंक 05 • कुल पृष्ठ : 56 • मई 2018 • वैशाख-ज्येष्ठ, शक संवत् 1940

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
संपादक: ऋतेश पाठक
संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी
आवरण: गजानन पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- पोषण अभियान : कुपोषण से निपटने की कारगर शुरुआत
  राकेश श्रीवास्तव 9

- विशेष आलेख

  समग्र खाद्य सुरक्षा से सार्थक पोषण
  एम एस स्वामीनाथन 13
- पोषण में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका
  प्रेमा रामचंद्रन 15

- फोकस

  भारत में पोषण के उपाय
  शमिका रवि 21
- कुपोषण से लड़ाई : कठिन डगर
  नंदलाल मिश्र 25

बदलता भारत

- वित्तीय समावेशन की संभावनाएं
  चरण सिंह 31
- क्या आप जानते हैं? 35
- सतत विकास के लिए जरूरी ढांचे का उन्नयन
  हिरण्यमय रॉय 37
- सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
  मनीषा वर्मा 43
- सामाजिक न्याय के लिए विशेष पहल
  स्वदेश सिंह
  देवीदयाल गौतम 47
- पुस्तक परिचय 54

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

योजना
केंद्रीय बजट 2018-19

आपकी राय

लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक

योजना का अप्रैल 2018 अंक पूर्वोत्तर भारत पर रोचक, अनूठे लेखों से भरा है। यह लेख भारत के पूर्वी भाग की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समझ विकसित करने में बहुत सहायक है। पहले लेख में दास जी ने समावेशी विकास और पूर्वी भारत से जुड़े अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आजादी के बाद से ही पूर्वी भारत के विकास के प्रयास किये जाते रहे हैं पर इनमें अहम गति तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट का नारा दिया। पिछले वर्ष भारत ने अपना सबसे लम्बा नदी पुल ढोला-सादिया पूर्वी भारत में बनाया। इस पुल के जरिये पूर्वी भारत में सम्पर्क तेजी से हो सकेगा। यह पुल सामरिक लिहाज से भी काफी अहम है, इसके जरिये काफी वजनी टैंकर भी गुजर सकते हैं।

पूर्वी भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 3 सी यानि कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी पर जोर देने की बात कही है। पूर्वोत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, बागवानी, फलों की खेती, बांस से जुड़े लघु उद्योग के अनगिनत अवसर हैं। भारत सरकार इस विषयों पर विविध योजनाओं पर काम कर रही है। बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इस वर्ष बजट में 1290 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ संशोधित बांस मिशन शुरू किया गया है। पूर्वी भारत में जल विद्युत उत्पादन की असीम सम्भावनाएं हैं।

अभी 10 अप्रैल 2018 को नीति आयोग ने पूर्वी भारत पर क्रेंद्रित अपनी पहली बैठक में 'हीरा' पर जोर दिया। 'हीरा' (HIRA) का आशय हाईवे, इनलैंडवाटरवे, रोडवे और एयरवे से है। पूर्वी भारत की सबसे बुनियादी समस्या यानि सम्पर्क का हल 'हीरा' में छुपा है। 'क्या आप जानते है' स्तम्भ के तहत अन्तर्राष्ट्रीय सोलर संगठन के बारे गहन जानकारी बहुत अच्छी लगी।

कृत्रिम मेधा इन दिनों बेहद चर्चा में है। अविक सरकार ने हिंदी में इस जटिल विषय के बारे में बेहद रोचक व सरल तरीके से बताया है। समग्रत: योजना का यह अंक सटीक और सुसम्पादित व पूर्वी भारत की जानकारी के लिए प्रामाणिक स्रोत बन पड़ा है।

– आशीष कुमार
उन्नाव, उत्तर प्रदेश

पूर्वोत्तर का विकास जरूरी

योजना का अप्रैल अंक पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में आर्थिक सामाजिक जानकरियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। इस अंक में पूर्वोत्तर के बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं, जो कहीं और दुर्लभ हैं।

पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में महिलाओं को दबाया जाता रहा है और परिवार और वित्तीय मामलों में उनका कोई द.खल नहीं होता लेकिन अब सहायता समूह जैसी पहल से इन राज्यों की महिलाओं का सशक्तीकरण होने लगा है। एक और बात है कि अब पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की कोशिशों के जरिए यह सुनिश्चित करना सराहनीय पहल है कि इस क्षेत्र के लोग कभी भी विकास या सांस्कृतिक लिहाज से देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले अलग नहीं माने जाएं। पूर्वोत्तर के राज्यों को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है लेकिन भौगोलिक अलगाव और कुछ अन्य अंतर के कारण इस इलाके को कई मोर्चों पर पिछड़ेपन और विकास की अनदेखी का सामना करना पड़ा है। फसलों का कम उत्पादन, बैंकों से कर्ज की दिक्कत, बड़े उद्योगों की कमी और अवसंरचना सुविधाओं

का अभाव आदि ने इस क्षेत्र के समग्र विकास को बाधित किया है। राज्य सरकारों को इन कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर के राज्य ज्यादा से ज्यादा खुशहाल हो सकें।

– डोलन राय
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

बांस सचमुच आर्थिक समृद्धि का जरिया

योजना के अप्रैल अंक में बांस मिशन पर नरेंद्र देव का आलेख उपयोगी है। पूर्वोत्तर में बांस का इस्तेमाल आर्थिक समृद्धि के लिए किया जा रहा है, उसका अनुकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में ही किया जाना चाहिए। इन राज्यों में बांस का सीमित इस्तेमाल किया जाता है। इन राज्यों में भी पूर्वोत्तर की तरह बांस का अचार, सिरका, फूलदान, अगरबत्ती की छड़ी, मोबाइल कवर सहित अनेक सजावटी और जरूरी वस्तुओं का निर्माण कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बांस केवल आय का साधन ही नहीं है बल्कि यह जमीन की सुरक्षा में भी काम आता है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और उसकी पानी संचय की क्षमता भी बेहतर होती है।

– सोनी खानम
कबीरपुर, भागलपुर, बिहार

पूर्वोत्तर में यातायात सुविधा का विकास हो

योजना का अप्रैल अंक मिला। इस बार यह अंक 'पूर्वोत्तर' पर केंद्रित था, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों को कभी-कभी भारत के मानचित्र में ही देखती थी लेकिन वहां की साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के साथ वहां के पर्यटन महत्व के स्थलों बारे में कोई जानकारी नहीं थी। योजना के इस अंक में पूर्वोत्तर के राज्यों के सभी पहलुओं के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है।

यह अच्छी बात है कि सरकारें पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस क्षेत्र के विकास में यातायात सुविधाओं का अभाव बहुत बड़ी बाधा रही है। सड़क और रेल से जुड़ाव की खराब हालत और हवाई संपर्क नहीं के बराबर होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है। इस कारण देश के अन्य हिस्सों तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही मुमकिन नहीं हो पाती है। यातायात की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए तो यह क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग नहीं रह पाएगा और इस इलाके में पर्यटन का विकास होगा और आर्थिक वृद्धि के द्वार भी खुलेंगे।

– श्वेता
सेक्टर-22, चंडीगढ़

पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकारी प्रयासों की जानकारी

योजना का पूर्वोत्तर पर केंद्रित विशेषांक (अप्रैल 2018) में पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न कोशिशों की जानकारी दी गई है। अब तो भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से एक विभाग बनाया है और उत्तर-पूर्वी परिषद् का गठन कर पूर्वोत्तर के विकास संबंधी मुद्दों पर ठोस प्रयास किये जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार वर्तमान में खास तौर से सड़कों, रेल और अंतरदेशीय जलमार्गों और हवाई संपर्क और संचार नेटवर्क के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने का प्रयास कर रही है।

वहीं यह भी जानना जरूरी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी तादाद में प्रवर्जन का सिलसिला चल रहा है। वहां से लोग बड़ी तादाद में देश के विभिन्न स्थानों पर आकर बस रहे हैं। प्रवासन के इस घटनाक्रम को समझना और देश के अन्य हिस्सों में बसने और घुलने-मिलने में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना जरूरी है।

आज देश के विभिन्न स्थानों पर पूर्वोत्तर के लोगों का आ बसने का सिलसिला तेज है। एयरहोस्टेस, फ्रंट डेस्क सहायक, सेल्समैन या बिक्री के काउंटर संभालने का काम, स्पा और होटल आदि में अनेक क्षेत्र हैं जहां पूर्वोत्तर के युवा अच्छी खासी तादाद में काम कर रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे सभी बड़े शहरों के बाद अब वे देश के विभिन्न छोटे शहरों, कस्बों में भी आ रहे हैं। दक्षिण भारत में निर्माण स्थलों, चाय बागानों और वृक्षारोपण आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी उनका आना और उन्हें काम करते हुए देखा जा सकता है। उनका यह पलायन राज्य में रोजगार के अभाव के कारण हो रहा है। जरूरत है पूर्वोत्तर में समग्र विकास को आगे बढ़ाने की ताकि उन्हें पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़े।

– अस्तित्व झा
चंपानगर, भागलपुर, बिहार

योजना
आगामी अंक

मई 2018

गतिमान भारत

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

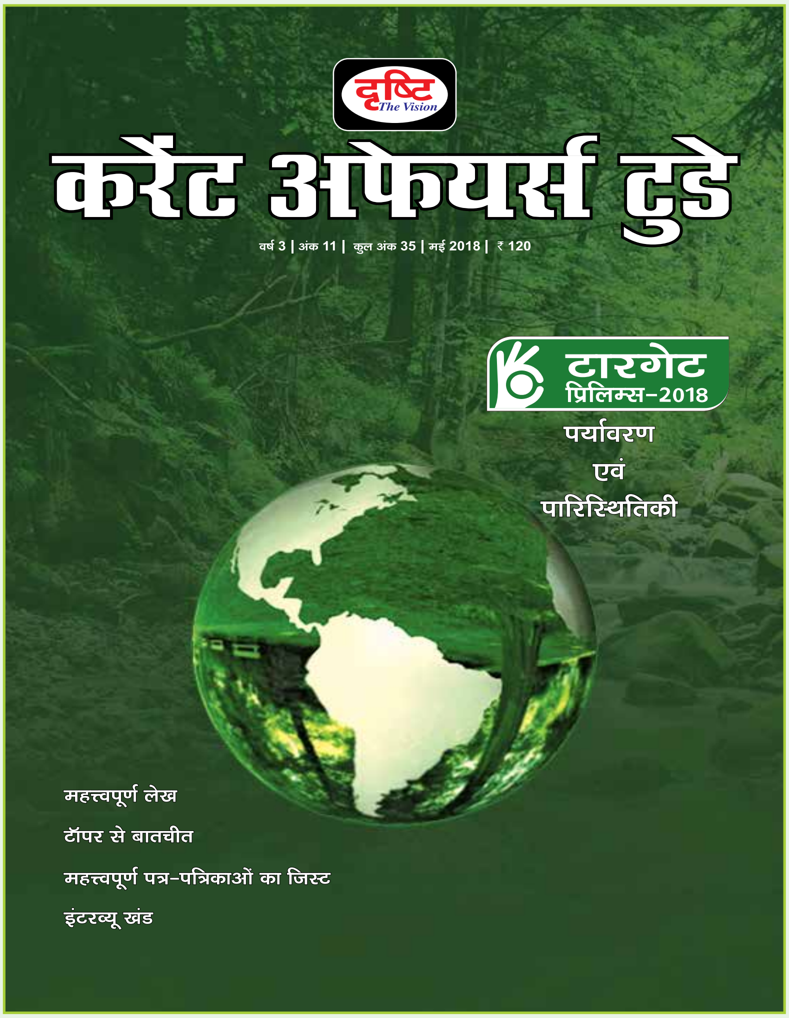

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 3 | अंक 11 | कुल अंक 35 | मई 2018 | ₹ 120

टारगेट प्रिलिम्स-2018

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

महत्त्वपूर्ण लेख

टॉपर से बातचीत

महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का जिस्ट

इंटरव्यू खंड

☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।

☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।

☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।

☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।

☑ प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित टारगेट प्रिलिम्स खंड।

☑ टॉपर्स इंटरव्यू।

☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/12/2017

संपादकीय

विकास की बुनियाद है पोषण

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत की आबादी 1.2 अरब थी। साल 2030 तक भारत की आबादी 1.6 अरब हो जाने का अनुमान है और इस तरह से यह दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। फिलहाल दुनिया की कुल आबादी में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 17 प्रतिशत से भी ज्यादा है। लिहाजा, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए चुनौती है।

किसी भी देश के विकास के लिए सेहतमंद श्रम पूर्व निर्धारित शर्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को हमेशा से उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 कहता है कि 'राज्य अपनी जनता के पोषण और रहन-सहन का स्तर बढ़ाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य में बेहतरी को अपना मुख्य कर्तव्य मानेगा।' भारतीय नीति निर्माताओं ने हमेशा से स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। एक निश्चित समयसीमा के भीतर देश की जनता के लिए सुरक्षा और पोषण की हालत में सुधार की खातिर पंचवर्षीय योजनाओं में नीतियां और बहुस्तरीय रणनीति पेश की गई और इसके लिए जरूरी फंड भी मुहैया कराए गए।

सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सभी जगहों पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को काफी अहमियत दे रही है। नतीजतन, अकाल और जबरदस्त खाद्य सुरक्षा का खतरा अब नहीं रह गया है। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों में अब भी किसी खास अवधि के दौरान खाद्य असुरक्षा की समस्या खड़ी हो जाती है। देश में तमाम वर्ग के लोगों की पोषण संबंधी हालत में काफी सुधार हुआ है यानी कुपोषण और पोषण संबंधी छोटी-मोटी कमियों के मामले में अच्छीखासी गिरावट देखने को मिली है।

बहरहाल, मां और बच्चों के कुपोषण की चुनौती अब भी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में बेहद चिंता का विषय है। यह मामला मौजूदा सरकार की नीतियों की प्राथमिकता के मामले में अहम है। भारत में 4 करोड़ नाटे कद के लोग हैं, जबकि 1.7 करोड़ बेहद कमजोर बच्चे (5 साल के से कम के) हैं।

पर्याप्त मात्रा में भोजन या जरूरी पोषण नहीं मिलने से कुपोषण की समस्या पैदा होती है। कुपोषण का मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर होना है। भोजन की उपलब्धता में क्षेत्रीय स्तर पर असमानता रहने और खान-पान की अलग-अलग आदतों के कारण अलग-अलग तरह की कुपोषण की समस्याएं पैदा हुई हैं। यह शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम निवेश और बड़े पैमाने पर मानव संसाधनों के निवेश के साथ क्षेत्र आधारित कार्य योजना की जरूरत है।

इस मामले में राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का ऐलान काफी अहम कदम है। इस सिलसिले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यापक वित्तीय संसाधनों के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसी की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन से भी लैस किया जाएगा। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और जिलों में लागू किया जाएगा। पोषण मिशन के तहत तीन साल के लिए कुल बजट 9,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रखा गया है। इस मिशन की मुख्य रणनीति सख्त निगरानी, जवाबदेही और इंसेंटिव वाले सिस्टम के तहत राज्यों, जिलों और स्थानीय स्तर पर लचीलापन मुहैया कराते हुए विकेंद्रीकृत प्रणाली तैयार करना है, ताकि इस दिशा में समाधान के स्थानीय ढांचे को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कार्यक्रम का मकसद तय लक्ष्यों के जरिये लंबाई नहीं बढ़ने, कुपोषण, रक्तहीनता और कम वजन वाले बच्चों के जन्म के मामलों को कम करने के लिए हरमुमकिन कोशिश करना है। इस अभियान से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

सेहतमंद खाने का तरीका आचार-व्यवहार में बदलाव जैसा है। खान-पान का सही तरीका अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की खातिर सरकारी हस्तक्षेप और बड़े पैमाने पर समुदायों की भागीदारी बेहद अहम है। एनएनएम का इरादा चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और जिलों को इसके दायरे में लाने का है। इसके तहत 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 और 2019-20 में बाकी जिलों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। मुख्य जोर समन्वय बनाने, निगरानी का बेहतर सिस्टम सुनिश्चित करने और तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने पर है। अभियान के संचालन के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ एनएनएम संभवतः सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

सेहतमंद लोग देश के विकास में तभी योगदान कर सकते हैं, जब उन्हें अवसंरचना संबंधी और अन्य सुविधाएं पर्याप्त आधार पर मिलें। लिहाजा, सेहतमंद भारत सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते वक्त सरकार ने देश के नागरिको की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा पक्का करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इसके साथ मजबूत अवसंरचना के लिए उठाए गए कदम और स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान निश्चित तौर पर भारत को दुनिया के नक्शे पर आगे की पंक्ति में ला खड़ा करेंगे। ❑

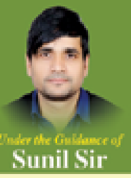

अभिव्यक्ति
IAS क्लासेज

Also known as Abhivyakti Civil Services
Under the Guidance of Sunil Sir
संपादक | लेखक | डायरेक्टर *(Abhivyakti)*

Under the Guidance of
Sunil Sir

मुख्य परीक्षा 2018 स्पेशल बैच

क्लास प्रोग्राम

नीतिशास्त्र – निबंध (कॉम्बो बैच)

नीतिशास्त्र - 45 लेक्चर + 12 टेस्ट
निबंध - 45 लेक्चर + 12 टेस्ट

कॉम्बो बैच प्रारम्भ
10 जून 7 AM

सामान्य अध्ययन
Answer Writing Batch

बैच प्रारम्भ
10 जून 6 PM

मुख्य परीक्षा 2018 टारगेटेड करेंट अफेयर्स

Note:- जिसमे करेंट का मुख्य परीक्षा में
सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर लेखन में कैसे प्रयोग करें
यह सिखाया जायेगा

शनिवार – रविवार
(वीकेंड कक्षायें)

हिन्दी साहित्य
क्रैश कोर्स (नियमित उत्तर लेखन कक्षायें)
Note:-
सभी खण्डों की प्रश्न–उत्तर कक्षायें

बैच प्रारम्भ
10 जून 12PM

संपूर्ण सामान्य-अध्ययन
फाउंडेशन कोर्स 2019

बैच प्रारम्भ
25 जून 4PM

अभिव्यक्ति
IAS क्लासेज

M-3, Mezzanine Floor, A-37-38-39, Ansal Building, Near Safal Diary, Dr. Mukherjee Nagar
Delhi 011-45870971, 9871385211, 9582750926

YH-750/7/2017

पोषण अभियान : कुपोषण से निपटने की कारगर शुरुआत

राकेश श्रीवास्तव

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

पोषण अभियान का यह पहलू पोषण संबंधी जागरूक समाज बनाने की खातिर लोगों को सक्रिय करने के लिए कई स्तर पर काम करने की तरफ इशारा करता है। जरूरतमंदों और उनके परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सामुदायिक कार्यक्रम, मास मीडिया, मल्टीमीडिया और अन्य स्तर पर लगातार प्रचार अभियान, तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मिलकर काम करना, कुपोषण के लिए काम कर रहे स्वयंसहायता संगठन और कार्यकर्ता के जरिये इस दिशा में असरदार ढंग से काम किया जा सकता है। इसका मकसद पोषण के लिए जन आंदोलन खड़ा करना है

यह तथ्य आमतौर पर लोगों को पता है कि कुपोषण की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि यह कई तरह की गड़बड़ियों और असंतुलन का नतीजा होता है। ये गड़बड़ियां कुपोषण के लगातर बने रहने में मददगार होती हैं। इसके कारण हम पीढ़ी दर पीढ़ी जरूरी मानव संसाधन जुटाने में अक्षम हो जाते हैं। संसाधनों संभावनाओं के भरपूर इस्तेमाल और भारत को वैश्विक महाशक्ति की भूमिका निभाने के लिए हमें कुपोषण को जड़ से खत्म करने पर फोकस करना होगा, ताकि आगामी पीढ़ियों को सेहतमंद बनाने का काम सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बेहतर बौद्धिक संभावनाओं के लिए भी गुंजाइश बनाई जा सके, जिससे काम संबंधी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

यह एक चीज हमें *मेक इन इंडिया*, *डिजिटल इंडिया*, *स्किल इंडिया* जैसे विभिन्न अभियानों से जुड़े खालीपन को भरने में मददगार होगी और एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ने की हमारी संभावनाओं का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा।

प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत की। यह बेहतर पोषण के लिए प्रधानमंत्री की बेहद अहम योजना है। इस अभियान का मकसद तकनीक केंद्रित रवैये और समेकन के जरिये कुपोषण, रक्तहीनता और बच्चों में कम वजन की समस्या को दूर करने के लिए काम करना है। साथ ही, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर फोकस करने की बात है यानी कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम का मकसद सेवाएं सुनिश्चित करना और तकनीक, व्यवहार संबंधी बदलाव के जरिये इस संबंध में तय लक्ष्य हासिल करना है। इसके तहत अगले कुछ साल में अलग-अलग मापदंडों पर कुछ खास लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इस अभियान के लिए चौतरफा प्रयास के तहत सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में लाया जाएगा। 2017-18 में 315 जिलों में इस पर काम करने की बात है, जबकि 2018-19 में अन्य 235 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद बाकी जिलों में 2019-20 के दौरान इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। देश में पहले कभी उच्चस्तर पर कुपोषण की समस्या से निपटने को इतनी अहमियत नहीं दी गई थी।

कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए फिलहाल केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग मंत्रालय/विभाग अपने-अपने स्तर पर काम करते हैं। इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सबसे उच्च स्तर की एजेंसी हैं। लिहाजा, कुपोषण की चुनौती से असरदार ढंग से निपटने की खातिर तमाम संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय बनाने की जरूरत है। पोषण अभियान इस तरह की सभी स्कीमों की खातिर समन्वय संबंधी जरूरी प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। इससे कुपोषण की दिशा में

लेखक महिला और बाल विकास विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। उनके पास पोषण, महिला कल्याण और बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने का काफी अनुभव है। ईमेल: secy.wcd@nic.in

आरेख 1 : पोषण अभियान के पहलू

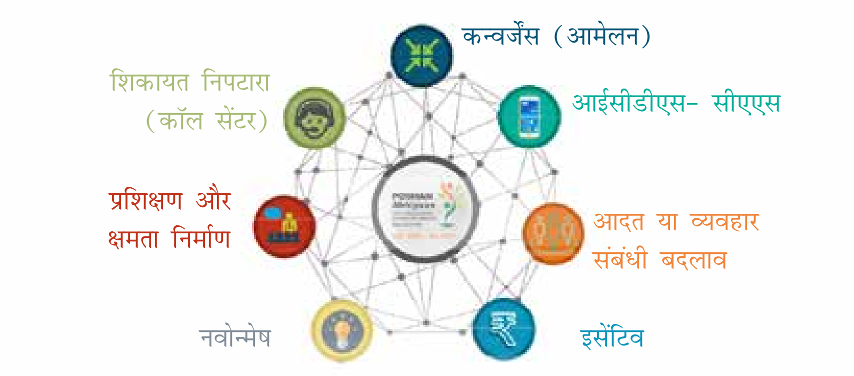
कन्वर्जेंस (आमेलन)
शिकायत निपटारा (कॉल सेंटर)
आईसीडीएस- सीएएस
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
आदत या व्यवहार संबंधी बदलाव
नवोन्मेष
इसेंटिव

समन्वित तरीके से काम करने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के लिए कुपोषण राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारी समिति का गठन किया है और इसके जरिये केंद्र सरकार इस दिशा में संमिलन का लक्ष्य हासिल करेगी। दोनों कमेटियों में पोषण अभियान से जुड़े सभी संबंधित पक्षों के सदस्य शामिल होंगे। इसी तरह, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर संमिलन कार्य योजना (कन्वर्जेंस एक्शन प्लान) इस अभियान के अमल और निगरानी के लिए तंत्र बनाने में मददगार साबित होगा। वीएचएसएन दिवस सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए गांव स्तर पर समन्वय का मंच मुहैया कराता है।

यह अभियान प्रमुख कार्यकर्ताओं मसलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुपरवाइजर को स्मार्टफोन मुहैया कराकर उन्हें साधनों से लैस करेगा। इस मकसद के लिए खासतौर पर आईसीडीएस-कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नामक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन तैयार किया है, जो डेटा हासिल करने, सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाने के बारे में जागरूक करता है। इसके बाद इस डेटा को निगरानी के लिए रियल टाइम आधार पर डैशबोर्ड के जरिये ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षण करने वाले स्टाफ को मुहैया कराया जाता है। मोबाइल खरीदकर उसे बांटना इस परियोजना का हिस्सा है। इस एप्लिकेशन का मकसद आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी में सिस्टम को और मजबूत करना और असरदार तरीके से निगरानी और सही समय पर दखल के जरिये पोषण संबंधी बेहतर नतीजे पेश करना है। यह सॉफ्टवेयर डेटा को जमीनी स्तर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (मोबाइल और टैबलेट) में लेने में मदद करता है। इसके जरिये आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करना और नियमित आधार पर पोषण अभियान के नतीजों के बारे में जानना मुमकिन होता है। यह सूचना वेब आधारित डैशबोर्ड पर रियल टाइम आधार पर राज्यों और एमडब्ल्यूसीडी के लिए उपलब्ध है। इसका मकसद आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना, मिशन के लिए प्रभावकारी ढंग से योजना तैयार करना व तथ्य आधारित फैसले लेना है। कुपोषण की समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है और यह कई चीजों पर निर्भर है। मसलन नवजात और छोटे बच्चों के स्तनपान का प्रचलन, बचाव, संस्थागत डिलीवरी, बचपन की शुरुआती अवस्था में विकास, खान-पान की मजबूती, कृमि से मुक्ति, पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता व उचित साफ-सफाई, खान-पान की विविधता और अन्य संबंधी चीजें। लिहाजा, कद नहीं बढ़ने, कम वजन (खासतौर पर बच्चों में) आदि की समस्या से निपटने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। इसके तहत कई स्तरों पर काम करना होगा और जमीनी स्तर पर तालमेल और समन्वय की जरूरत होगी। बहरहाल, इस समस्या से सामाजिक-व्यवहार संबंधी बदलाव से ही निपटा जा सकता है।

पोषण अभियान का यह पहलू पोषण संबंधी जागरूक समाज बनाने की खातिर लोगों को सक्रिय करने के लिए कई स्तर

आरेख 2 : आमेलन (कन्वर्जेन्स) प्रवाह चक्र

महिला और बाल विकास मंत्रालय	• आंगनवाड़ी सेवाएं • प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना • किशोरियों के लिए योजना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• जननी सुरक्षा योजना • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
पेयजल और सफाई मंत्रालय	• स्वच्छ भारत मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) • आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	• सार्वजनिक वितरण प्रणाली	पंचायत राज मंत्रालय	• संमिलन की दिशा में ग्राम पंचायतों को इकट्ठा और सक्रिय करना
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, एचआरडी मंत्रालय	शहरी विकास मंत्रालय

आरेख 3 : आईसीडीएस: कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

1 **14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की लोकेशन मैपिंग**

- लक्षित समूहों की पहचान
- अवसंरचना
- जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी केंद्रों का कामकाज

2 **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन और सुपरवाइजरों को टैबलेट**

- नीरसता को कम करना
- अभिक्षमता संवर्द्धन
- कागजी रजिस्टरों को खत्म करना

3 **छह स्तरीय रियल टाइम रिपोर्टिंग**

- अलग-अलग स्तरों पर यानी प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों का रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम

4 **समन्वय और तालमेल**

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के बीच तालमेल बनाना

5 **संबंधित लोगों की नाम और आधार के जरिये निगरानी**

- नाम और आधार के जरिये संबंधित लोगों की निगरानी
- बेहद कुपोषित लोगों की पहचान

पर काम करने की तरफ इशारा करता है। जरूरतमंदों और उनके परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सामुदायिक कार्यक्रम, मास मीडिया, मल्टीमीडिया और अन्य स्तर पर लगातार प्रचार अभियान, तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मिलकर काम करना, कुपोषण के लिए काम कर रहे स्वयंसहायता संगठन और कार्यकर्ता के जरिये इस दिशा में असरदार ढंग से काम किया जा सकता है। इसका मकसद पोषण के लिए जन आंदोलन खड़ा करना है।

इस अभियान को पूरी तरह से लागू करने की खातिर महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस अभियान का इरादा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तमाम संबंधित मंत्रालयों द्वारा मिलकर काम करना है। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी इतने सारे कार्यक्रम एक साथ नहीं चलाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय हर 6 महीने पर इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा और राज्य स्तर पर भी ऐसी ही समीक्षा का अनुमान है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तिमाही आधार पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 10 तारीख को हर जिले में डीएम की तरफ से अंजाम दिया जाएगा। जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) में बताया गया है, अंतरराज्यीय और अंतरजिला स्तर पर कुपोषण के मामले में भिन्नता काफी ज्यादा है। लिहाजा, हर राज्य/जिले को अपनी संमिलन कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है, जिसमें उनकी दिक्कतों और बाधाओं का जिक्र होगा। साथ ही, यह भी बताया जाएगा कि छोटी, मध्य या लंबी अवधि में इससे कैसे निपटा जा सकता है।

देश भर में कुपोषण की समस्या में चमत्कारी बदलाव की उम्मीद करने से इस दिशा में तमाम जरूरी प्रक्रियाओं पर काम करना बेहद जरूरी है। इस अभियान के तहत सेवाओं की बेहतर डिलीवरी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के लिए एक साथ लक्ष्य हासिल करने पर टीम आधारित इनाम और इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस सिलसिले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/जिलों/प्रखंडों/आंगनवाड़ी केंद्रों की मदद भी की जाएगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

बहरहाल, पोषण अभियान का मकसद तमाम संबंधित पक्षों को एकजुट कर सब को जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपना है, ताकि भारत को अपने 130 करोड़ के मानव संसाधन की संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद मिल सके। ❑

पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक
अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन

भारतम् IAS
Powered by
IGNITED MINDS

A Platform for
CIVIL SERVICES EXAM GUIDANCE
An Initiative By
CIVIL SERVICES QUALIFIED CANDIDATES,
PROF. FROM VARIOUS UNIVERSITIES
Young Talented and Dynamic Teachers

General Studies
New Batch Starts

DELHI CENTER 16 June 09:30 am
ALLAHABAD CENTER 10 June 11:30 am

KANPUR CENTER - COMMING SOON

PHILOSOPHY
Best Optional Subject

DELHI CENTER 14 June 03:00 pm
ALLAHABAD CENTER 08 June 06:30 pm

निःशुल्क कार्यशाला के साथ
नया बैच प्रारम्भ

ETHICS (GS -IV)

DELHI CENTER 14 June 06:30 pm
ALLAHABAD CENTER 09 June 10:30 am

IM IGNITING HUMAN MINDS IGNITED MINDS

IGNITED MINDS
A Premier Institute for IAS/PCS

DELHI CENTER (HQ)
A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
✆ 011-27654704, 9643760414, ✆ 8744082373

KANPUR CENTER
COMING SOON
9793022444

ALLAHABAD CENTER
H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra
✆ 9389376518, ✆ 9793022444, 0532-2642251

Visit us: www.ignitedmindscs.com

YH-650/12/2017

समग्र खाद्य सुरक्षा से सार्थक पोषण

एम एस स्वामीनाथन

सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय बजट के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन का अनुमोदन किया है। यह बढ़ते कुपोषण, जिसकी वज़ह से बच्चों में काफी समस्याएँ आ रही हैं, की दिशा में सरकार की ओर से की गई पहल है। इस पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए इसकी रूपरेखा घटकों के साथ सहजीवी संवाद के साथ मिशन मोड पर बनाई जानी चाहिए और इसमें एक मिशन निदेशक होना चाहिए जिसे पर्याप्त अधिकार के साथ-साथ ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पूर्व में मिशन सफल नहीं रहे क्योंकि मिशन की अवधारणा को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया

आजादी मिलने के समय से ही खाद्य सुरक्षा देश का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। ऐसा इसलिए कि बंगाल के सूखे ने भूखमरी दूर किए जाने की ज़रूरत की दिशा में जागरूकता फैलाई। *हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013* पोषण सुरक्षा की आवश्यकता का ख़ास तौर पर उल्लेख करता है। (सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा मिलना सुनिश्चित करते हुए मानवीय जीवन चक्र नज़रिए में खाद्य व पोषण सुरक्षा हेतु अधिनियम)।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि, पोषण व स्वास्थ्य के *टूल्स* को एकीकृत रूप से सशक्त कर कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। खाद्य व गैर खाद्य दोनों घटकों पर समान ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस दिशा में आवश्यक कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

खाद्य से पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर

1986 में एफएओ के अपने भाषण व *ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन* पुस्तक में मैंने खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा पर जोर देने की जरुरत पर बल दिया है। मैंने पोषण सुरक्षा को *संतुलित आहार, साफ़ पेय जल, स्वच्छता व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक पहुँच* के रूप में परिभाषित किया है। इसके आगे, मैंने पोषण सुरक्षा की दिशा में औषधि आधारित नज़रिए की जगह खाद्य आधारित नज़रिए की जरूरत पर भी बल दिया है। आज 30 साल के बाद, पोषण सुरक्षा की अवधारणा उभर कर सामने आ रही है। एमएसएसआरएफ इस बात को सिद्ध करने की योजना बना रहा है कि कैसे कृषि, स्वास्थ्य व पोषण एक साथ सहजीवी दायरे में आ सकते हैं। पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में खाद्य पर्याप्तता, प्रोटीन कमी व आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए आदि की कमी पर ध्यान दिया जाना काफी आवश्यक है। मेरे द्वारा तैयार पोषण हेतु कृषि प्रणाली (एफएसएन) सहजीवी लिंकेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। इन सबके अलावा, अदृश्य भूखमरी का सामना करने के लिए बायोफोर्टीफाईड पौधों के जेनेटिक बगान का वैश्विक ग्रिड एक महत्वपूर्ण टूल होगा। एमएसएसआरएफ उच्च कुपोषण वाले जिलों मसलन, महाराष्ट्र में थाणे, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, ओडिशा में कोरापट व तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में खाद्य आधारित नज़रिया की ताकत को सिद्ध करने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से बच्चों में मस्तिष्क विकास के संबंध में कुपोषण के असर के प्रति जागरूकता प्रसारित करना काफी सही होगा। कार्रवाई के तौर पर बायोफोर्टीफाईड पौधों के जेनेटिक बागान के नैशनल ग्रिड की शुरुआत करना काफी उपयोगी होगा। यह प्रमुख पोषण समस्याओं विशेष तौर पर गरीबों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के कृषि उपाय प्रदान करने में मददगार होगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लोगों की पोषण ज़रूरतों हेतु कार्यक्रम की शुरुआत का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

लेखक एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्हें 'आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता' कहा जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र विज्ञान सलाहकार समिति के चेयरमैन, एफएओ परिषद के चेयरमैन, राष्ट्रीय किसान आयोग के चेयरमैन और अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, फिलीपींस के महानिदेशक समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदों पर रह चुके हैं। वह कई पुरस्कार और सम्मान भी जीत चुके हैं। मसलन सामुदायिक नेतृत्व के लिए रोमन मैगसेसे अवॉर्ड, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार आदि। उन्हें पद्मश्री (1967), पद्मविभूषण (1972) और पद्म भूषण (1989) जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। प्रोफेसर स्वामीनाथन रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन और अमेरिकी नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज समेत देश-दुनिया के कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में फेलो रह चुके हैं। ईमेल: swami@mssrf.res.in

राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम को सफल बनाना

सरकार ने 9000 करोड़ रुपये के तीन वर्षीय बजट के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन का अनुमोदन किया है। यह बढ़ते कुपोषण, जिसकी वज़ह से बच्चों में काफी समस्याएँ आ रही हैं, की दिशा में सरकार की ओर से की गई पहल है। इस पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए इसकी रूपरेखा घटकों के साथ सहजीवी संवाद के साथ मिशन मोड पर बनाई जानी चाहिए और इसमें एक मिशन निदेशक होना चाहिए जिसे पर्याप्त अधिकार के साथ-साथ ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पूर्व में मिशन सफल नहीं रहे क्योंकि मिशन की अवधारणा को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए सफल होने के लिए पोषण मिशन में निम्नलिखित संवादात्मक घटक होने चाहिए:

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग व अभिवर्धित फ़ूड बास्केट जिसमें चावल व गेहूं के साथ साथ बाजरा भी शामिल है, के उपयोग के ज़रिए अल्पपोषण को दूर करना।
- संवर्द्धित दाल उत्पादन व दूध व मुर्गी उत्पादों के वर्धित उपभोग के ज़रिए पर्याप्त प्रोटीन के उपयोग को सुनिश्चित करना।
- बायोफोर्टीफाइड पौधों के जेनेटिक गार्डन तैयार करने का पोषण कार्यक्रम हेतु एक कृषि प्रणाली को प्रमोट करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हुई अदृश्य भूखमरी को दूर करना।
- बेहतर फसल-उपरान्त प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के ज़रिए खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

इसके अलावा, मिशन में साफ़ पेय जल, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व पोषण साक्षरता के प्रावधान होने चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समुदाय स्तर पर भुखमरी से लड़ने वालों को कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से पोषण समस्याओं के कृषि निवारण के तरीकों से पूर्णत: समर्थ बनाना चाहिए। पोषण मिशन में उपयुक्त प्रबोधन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस दिशा में किए गए हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। अत: 'मिशन' शब्द महज़ एक प्रोजेक्ट का शीर्षक नहीं होना चाहिए बल्कि, संतुलित पोषण के विभिन्न घटकों के बीच तालमेल व सहजीवन के ज़रिए कार्यान्वयन की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के माध्यम से बच्चों में मस्तिष्क विकास के संबंध में कुपोषण के असर के प्रति जागरूकता प्रसारित करना काफी सही होगा। कार्रवाई के तौर पर बायोफोर्टीफाईड पौधों के जेनेटिक बागान के नैशनल ग्रिड की शुरुआत करना काफी उपयोगी होगा। यह प्रमुख पोषण समस्याओं विशेष तौर पर गरीबों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के कृषि उपाय प्रदान करने में मददगार होगा।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने देश भर के 640 जिलों को कवर करने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित पांच क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग के ज़रिए कैलोरी की कमी को दूर करना।
2. संवर्द्धित उत्पादों व दाल, दूध व मुर्गी उत्पादों के उपभोग के ज़रिए प्रोटीन की कमी को दूर करना।
3. बायोफोर्टीफाईड पौधों के जेनेटिक गार्डन तैयार करने के पोषण कार्यक्रम हेतु एक कृषि प्रणाली को प्रमोट करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हुई अदृश्य भूखमरी को दूर करना।
4. साफ़ पेय जल, सफाई व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
5. कुपोषण उन्मूलन की दिशा में भूखमरी से जूझने वालों का एक समर्थ समूह तैयार करना।

यदि उक्त पांचों क्षेत्रों पर सही तरीके से ध्यान दिया गया तो हम राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। ☐

सन्दर्भ

- स्वामिनाथन, एम.एस. व एस.के. सिन्हा (1985), "ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ़ फ़ूड प्रोडक्शन", टिकुली इंटरनैशनल पब्लिशिंग कंपनी, डब्लिन।

पोषण में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका

प्रेमा रामचंद्रन

भारतीय बच्चे जन्म से ही कद में छोटे और कम वजन वाले होते हैं। चूंकि जन्म के समय बच्चे का वजन उसकी बढ़ोतरी में अहम कारक होता है, लिहाजा कम वजन वाले बच्चों की नवजात अवस्था, बचपन और किशोरावस्था में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत सुस्त होती है। नतीजतन, तकरीबन आधे बच्चे को नाटा और कम वजन की श्रेणी में रख दिया जाता है। पोषण संबंधी स्थिति के आकलन के लिए मुख्य तौर पर तीन मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मानकों में लंबाई, वजन और बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) शामिल हैं। तीनों मानकों में बीएमआई मौजूदा अवस्था में ऊर्जा की पर्याप्तता का संकेतक है और इसे लंबे समय से वयस्क लोगों में पोषण की हालत के सूचक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है

आजादी के बाद देश के पास पोषण संबंधी दो अहम समस्याएं थीं। पहला अकाल का खतरा और इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न के कम उत्पादन के कारण भुखमरी की स्थिति जबकि दूसरी समस्या उचित खाद्यान्न वितरण प्रणाली की कमी थी। एक और चुनौती गरीबी, खाद्य असुरक्षा और पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण लंबे समय से चली आ रही कुपोषण को लेकर थी। अकाल और भुखमरी ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि इसका असर तीक्ष्ण और स्पष्ट तौर पर नजर आने वाला था। दरअसल, इससे काफी कष्ट हुआ और कई मौतें भी हुईं।

हालांकि, पर्याप्त मात्रा में भोजन का नहीं मिलना व्यापक स्तर पर फैली हुई खामोश समस्या थी। इसके कारण कुपोषण, खराब स्वास्थ्य के अलावा भुखमरी से भी ज्यादा मौत हो रही थी। कुपोषण और खराब स्वास्थ्य के कारण सभी आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर और रोगियों की बड़ी संख्या नजर आती थी और औसत जीवन प्रत्याशा महज 35 साल थी। मानव के विकास के लिए स्वास्थ्य और पोषण बेहद जरूरी है और मानव संसाधन देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंजन की तरह है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि 'पोषण के स्तर को बढ़ाने, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य अपने मुख्य कर्तव्य मानेगा।' देश में आबादी के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी हालत को सुधारने के लिए कई क्षेत्रों और स्तरों पर आधारित रणनीति को अपनाया गया है।

देश में पेश की गई पंचवर्षीय योजनाओं में नीति, कार्यक्रम और रणनीति तैयार किए गए, जरूरी फंड मुहैया कराए गए और एक निश्चित समयसीमा के भीतर संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही गई। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के जरिये इस दिशा में प्रगति की निगरानी की गई।

गत चार दशकों में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जोरदार संक्रमण के कारण कुपोषण, पोषण संबंधी छोटी-मोटी कमियों, मृत्यु दर और बीमारियों के मामलों में सुस्त गिरावट हुई है। बेशक यह गिरावट निरंतर है।

पोषण और स्वास्थ्य के तार एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई पहल के कारण स्वास्थ्य और पोषण दोनों मामलों में स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि पोषण को लेकर की गई पहल में स्वास्थ्य संबंधी भी बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। पिछले दो दशकों में गैर-संक्रमण वाली बीमारियों और जरूरत से ज्यादा पोषण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लोग जरूरत से ज्यादा पोषण के कारण खराब स्वास्थ्य नतीजों को लेकर पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा वे मोटोपे को नजरअंदाज कर देते हैं। गैर-संक्रमण वाली बीमारियों के शुरुआती दौर में लक्षणों का पता नहीं चलता है। बीमारी की जटिलता बढ़ने के बाद ही इसके लक्षण नजर आते हैं और तब मरीज इलाज का रुख करते हैं। मोटापे के कारण स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। साथ ही, मोटोपे की समस्या को रोकने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ असंक्रामक वाली बीमारियों के प्रबंधन के तहत गैर-संक्रमण वाली बीमारियों

लेखिका ने भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल में 25 साल तक काम किया है। उन्होंने योजना आयोग की सलाहकार (स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण) के तौर पर काम किया। फिलहाल वह न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की डायरेक्टर हैं। ईमेल: premaramachandran@gmail.com, nutritionfoundationofindia@gmail.com

आरेख 1 : आईसीडीएस (एनएफएचएस4 के तहत कवरेज)

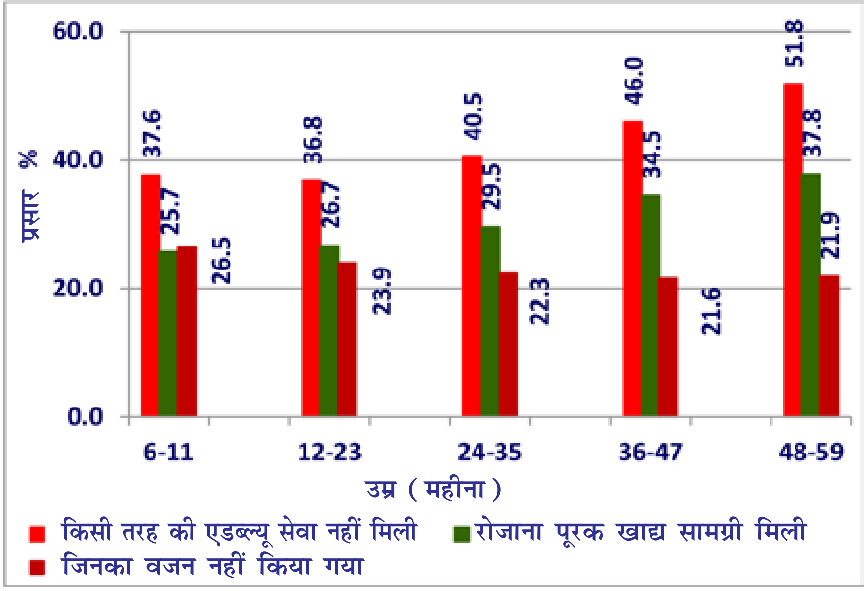

से पीड़ित लोगों में पोषण का सामान्य स्तर बहाल करने के लिए भी पहल करना होगा। यह आलेख पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने में स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका की संक्षेप में समीक्षा करेगा।

प्री स्कूल कुपोषण में गिरावट

स्कूल जाने से पहले के दौर के बच्चों की पहचान कुपोषण और खराब स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे असुरक्षित समूह के तौर पर की गई थी। इस आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण के कारण उनमें संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। संक्रमण से कुपोषण और छोटे-मोटे पोषक तत्वों की कमी की समस्या और गंभीर हो जाती है। अगर कुपोषित बच्चों में जोरदार या बार-बार संक्रमण होने और इसका इलाज नहीं होने पर मौत भी हो सकती है। लिहाजा, स्कूल जाने से पहले के दौर के बच्चों में कुपोषण की समस्या को घटाने पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई।

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) का मकसद गरीब और हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को पूरक खान-पान संबंधी चीजें मुहैया कराना था, ताकि जरूरी और वास्तविक मिलने वाले खाने के बीच के अंतर को पाटा जा सके। आईसीडीएस कार्यक्रम का एक और पहलू कुपोषण की समस्या की जल्द पहचान कर कुपोषित बच्चों के पर्याप्त प्रबंधन के लिए कदम उठाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 70 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन नई सदी के पहले दशक में इसे व्यापक स्तर पर फैलाया गया। पिछले कुछ दशकों में आईसीडीएस के दोनों पहलुओं के तहत इसकी व्यापकता काफी बढ़ी है।

हालांकि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस)-4 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां तक कि 2015 में भी दोनों पहलुओं के तहत कवरेज कम रही (आरेख-1)। राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एनएनएमबी) की तरफ से किए गए सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के मुताबिक, आईसीडीएस की खराब कवरेज के बावजूद स्कूल जाने से पहले के दौरे के बच्चों में कुपोषण का फैलाव कम हुआ है (आरेख-2)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे 2,3 और 4 में 1990 और 2015 (आरेख-3) के बीच इसी तरह का चलन देखने को मिला। इस अवधि के दौरान नवजात और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट हुई (आरेख-4)। सर्वे के मुताबिक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत की मुख्य वजह संक्रमण थी और 1970 से 2015 के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगातर गिरावट की अहम वजह टीकाकरण संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर सुधार और पांच साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण के इलाज की सुविधा हैं। संक्रमित बीमारियों की रोकथाम और इसके इलाज के कारण संक्रमण के कारण होने वाले ऊर्जा संबंधी नुकसान में कमी आई और पोषण की हालत को खराब होने से रोका जा सका। लिहाजा, पिछले 4 दशकों में छोटे बच्चों (स्कूल जाने से पहले के दौर के) में कुपोषण की दर में लगातार गिरावट का लक्ष्य हासिल करने में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में बेहतरी का अहम रोल रहा है।

आरेख 2 : स्कूल जाने वाले दौर से पहले के बच्चों की स्थिति (एनएनएमबी सर्वे)

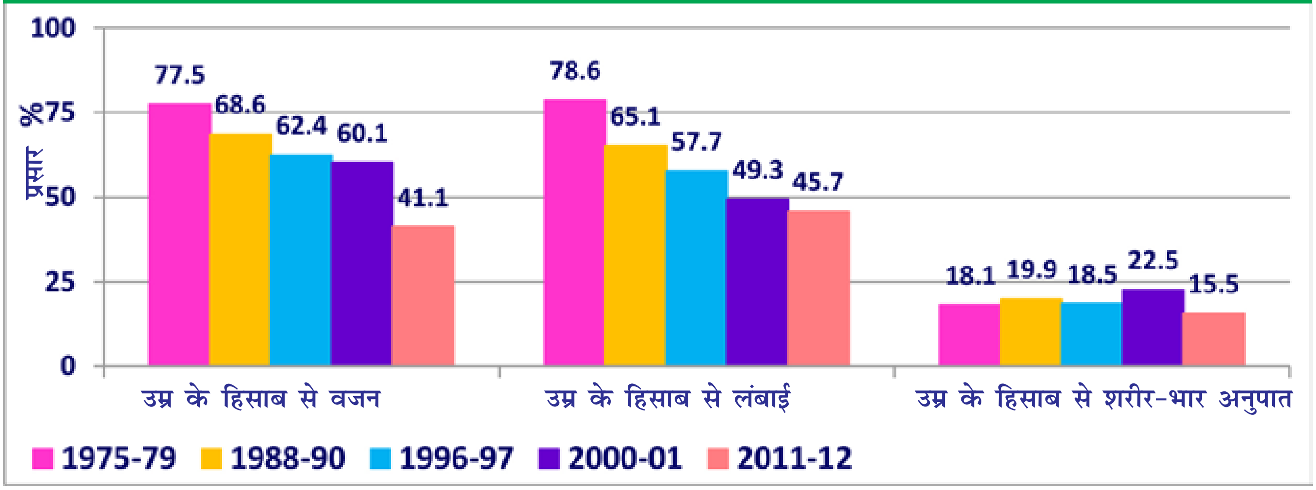

आरेख 3 : स्कूल जाने वाले दौर से पहले के बच्चों में कुपोषण (एनएफएचएस 2, 3, 4 एवं आरएसओसी)

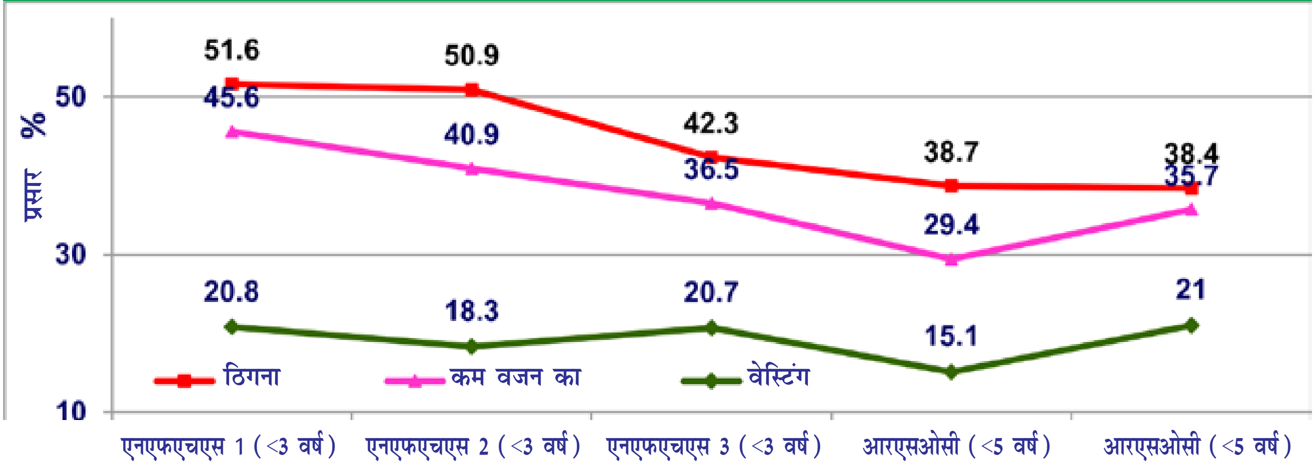

स्वस्थ युवावस्था के लिए बचपन में पोषण

भारतीय बच्चे जन्म से ही कद में छोटे और कम वजन वाले होते हैं। चूंकि जन्म के समय बच्चे का वजन उसकी बढ़ोतरी में अहम कारक होता है, लिहाजा कम वजन वाले बच्चों की नवजात अवस्था, बचपन और किशोरावस्था में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत सुस्त होती है। नतीजतन, तकरीबन आधे बच्चे को नाटा और कम वजन की श्रेणी में रख दिया जाता है। पोषण संबंधी स्थिति के आकलन के लिए मुख्य तौर पर तीन मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मानकों में लंबाई, वजन और बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) शामिल हैं। तीनों मानकों में बीएमआई मौजूदा अवस्था में ऊर्जा की पर्याप्तता का संकेतक है और इसे लंबे समय से वयस्क लोगों में पोषण की हालत के सूचक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।

आरेख 4 : आईएमआर और 5 वर्ष से कम मृत्यु दर का रुझान

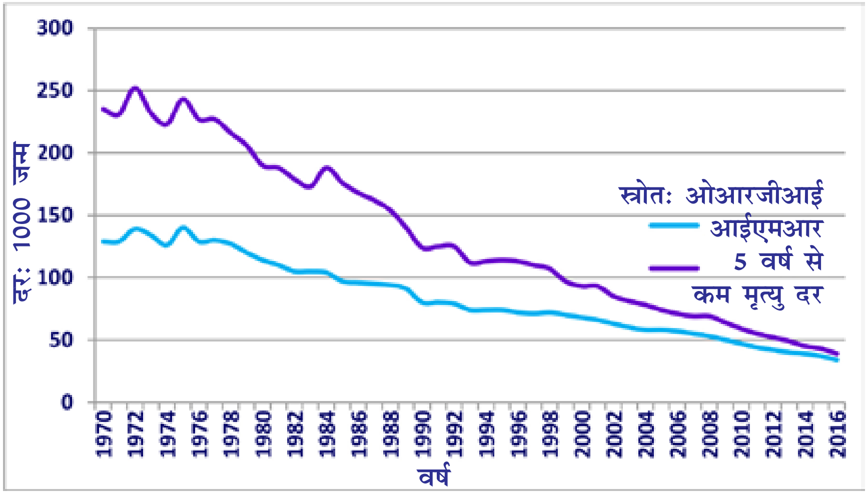

स्रोतः ओआरजीआई

आरेख 5 : बच्चों में पोषण का आकलन (बीएमआई आधारित) (एनएफएचएस4)

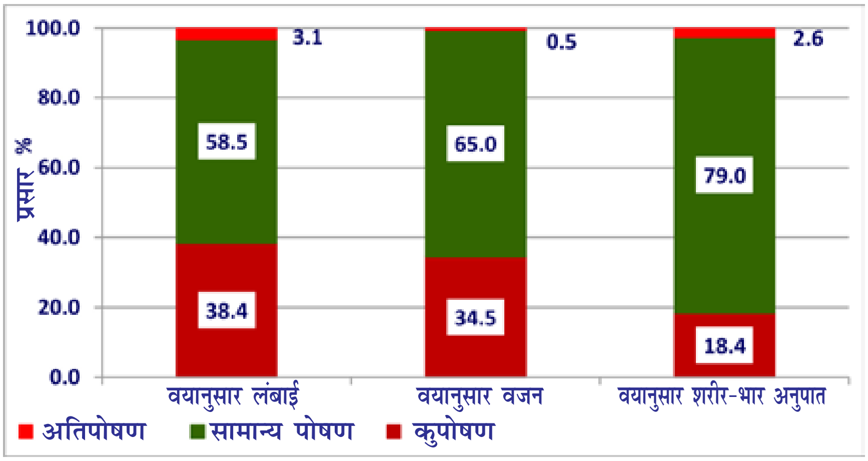

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के मुताबिक, उम्र के हिसाब से बच्चों का बीएमआई आंकड़ा सिर्फ 2006 (0-5 साल) और 2007 (5-18 साल) में उपलब्ध हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर उम्र के हिसाब से कुपोषण के मानकों के लिए बीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है, तो 5 साल से कम के सिर्फ 18.4 फीसदी बच्चे पोषण की कमी से जूझ रहे थे, जबकि 2.6 फीसदी जरूरत से ज्यादा पोषण के शिकार थे (आरेख-5)।

भारत से जुड़े शोध अध्ययनों के आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे जरूरत से ज्यादा वजन हासिल कर लेते हैं, उनमें बड़े होने पर मोटापा संबंधी बीमारी, रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है।

फिलहाल भारतीय बच्चों में पोषण की स्थिति के आकलन के लिए उम्र के हिसाब से बीएमआई के इस्तेमाल और पोषण संबंधी उचित शिक्षा को लेकर काफी कम जागरूकता है। आरेख 6, 7 और 8 में तस्वीरों

के जरिये उम्र के हिसाब से बीएमआई के आधार पर अलग-अलग वजन और लंबाई के साथ पोषण की स्थिति के बारे में बताया गया है।

विटामिन की कमी का सामना

1960 के दशक में गरीबी के दौरान देश की आबादी के गरीब तबके के बीच बड़े पैमाने पर खाद्य असुरक्षा और भूख ने पांव पसार रखा था। भोजन के रूप में तमाम पोषण तत्वों की खपत काफी कम थी और छोटे बच्चों में भारी कुपोषण काफी आम था। हरी और पीली सब्जियों की कम खपत के कारण बड़े पैमाने पर विटामिटन ए की कमी थी। भीड़-भाड़ वाले घरों में रहने वाले बच्चों में सांस संबंधी संक्रमण और खसरे की दर काफी ज्यादा थी। शहरी इलाकों में संक्रमण से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत काफी खराब थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की सुविधाएं नदारद थीं। पहले से कुपोषण के शिकार बच्चों का जोरदार संक्रमण का इलाज नहीं होने (खासतौर पर चेचक) से अंधापन की समस्या पैदा हो जाती थी और संक्रमण के बाद किसी तरह बचने वाले बच्चे पोषण की कमी के कारण अंधेपन का शिकार हो जाते थे।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान की तरफ से किए गए अध्ययनों के मुताबिक, एक से तीन साल तक की उम्र के बच्चों में 6 महीने में एक बार विटामिन ए की जबरदस्त डोज (20,000 यूनिट्स) दी गई, जिससे ज़िराफ्थैल्मी (आंख संबंधी बीमारी) के मामलों में 80 फीसदी तक कमी आई। इन अध्ययनों के नतीजों के आधार पर 1970 में 1-5 साल के बच्चों को हर 6 महीने में एक बार सप्लीमेंट (एमडीवीएएस) देने की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस अभियान के तहत कवरेज काफी कम (10 फीसदी) थी।

1980 के दशक के दौरान अंधापन संबंधी बीमारी में भारी कमी आई है। इसके अगले दशक में किसी प्रमुख अस्पताल ने विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन की जानकारी नहीं दी। बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, एमडीवीएएस के तहत कवरेज अब भी काफी कम थी, लेकिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक इलाज संबंधी अवसंरचना तैयार की गई और टीकाकरण, संक्रमण के इलाज और कुपोषण के स्तर पर अच्छीखासा सुधार देखने को मिला। केराटोमालाशिया (विटामिन ए की कमी के कारण आंख संबंधी बीमारी) का खात्मा पोषण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार इलाज संबंधी पहल का एक उदाहरण है।

हरेक जगह आयोडीनयुक्त नमक की पहुंच और स्वास्थ्य पर इसका असर

भारत में आयोडीन की कमी संबंधी समस्या की पहचान 1920 के दशक से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के तौर पर की गई है। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के उलट आयोडीन की कमी संबंधी गड़बड़ी पानी, मिट्टी और खाने-पीने की चीजों में आयोडीन की कमी के कारण होती है और यह एक निश्चित भौगोलिक इलाके में रहने वाले सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों

आरेख 6 : पुरुषों में अतिपोषण रुझान (एनएनएमबी सर्वे)

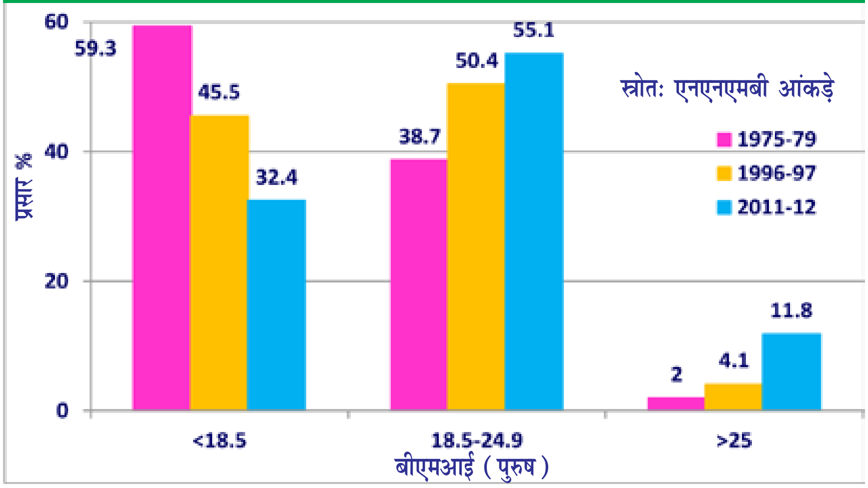

आरेख 7 : महिलाओं में अतिपोषण रुझान (एनएनएमबी सर्वे)

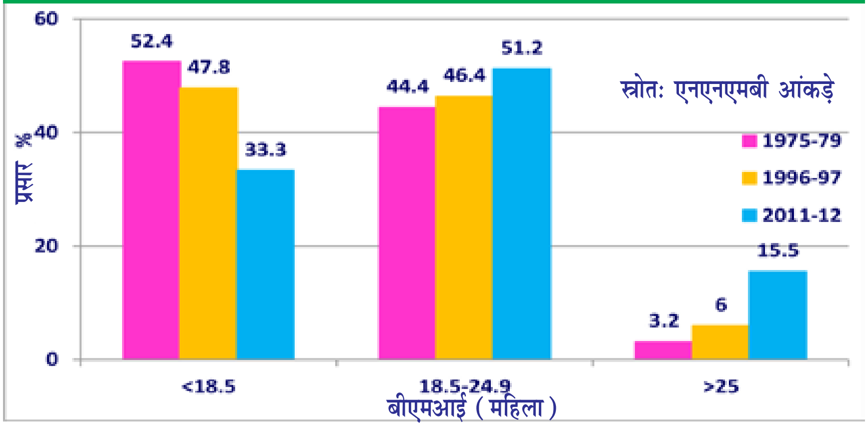

आरेख 8 : महिलाओं में पोषण की हालत पर उम्र का असर (एनएफएचएस4)

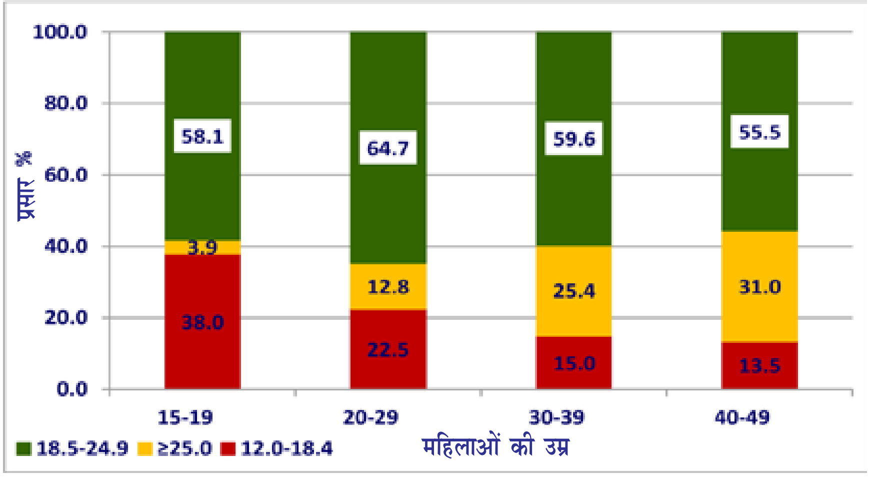

को प्रभावित करती है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी संबंधी गड़बड़ी गर्भपात की ऊंची दर और भ्रूण संबंधी बर्बादी से जुड़ी थी। आयोडीन की कमी वाली मांओं के गर्भ से पैदा हुए बच्चों को अंधेपन और मानसिक तौर पर सुस्ती का शिकार होना पड़ता था। वयस्कों में भी आयोडीन की कमी के कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं। आयोडीन युक्त नमक का सार्वभौमिक इस्तेमाल आसान है। यह आयोडीन की कमी संबंधी गड़बड़ियों को रोकने का सस्ता तरीका है।

भारत में शुरू में आयोडीन की कमी संबंधी बीमारी को हिमालय के नीचे के क्षेत्रों की समस्या समझा जा रहा था। *राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम* 1962 में शुरू किया गया था और इसका मकसद बड़े पैमाने पर घेघा से परेशान लोगों वाले इलाके में आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करना था। अगले दो दशकों में किए गए शोध अध्ययन बताते हैं कि जिन इलाकों में आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल किया गया, वहां बच्चों में अंधेपन संबंधी दिक्कत और मानसिक विकलांगता में गिरावट आई। साथ ही, 6-12 साल के बच्चों में भी घेघा रोग के फैलाव में कमी देखने को मिली।

1980 के दशक में किए गए सर्वे के मुताबिक, आयोडीन की कमी संबंधी बीमारी देश के सभी राज्यों के कुछ-कुछ हिस्सों में थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए *नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिजऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (एनआईडीडीसीपी)* नामक अभियान 1992 में शुरू किया गया, जिसका मकसद लोगों की खपत वाले सभी नमक को आयोडीन वाला बनाना था, ताकि हर घर में आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

हालांकि, अगले 15 साल में हर घर में आयोडीन वाले नमक की पर्याप्त आपूर्ति का मामला 50 फीसदी से भी कम रहा। इसकी एक वजह आयोडीन संबंधी बीमारियों के बारे में जागरूकता की कमी थी। लोगों को आयोडीन वाले नमक के स्वास्थ्य संबंधी फायदे के बारे में नहीं पता था और वे सस्ता बिना आयोडीन वाला नमक ही खरीदते थे।

2007 में लोगों द्वारा खपत किए जाने सभी नमक में आयोडीन जरूरी किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही, तमाम संचार माध्यमों में आयोडीन वाले नमक के इस्तेमाल के स्वास्थ्य संबंधी फायदों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसे उपायों से काफी फायदा हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में 90 फीसदी से भी ज्यादा परिवारों ने आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल किया। *सबके लिए आयोडीन युक्त नमक* अभियान एक ऐसे पोषण कार्यक्रम का उदाहरण है, जो न सिर्फ पोषण संबंधी लक्ष्य हासिल कर रहा है, बल्कि बच्चों में मानसिक रूप से मंद बुद्धि की समस्या और वयस्कों में आयोडीन की कमी संबंधी बीमारी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को भी रोकता है।

दोहरा पोषण और वयस्क स्वास्थ्य

पिछले तीन दशकों में ट्रांसपोर्ट, पेशा, घरेलू काम संबंधी गतिविधियों के मशीनीकरण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन, शारीरिक गतिविधियों में भारी कमी आई है और ज्यादातर भारतीय बैठे-बैठे सुस्त पड़ गए हैं। खाना खाने की मात्रा में भी कुछ कमी आई है, लेकिन यह कमी शारीरिक गतिविधियों में आई गिरावट के अनुपात के मुकाबले काफी कम है। नतीजतन, जरूरत से ज्यादा पोषण में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एनएनएमबी की तरफ से किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़ों में बताया गया था कि पिछले चार दशकों में महिला और पुरुष दोनों में जरूरत से ज्यादा पोषण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

1990 के दशक के मध्य और 2012 के बीच जरूरत से ज्यादा पोषण के मामले में बढ़ोतरी ज्यादा तेज थी (आरेख 9 और आरेख 10)। महिलाओं में जरूरत से ज्यादा पोषण के मामले पुरुषों में जरूरत से ज्यादा पोषण के मुकाबले ज्यादा थे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों की मानें तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ जरूरत से ज्यादा पोषण की दरों में बढ़ोतरी हुई (आरेख 11)। महिलाएं इस तरह के मोटापे को नजरअंदाज करती हैं और किसी तरह का स्वास्थ्य सलाह नहीं

आरेख 9 : महिलाओं में बीएमआई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रुझान (एनएफएचएस 2-3-4)

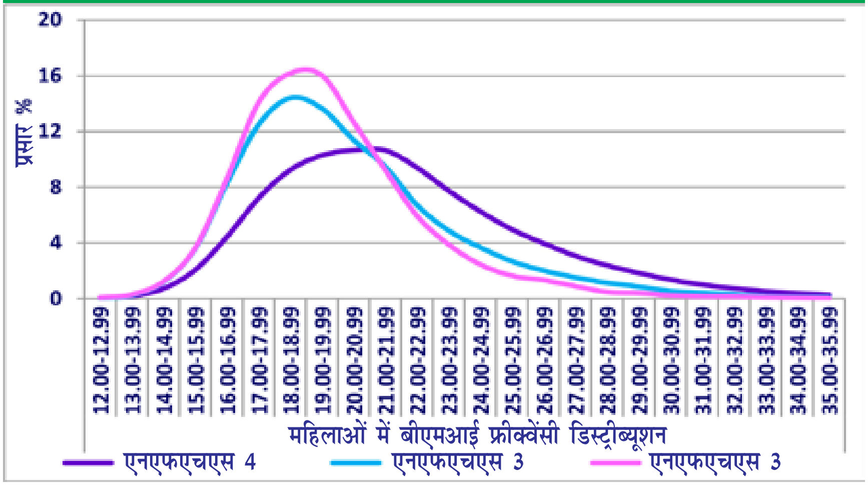

लेती हैं, लिहाजा उन्हें बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। मोटापे से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए पुरुषों और महिलाओं की जरूरत से ज्यादा पोषण संबंधी जांच करना और उन्हें सही स्वास्थ्य संबंधी सलाह मुहैया कराना जरूरी है।

जब भी कुपोषण और जरूरत से ज्यादा पोषण के चलन को लेकर आंकड़े मुहैया कराए जाते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि बीएमआई में बदलाव महिलाओं के एक छोटे से हिस्से में हुआ था। हालांकि, बीते वक्त के साथ ज्यादातर महिलाओं में बीएमआई में बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन, कुपोषण के लिए तय आंकड़े से कम बीएमआई वाली महिलाओं का अनुपात घट गया और जरूरत से ज्यादा पोषण के लिए तय सीमा से ज्यादा बीएमआई वाली महिलाओं की अनुपात बढ़ गया (आरेख 12)। अधिकतम पोषण के लिए 18.5 बीएमआई से कम वालों को वजन बढ़ाना चाहिए, ताकि वे सामान्य तौर पर पोषित बन सकें। हालांकि, सामान्य तौर पर पोषण से जुड़े लोगों को वजन नहीं बढ़ाना चाहिए और न ही जरूरत से ज्यादा पोषण भी शिकार नहीं बनना चाहिए। अधिकतम पोषण और स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि जरूरी है।

सार और निष्कर्ष

देश की स्वास्थ्य प्रणाली को कुपोषण, संक्रमण और बच्चों की मां संबंधी समस्याओं के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने और इसके असरदार इलाज पर फोकस के साथ तैयार किया गया था। इनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं लक्षण संबंधी और विकट हैं। लोगों के पास इलाज की उपलब्धता है और कुपोषण और संक्रमण का आसानी से इलाज किया जा सकता है। पिछले कुछ साल में इलाज की सुविधाओं में बेहतरी आई है और इससे कुपोषण, खराब सेहत और मृत्यु दर में लगातार कमी आई है।

पिछले दो दशकों में जरूरत से ज्यादा पोषण और इससे जुड़े गैर-संक्रामक रोग मुख्य स्वास्थ्य समस्या के तौर पर उभर रहे हैं। ज्यादातर भारतीय कुपोषण के बारे में चिंता नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी रोज-ब-रोज की जिंदगी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वे यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि मोटापा गैर-संक्रामक रोगों से पहले का चरण है। शुरुआती दौर में ज्यादातर गैर-संक्रामक बीमारियों के लक्षणों का पता नहीं चलता है, लिहाजा इस तरह की बीमारी वाले ज्यादातर लोग तभी इलाज के लिए पहल करते हैं, जब रोग की गंभीरता बढ़ने के साथ इसके लक्षण सामने आने लगते हैं। गैर-संक्रामक रोगों से निपटने के लिए जीवनशैली में बदलाव और पूरी जिंदगी इलाज और दवा की जरूरत होती है। आने वाले सालों में भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रबंधन और रोकथाम, दोहरे पोषण का जल्द से जल्द पता लगाने और बीमारी के बोझ से निपटने जैसी चीजों के लिए खुद की दिशा-दशा फिर से तय करनी होगी।

दोहरे पोषण जैसे मामले में पोषण संबंधी स्थिति का आकलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और लोगों से जुड़े इलाज के निजी सिस्टम, दोनों के अहम तत्व हैं। आदर्श स्थिति में सभी लोगों की समय-समय पर जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और समाज के कमजोर तबकों मसलन बच्चों, किशोर, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बुजुर्गों के बीच विशेष रूप से और नियमित तौर पर इसे अंजाम दिया जाना चाहिए। नियमित अंतराल पर इस तरह की जांच पड़ताल, सही सलाह-मशवरा और पोषण संबंधी कमियों के लिए असरदार प्रबंधन आदि के लिए न तो पोषण या स्वास्थ्य सेवाएं तैयार हैं और न ही देश के लोग। लिहाजा, जब कोई शख्स स्वास्थ्य या पोषण संबंधी देखभाल चाहता हो, तो हमें पोषण की स्थिति की जांच/आकलन के साथ शुरुआत करनी चाहिए।

एक बार सही आकलन/जांच हो जाने के बाद उनकी पोषण संबंधी स्थिति के आधार पर उचित सलाह देने चाहिए:

- पोषणयुक्त शख्स आमतौर पर अपनी मौजूदा जीवनशैली को बचाते हैं और सामान्य पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मदद मुहैया कराते हैं;
- जो लोग कुपोषित या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जोखिम वाली स्थिति में हैं- उन्हें उचित खान-पान और शारीरिक गतिविधियों को लेकर उचित सलाह दी जाए, जरूरी पड़ने पर अतिरिक्त पोषक तत्वों और सुधार की निगरानी की सुविधा भी मुहैया कराई जाए;
- जो बीमारी की चपेट में आ चुके हैं- स्वास्थ्य और पोषण को फिर से सामान्य बनाने के लिए पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान करें, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी इलाज मुहैया कराएं और उनके रेस्पॉन्स की निगरानी करें।

पोषण संबंधी मामलों के जानकार और डॉक्टरों को सही पोषण और जीवनशैली संबंधी उचित सलाह मुहैया कराकर दोहरे पोषण और बीमारियों के बोझ से लड़ने में अहम रोल अदा करना पड़ता है। स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने से देश सफलतापूर्वक पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा और आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में तेज सुधार हासिल कर सकेगा। ❑

भारत में पोषण के उपाय

शमिका रवि

#NationalNutritionMission
THE NATIONAL NUTRITION MISSION
involves coordinated effort by
Ministry of Women and Child Development
in convergence with the efforts of
Ministry of Health & Family Welfare and the
Ministry of Drinking Water and Sanitation
and other key stakeholders.

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) को तीन वर्षों के बजट (9046.17 करोड़ रुपए) के साथ 2017-18 में शुरू किया गया है। एनएनएम में कुपोषण को कम करने से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत एक बड़ी कन्वर्जेंस प्रणाली आती है। कार्यक्रम में आईटीसी आधारित रियल टाइम निरीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी जिन रजिस्टरों का प्रयोग करती हैं, उन्हें हटाया जाएगा और कर्मचारियों को आईटी टूल्स का प्रयोग करने के लिए मदद दी जाएगी

भारत ने पिछले दो दशकों में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकास किया है, लेकिन माताओं और शिशुओं में कुपोषण अब भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान सरकार के लिए भी यह एक नीतिगत प्राथमिकता है। भारत में पांच वर्ष तक के 4 करोड़ से भी अधिक बच्चे अविकसित (स्टंडेड) हैं, जबकि एक करोड़ 70 लाख से भी अधिक कमजोर (वेस्टेड) हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारे देश में पोषण के विभिन्न एंथ्रोपोमैट्रिक उपायों में सुधार हुआ है, इसके बावजूद बच्चों में कुपोषण का स्तर विश्व में सबसे अधिक है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं, इस कारण प्रत्येक राज्य में कुपोषण की स्थिति भी भिन्न-भिन्न है। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार हो तो हमें मानव संसाधन में उल्लेखनीय निवेश करना होगा, खास तौर से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बहुत जरूरी है।

इस स्थिति के मद्देनजर *राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)* की घोषणा को मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस मिशन ने केंद्रीय नोडल एजेंसी का प्रस्ताव रखा है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु व्यापक वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाएंगे और इन योजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से लैस किया जाएगा।

नीति निर्माताओं को दो मुख्य तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए : (i) जहां प्रत्यक्ष पहल के जरिए स्टंटिंग को केवल 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष पहल (जैसे साफ पानी और स्वच्छता तक पहुंच) को शेष 80 प्रतिशत समस्या का हल करना चाहिए, और (ii) दो वर्ष तक के अविकसित बच्चों में से 50 प्रतिशत के कुपोषण का कारण यह होता है कि गर्भावस्था में उनकी माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। गर्भधारण के शुरुआती 1,000 दिनों में पोषण का अभाव बच्चे के संज्ञान को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण चरण में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है, यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो वर्ष के होने तक माता और बच्चे को पूरा पोषण मिलना चाहिए।

पोषण संबंधी मुख्य आंकड़े

1990 के प्रारंभ में गिरावट के बावजूद भारत में कुपोषण संबंधी आंकड़े विश्व में सबसे उच्च हैं। हाल ही में एनएफएचएस 4 के आंकड़ों से अधिकतर संकेतकों में सुधार के उत्साहजनक परिणाम हासिल हुए हैं।

यह कहना जरूरी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कुपोषण से अधिक ग्रस्त होती हैं।

स्वास्थ्य संबंधी मुख्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में पिछले दो वर्षों के दौरान बजटीय कटौतियां की गई हैं। आईसीडीएस के लिए केंद्रीय आबंटनों में 10 प्रतिशत की गिरावट हुई है, यह 15,502 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2015-16) से घटकर 14,000 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2016-17) हो गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत है (आधे से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में वयस्कों के लिए वजन के कांटे चालू स्थिति

लेखिका ब्रूकिंग्स इंडिया में रिसर्च डायरेक्टर और ब्रूकिंग्स संस्थान में गवर्नेंस स्टडीज में सीनियर फेलो हैं। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। उनका काम वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और शहरीकरण से जुड़ा है। वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी में हैं। ईमेल: sravi@brookingsindia.org

तालिका 1: बच्चों में पोषण की स्थिति

संकेतक	प्रतिशत*
स्टंटेड बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	38.7
वेस्टेड बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	15.1
अंडरवेट बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	29.4
एनीमिया से ग्रस्त बच्चे (6-59 महीने)[1]	69.5

स्रोत: रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन (आरसॉक), 2014; [1]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3), 2006

नोट: *संबंधित जनसंख्या का प्रतिशत

तालिका 2: महिलाएं और किशोरियों में पोषण की स्थिति

संकेतक	प्रतिशत*
एनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष)[1]	58.7
कुपोषण से ग्रस्त महिलाएं (प्रजनन आयु)[2]	33.3
महिलाएं जिनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो गया[3]	30.3
महिलाएं जो गर्भधारण के समय अंडरवेट होती हैं[4]	42.2

स्रोत: [1]राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3), 2006; [2]यूनिसेफ, 2015; [3]रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन (आरसॉक), 2014; [4]कोफी, 2014

नोट: *संबंधित जनसंख्या का प्रतिशत

में नहीं हैं) और आंगनवाड़ी कर्मचारियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) का निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे लक्षित समूहों को अनुपूरक पोषण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। एक अनुपूरक सरकारी पहल स्कूलों में भोजन का प्रावधान करना है जो मध्यान्ह भोजन की योजना से फलीभूत किया जाता है। फील्ड अध्ययन बताते हैं कि स्कूल में भोजन और बच्चों में संज्ञान संबंधी सुधार के बीच गहरा संबंध है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि स्कूलों में भोजन मिलने से बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ती है।

विभिन्न राज्यों में पोषण की भिन्न-भिन्न स्थितियां और स्टंटिंग को कम करने के संबंध में प्रगति।

वर्तमान नीतिगत ढांचा

सरकार की मुख्य पोषण योजनाओं में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आईसीडीएस कार्यक्रम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एनआरएचएम कार्यक्रम शामिल हैं। ये दोनों केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा शिशुओं के लक्षित समूहों को पोषण प्रदान करने के लिए समुदाय केंद्रित संगठनों- आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों और एनआरएचएम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की भूमिका को प्राथमिकता देती है।

इन कार्यक्रमों को पीडीएस से जोड़ा गया है जिसका प्रयोग देश के गरीब तबके को सबसिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त छह से अधिक राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, गुजरात, कर्नाटक और हाल ही में झारखंड शामिल हैं, ने राज्य पोषण मिशन शुरू किए हैं। बच्चों के जीवन के शुरुआती 1,000 दिनों से सीधे तौर से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों का विवरण तालिका 5 में दिया गया है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) को तीन वर्षों के बजट (9046.17 करोड़ रुपए) के साथ 2017-18 में शुरू किया गया है। एनएनएम में कुपोषण को कम करने से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत एक बड़ी कन्वर्जेंस प्रणाली आती है। कार्यक्रम में आईटीसी आधारित रियल टाइम निरीक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहयोग दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारी जिन रजिस्टरों का प्रयोग करती हैं, उन्हें हटाया जाएगा और कर्मचारियों को आईटी टूल्स का प्रयोग करने के लिए मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मिशन में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का कद नापना, सामाजिक ऑडिट, पोषण संसाधन केंद्र की स्थापन आदि शामिल है। मिशन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि जन आंदोलनों के जरिए लोगों को पोषण कार्यक्रम में भागीदार बनाया जा सके। यह एक केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी जो केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करेगी और उन्हें अतिरिक्त फंड/संसाधन प्रदान करेगी।

कृषि क्षेत्र में राहत कार्यक्रमों को कम किया जा रहा है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसा न हो- साथ ही ऐसे नकदी फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जिनसे कोई पोषण प्राप्त नहीं होता, जैसे गन्ना और कपास। कृषि क्षेत्र का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए आहार की गुणवत्ता को सुरक्षित किया जा सके।

नीतिगत सुझाव

भारत में कुपोषण की समस्या और मौजूदा नीतिगत पहल के मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :

आईसीडीएस को सशक्त और पुनर्गठित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ उठाना

आईसीडीएस को मिशन मोड में चलाया जाना चाहिए एवं पर्याप्त वित्तीय संसाधन (केंद्र सरकार से) और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को मंजूरी दी जानी चाहिए।

तालिका 3: पोषण संबंधी सरकारी पहल (आईसीडीएस और एनआरएचएम) [1])

संकेतक	प्रतिशत*
गर्भवती महिलाएं जिन्हें आईसीडीएस के अंतर्गत अनुपूरक भोजन प्राप्त हुआ	40.7
माताएं (36 महीने से कम आयु वाले बच्चों की माताएं) जिनकी प्रसव से पूर्व 3 डॉक्टरी जांच हुई	63.4
बच्चे (12-23 महीने) जिनका पूर्ण टीकाकरण किया गया	65.3
आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) जहां वयस्कों के लिए वजन का कांटा नहीं है	48.4

स्रोत: रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन (आरसॉक), 2014

नोट: *संबंधित जनसंख्या का प्रतिशत

आईसीडीएस के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना चाहिए एवं अनुपूरक भोजन के पोषक तत्वों का मानकीकरण करना चाहिए। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कार्यक्रम के लक्ष्य में सुधार करना चाहिए तथा बेहतर ढांचागत प्रावधानों एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज को सरल और कारगर बनाना चाहिए।

मुख्य खाद्य पदार्थों का पोषण संवर्धन

वर्तमान में मुख्य खाद्य पदार्थों का पोषण संवर्धन केवल नमक को अनिवार्य रूप से आयोडीनयुक्त करने तक सीमित है। हालांकि *भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)* खाद्यान्नों के पोषण संवर्धन के लिए मानक तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त नमक के दोहरे पोषण संवर्धन (आयोडीन के साथ आयरन) और खाद्य तेलों के पोषण संवर्धन को अनिवार्य करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। केवल पोषण संवर्धन वाले पदार्थों के प्रयोग के लिए गर्म पके भोजन के मानकों को भी बदला जाना चाहिए। इससे पांच वर्ष से कम आयु के बहुत से बच्चों को पर्याप्त कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्व मिल पाएंगे।

भारत में प्रच्छन्न भुखमरी की चुनौती के विभिन्न कारण हैं जो बहुत जटिल हैं। केवल प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से इनसे नहीं निपटा जा सकता। मौजूदा सरकार ने 2014 से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश भर में लोगों को शौचालयों की सुविधा प्रदान की है। हालांकि शौचालय निर्माण के साथ-साथ लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों के साथ कृषि नीति का तालमेल

कृषि और पोषण नीति के बीच तालमेल बनाया जाना चाहिए। अपने उपभोग के लिए पोषणपूर्ण और स्थानीय फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में राहत कार्यक्रमों को कम किया जा रहा है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसा न हो- साथ ही ऐसे नकदी फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जिनसे कोई पोषण प्राप्त नहीं होता, जैसे गन्ना और कपास। कृषि क्षेत्र का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए आहार की गुणवत्ता को सुरक्षित किया जा सके।

पोषण कार्यक्रमों में निजी भागीदारी

निजी क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि वह खाद्य पदार्थों के पोषण संवर्धन के स्तर को बढ़ाने के लिए तकनीक का प्रयोग कर सके और माताओं एवं शिशुओं के पोषण हेतु पौष्टिक खाद्य पदार्थों को विकसित और वितरित कर सके। ऐसा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए किया जा सकता है। सरकार को पीपीपी का सहयोग लेना चाहिए

तालिका 4: विभिन्न राज्यों में पोषण की भिन्न-भिन्न स्थितियां

संकेतक	औसत*	सबसे अच्छा प्रदर्शन	सबसे खराब प्रदर्शन
स्टंटेड बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	38.7%	केरल: 19.4% गोवा: 21.3% तमिलनाडु: 23.3%	उत्तर प्रदेश: 50.4% बिहार: 49.4% झारखंड: 47.4%
वेस्टेड बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	15.1%	सिक्किम: 5.1% मणिपुर: 7.1% जम्मू और कश्मीर: 7.1%	आंध्र प्रदेश: 19.0% तमिलनाडु: 19.0% गुजरात: 18.7%
अंडरवेट बच्चे (पांच वर्ष तक की आयु)	29.4%	मणिपुर: 14.1% मिजोरम: 14.8% जम्मू और कश्मीर: 15.6%	झारखंड: 42.1% बिहार: 37.1% मध्य प्रदेश: 36.1%

स्रोत: रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन (आरसॉक), 2014

नोट: *संबंधित जनसंख्या का प्रतिशत

तालिका 5: पोषण संबंधी पहल (बच्चे के जीवन के परले 1,000 दिनों से संबंधित)

लक्षित समूह	योजनाएं	मुख्य पहल
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं	आईसीडीएस	आईसीडीएस: अनुपूरक पोषण, खान-पान, आराम और स्तनपान पर परामर्श, स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में शिक्षा
	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)	अतिरिक्त मातृत्व लाभ
	प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच-II), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)	एनआरएचएम: प्रसव पूर्व देखभाल, परामर्श, आयरन सप्लीमेंटेशन, टीकाकरण, अस्पताल में प्रसव के लिए परिवहन की सुविधा, अस्पताल में प्रसव, नकद हस्तांतरण, प्रसव उपरांत देखभाल, स्तनपान और दो बच्चों के जन्म के बीच में अंतर के संबंध में परामर्श, इत्यादि
बच्चे (0-3 वर्ष)	आईसीडीएस	आईसीडीएस: अनुपूरक पोषण, विकास का निरीक्षण, बच्चे की देखभाल के संबंध में माता को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, शिशु और छोटे बच्चों के स्तनपानको प्रोत्साहित करना, बालपन में स्टिमुलेशन के लिए घर पर परामर्श, कुपोषण का शिकार और बीमार बच्चों के लिए रेफरल और निरंतर जांच (फॉलो अप)
	आरसीएच-II, एनआरएचएम	एनआरएचएम: घर पर नवजात की देखभाल, टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्व देना, कृमिनाश, स्वास्थ्य जांच, बच्चों की बीमारियों और गंभीर कुपोषण से निपटना, शिशु के पहले एक महीने के दौरान रेफरल और नकदरहित उपचार, बीमार नवजात की देखभाल, गंभीर कुपोषण की स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र में देखभाल और निरंतर जांच (फॉलो अप)
	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेश योजना	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेश योजना: कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल के लिए सहयोग

जो खाद्य पदार्थों के पोषण संवर्धन के स्तर को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधानों का लाभ उठा सकें और जन जागरूकता के माध्यम से सरकार के आउटरीच प्रयासों से जुड़ सकें।

निष्कर्ष

सतत विकास के लिए किसी भी देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है और भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि वह किस प्रकार भविष्य में अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाए। सरकार के कई कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाले वर्षों में उसके पास प्रशिक्षित श्रमशक्ति उपलब्ध है अथवा नहीं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक अविकसित बच्चे रहते हैं : 2010 में 12 करोड़ 10 लाख बच्चों (पांच वर्ष से कम आयु के) में से 52 प्रतिशत जोखिम ग्रस्त थे। देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर पोषण कार्यक्रम को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पोषण नीति को बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों को लक्षित करना चाहिए। भारत का विकास मजबूत कंधों पर टिका रहे, इसके लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में एक आशाजनक प्रतिबद्धता जताई है जो देश के बच्चों और माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा। हमें अपने पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ❑

कुपोषण से लड़ाई : कठिन डगर

नंदलाल मिश्र

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 194 देशों में वैश्विक विकास एजेंडा 2030 पर सहमति बनी जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एसडीजी दो भूख उन्मूलन के पहले दो टारगेट विश्वभर में भुखमरी और कुपोषण को जड़ से ख़त्म करने और बच्चों, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों और दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने पर बल देते हैं। वहीं एसडीजी तीन सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य के तहत टारगेट संख्या चार गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों को एक तिहाई कम करने की बात कहता है

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का एक प्रसिद्ध वक्तव्य है, *भूख के खिलाफ़ जंग ही मानवता की आज़ादी का असली जंग* है तो क्या हम हिंदुस्तानी मानवता की इस आज़ादी को अब तक हासिल कर पाए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बीत जाने के बाद भी आम भारतीयों खासकर महिलाओं एवं बच्चों में भूख और पोषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक पोषण रपट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे आदि सभी स्रोतों के आँकड़े भारत में भूख और कुपोषण में लिपटी बहुजन की बदहाली को बयां करते हैं जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के मुताबिक़ आज़ादी के वक्त से आज तक जस की तस कायम है। इस आलेख का मुख्य मकसद सरकार, नीति-नियंताओं, युवाओं और सबसे अहम देश की अवाम को भूख और कुपोषण की भयावह यथास्थिति से रूबरू कराना है ताकि अब और अधिक समय तक इस विभीषिका की उपेक्षा न की जाए।

भूख और कुपोषण की मौजूदा स्थिति

दीर्घ काल से भूख की समस्या से ग्रसित दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मसलन भारत दुनिया की सबसे बड़ी भूखी आबादी (19 करोड़ जो देश की कुल आबादी का 14.5 फ़ीसद है) वाला मुल्क है। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) की 119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। यह सूची बताती है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं कितनी गंभीर हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा जारी इस सूची के मुताबिक भारत में भूख की समस्या लगभग उत्तर कोरिया और इराक जैसी ही है। एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन काफी निम्न दर्जे का है। हम केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले ही बेहतर स्थिति में हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 (एनएफएचएस-4) के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पाँच साल से कम उम्र के 38 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन (स्टंटिंग) के शिकार हैं। मतलब हर तीसरे बच्चे की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। वहीं 21 प्रतिशत बच्चे अल्पपोषित (वेस्टिंग) हैं, यानी देश का हर पाँचवाँ बच्चा अपनी लंबाई के अपेक्षाकृत दुबला है। तो 36 प्रतिशत बच्चे कम वजन (अंडरवेट) के हैं। मसलन हरेक तीसरा बच्चा अपनी उम्र के मुकाबले कम वज़न वाला है। जबकि 2 फ़ीसदी बच्चे अधिक वजन के यानी ओवरवेट हैं। ये सभी दोष बच्चों में कुपोषण की विभिन्न स्थितियों को रेखांकित करती हैं।

वयस्कों में देखा जाए तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की आबादी में 23 फ़ीसदी महिलाएँ तो 20 प्रतिशत पुरुष अपेक्षाकृत दुबले (BMI<18.5) हैं जबकि 21 फ़ीसदी महिलाएँ और 19 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापा (BMI>24.9) से जूझ रहे हैं। ग़रीब परिवार और अनपढ़ माताओं के बच्चे कुपोषण दोषों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। बच्चों में ठिगनापन के मामले

नंदलाल मिश्र मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में जनसंख्या अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर श्रेणी के छात्र हैं और सतत विकास लक्ष्य संबंधी शोध कार्यों से जुड़े हैं। ईमेल: nandlal.iips@gmail.com

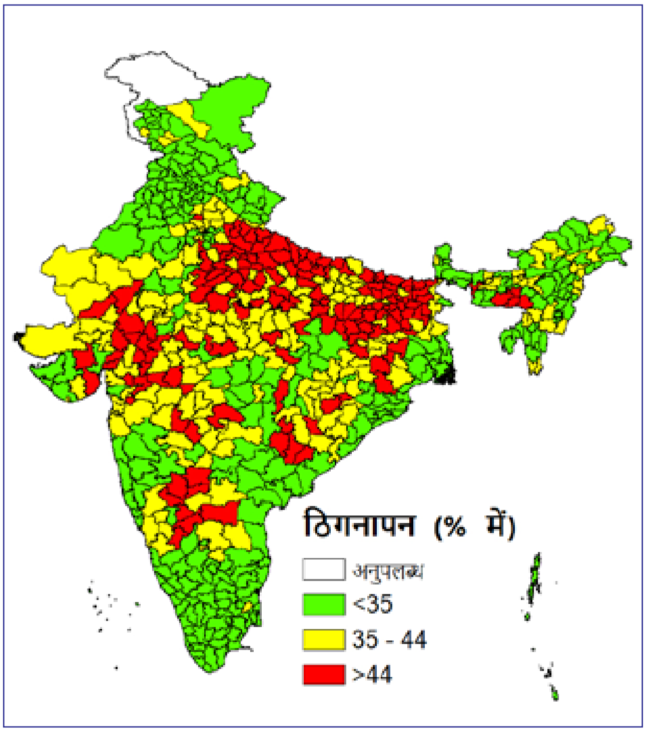

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार ठिगनापन (स्टंटिंग, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

शहरी (31%) इलाकों की तुलना में ग्रामीण (41%) आबादी में अधिक सामान्य हैं। एन.एफ.एच.एस-4 की रिपोर्ट के अनुसार अल्पपोषित (दुबली) माताओं के बच्चों में कुपोषण दोष विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत काफी अधिक होती है।

यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन फंड के अनुसार भारत में बाल विवाह रोधी कानून होने के बावजूद हर चौथी लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में ही ब्याह दी जाती है। ऐसी अवयस्क महिलाओं की होनेवाली संतानों में कुपोषण दोष का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। देश में तीस फ़ीसदी बच्चे अल्पपोषित (जन्म के समय सामान्य से कम वजन वाले) अवस्था में पैदा होते हैं। इस प्रकार देश की आबादी में हर साल 70 लाख कुपोषित बच्चे जुड़ते चले जाते हैं। *ग्लोबल अलायन्स फ़ॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन* की स्वतंत्र निदेशिका विनीता बाली इसे पीढ़ीगत कुपोषण चक्र की संज्ञा देती हैं।

अगर हम एनएफएचएस-3 (2005-06) से वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो पाते हैं कि बीते एक दशक में ठिगनापन (स्टंटिंग) तथा कम वजन (अंडरवेट) के शिकार बच्चों के अनुपात में क्रमश: 10 तथा 7 प्रतिशत की कमी आयी है। वहीं अल्पपोषण (वेस्टिंग) के मामले बीते दस सालों में 20 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गए। आईएफपीआरआई के मुताबिक बाकी के सिर्फ तीन देशों जिबोटी, श्रीलंका और दक्षिणी सूडान में यह दर 20 प्रतिशत से अधिक है। अल्पपोषण की दिशा में पिछले 25 सालों में भारत में सुधार नगण्य ही रहा है।

एनएफएचएस-4 के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों में ठिगनापन के मामले 45 प्रतिशत से अधिक हैं जबकि केरल और गोवा में 20 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन से पीड़ित हैं। अल्पपोषण या दुबलेपन के मामले में झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति बदतर (25% से अधिक) है जबकि मणिपुर, मिज़ोरम की स्थिति सबसे बेहतर (7% से कम) है। वहीं कम वजन के मामले झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में सर्वाधिक सामान्य (39% से अधिक) तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे कम (15% से कम) दर्ज किए गए हैं। वयस्कों के संदर्भ में झारखंड एवं बिहार सर्वाधिक अल्पपोषण ग्रसित राज्य हैं वहीं गोवा, आंध्रप्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु में मोटापा का प्रभाव सबसे ज्यादा है। विश्व में दिनों दिन मोटापा और इससे जुड़ी *असंक्रामक* बीमारियों की समस्याएँ बढ़ती ही जा रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कुल मिलाकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कुपोषण की स्थिति सबसे भयावह है। उत्तर पूर्व के राज्यों और केरल, गोवा, तमिलनाडु आदि प्रदेशों की स्थिति बेहतर ज़रूर है लेकिन विकसित देशों के मुकाबले बिलकुल भी संतोषजनक नहीं।

दीर्घ काल से भूख की समस्या से ग्रसित दुनिया का हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। मसलन भारत दुनिया की सबसे बड़ी भूखी आबादी (19 करोड़ जो देश की कुल आबादी का 14.5 फ़ीसद है) वाला मुल्क है। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) की 119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। यह सूची बताती है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं कितनी गंभीर हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक बीते पाँच साल में पैदा हुए मात्र 42 प्रतिशत बच्चों को ही जन्म के एक घंटे के भीतर (जैसा कि डॉक्टर सलाह देते हैं) स्तनपान कराया गया। नवजात को समय से स्तनपान कराने के मामले में अनपढ़ और ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएँ काफी पीछे हैं। ऐसे मामले सामान्य तौर पर गैर-संस्थागत प्रसव में अधिक देखे गए हैं।

देश में छह माह से कम उम्र के सिर्फ 55 फ़ीसदी बच्चों को ही एक्सक्लूसिव स्तनपान (जन्म से छह माह तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध, जैसा कि डॉक्टर सुझाव देते हैं) का अवसर नसीब हो पाता है। हालाँकि इस दिशा में बीते दस वर्षों में 9 फ़ीसदी इज़ाफा हुआ है। अच्छी बात यह है एक्सक्लूसिव स्तनपान का माध्य मात्र बीते दस वर्षों में 45 प्रतिशत बढ़ कर 2.9 माह हो गया है। बीते दस वर्षों में किसी भी प्रकार के स्तनपान कराने की अवधि का माध्य भी 24.4 माह से बढ़कर 29.6 माह हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार के स्तनपान कराने की अवधि का माध्य शहरी इलाकों से बेहतर है। लेकिन शहरी नवजात को ग्रामीण नवजात की तुलना में बेहतर अनुपात में पूरक पोषक आहार उपलब्ध हो पाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवजात के समुचित विकास और सुपोषण के लिए

निर्धारित *न्यूनतम ग्राह्य आहार* मानदंड की बात करें तो भारत की स्थिति बेहद ख़राब है। एनएफएचएस-4 के आंकड़ों के मुताबिक मात्र 10 फ़ीसदी 6-23 माह आयुवर्ग के बच्चों को *न्यूनतम ग्राह्य आहार* नसीब हो पाता है। इस मामले में तमिलनाडु और पुड्डुचेरी का प्रदर्शन सराहनीय (30 प्रतिशत से अधिक) जबकि राजस्थान, चंडीगढ़ और दादर व नगर हवेली की हालत दयनीय (3 प्रतिशत से भी कम) है।

मौजूदा दौर में देश का एक बड़ा तबका, खासकर महिलाएँ, और बच्चे एनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। एनीमिया का तात्पर्य खून में हीमोग्लोबिन और लौह-खनिज की कमी से है। विकासशील देशों की कुपोषित आबादी में यह एक बेहद कॉमन बीमारी है। एनएफएचएस-4 के अनुसार 6 से 59 माह आयुवर्ग के 58 फ़ीसदी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं जो 2005-06 (70 प्रतिशत) से बेहतर प्रदर्शन है लेकिन आँकड़े अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर हैं। बच्चों में एनीमिया के मामले हरियाणा (72%), झारखंड (70%) और मध्यप्रदेश (69%) में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं जबकि सबसे कम मामले (25 फ़ीसदी से कम) मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर में पाए गए हैं।

वयस्कों में देखें तो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 53 फ़ीसदी महिलाएँ जबकि 23 प्रतिशत पुरुष रक्त-अल्पता (एनीमिया) से ग्रसित हैं। बीते दस सालों में इस आँकड़े में नगण्य सुधार हुआ है। ज़ाहिर है वर्षों से देश में हर दूसरी औरत (15-49 आयु वर्ग में) खून की कमी से जूझ रही है और उनके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से एनीमिया की जद में आ जाते हैं। ग़रीब तबके में यह समस्या धनवान समुदाय के अपेक्षाकृत अधिक मौजूद है। औरतों में एनीमिया की मौजूदगी झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्रप्रदेश में 60 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड की स्थिति सबसे कम ख़राब (30 प्रतिशत से कम) है।

इस प्रकार आंकड़ों से ज़ाहिर है कि भूख और कुपोषण के मामले में भारत के मौजूदा हालात बेहद ख़राब और दुखद हैं। यह गंभीर चिंता और उससे भी आगे शर्म की बात है कि 21वीं सदी के भारत में भी हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में कुपोषित या रोगग्रस्त है। बीते ढाई दशकों में भारत बहुत तेज़ी से आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है लेकिन कटु सत्य यह भी है कि हम अपने आर्थिक विकास दर को बहुजन की समृद्धि, खुशहाली और शांति में परिणत कर पाने में नाकाम रहे हैं।

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों में ठिगनापन के मामले 45 प्रतिशत से अधिक हैं जबकि केरल और गोवा में 20 फ़ीसदी बच्चे ठिगनापन से पीड़ित हैं। अल्पपोषण या दुबलेपन के मामले में झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति बदतर (25% से अधिक) है जबकि मणिपुर, मिज़ोरम की स्थिति सबसे बेहतर (7% से कम) है। वहीं कम वजन के मामले झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में सर्वाधिक सामान्य (39% से अधिक) तो सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे कम (15% से कम) दर्ज किए गए हैं।

भावी लक्ष्य और तैयारियाँ

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के 194 देशों में वैश्विक विकास एजेंडा 2030 पर सहमति बनी जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एसडीजी दो *भूख उन्मूलन* के पहले दो टारगेट विश्वभर में भुखमरी और कुपोषण को जड़ से ख़त्म करने और बच्चों, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों और दयनीय स्थिति में रह रहे लोगों को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने पर बल देते हैं। वहीं एसडीजी तीन *सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य* के तहत टारगेट संख्या चार गैर-संक्रामक बीमारियों (जो बहुत हद तक खान-पान के तौर-तरीकों से जुड़ी हैं) से होने वाली मौतों को एक तिहाई कम करने की बात कहता है। एसडीजी इंडेक्स 2017 के मुताबिक़ इनमें से अधिकांश लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत के प्रयासों को सबसे निम्न श्रेणी का आँका गया है।

वर्तमान हालात और आंकड़ों को देख कर भारत का इन लक्ष्यों को पूरा कर पाना दूर-दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि हम सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के तहत सुनिश्चित भूख और कुपोषण संबंधी लक्ष्यों को भी पूरा करने में बुरी तरह से असफल रहे थे। हालाँकि वर्तमान सरकार ने हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को गंभीरता से लिया है और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसके तहत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से अगले तीन वर्ष के लिए लगभग 9046 करोड़ रुपये के बजट का

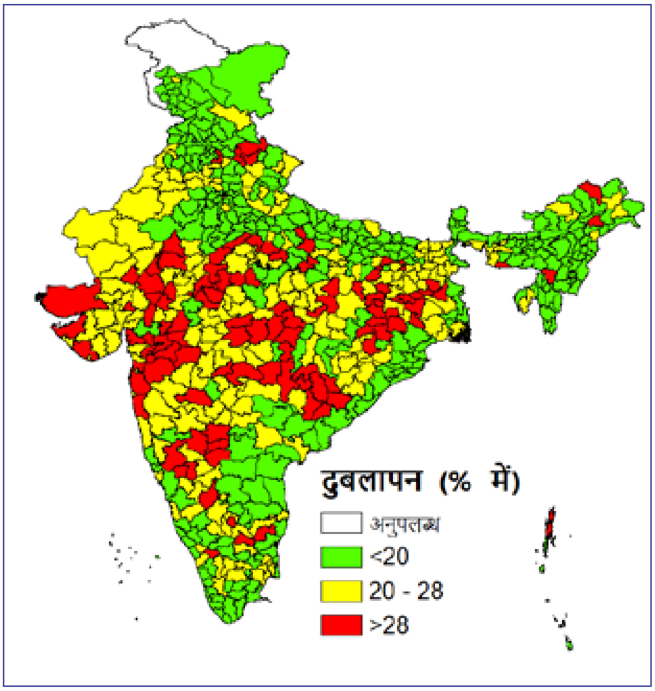

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार दुबलापान (वेस्टिंग, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

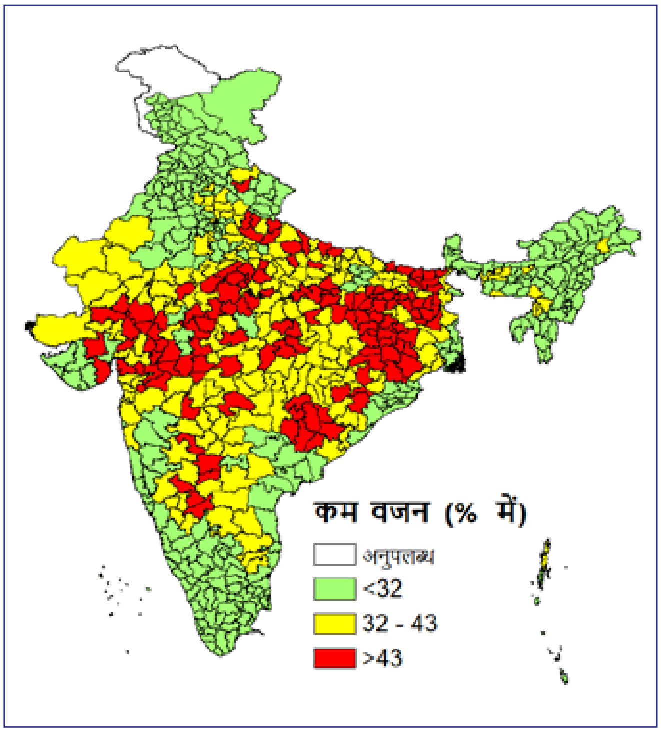

मानचित्र 1: बच्चों में जिलावार कम वजनी (अंडरवेट, % में);
स्रोत: एनएफएचएस-4

प्रावधान करते हुए देश के 115 पिछड़े जिलों में प्रति वर्ष ठिगनापन, अल्पपोषण और एनीमिया के मामलों तथा कम वजन वाले बच्चों की तादाद में क्रमश: 2, 2, 3 तथा 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही वर्तमान सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों में भूख, कुपोषण और स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक राष्ट्रीय पोषण रणनीति तैयार की है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण हेतु तीन साल के लिए अतिरिक्त 12 हज़ार करोड़ राशि आवंटन की गयी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू कर गर्भवती स्त्रियों के पोषण के लिए नकद 5000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा सरकार फिलहाल कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने हेतु इन्हें आधार कार्ड और बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने पर भी काम कर रही है। हालाँकि इस पहल से कई नई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिनका ज़िक्र अर्थशास्त्री ज्याँ द्रेज ने अपने लेखों में बखूबी किया है। इन नीतियों पर योजना के इसी अंक के अन्य आलेखों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

आज नई पहल को पहले से चली आ रही योजनाओं से जोड़कर इन पर प्रभावी ढंग से अमल करने की जरूरत है। इन नई नीतियों की अहम ख़ासियत यह है कि इनके क्रियान्वयन में 'इंटीग्रल अप्रोच' को अपनाया गया है। सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को नीति आयोग की देखरेख में काम करने की व्यवस्था की गयी है। अब यह तो वक्त ही बतायेगा कि इन योजनाओं का कुछ ठोस फ़ायदा होता है या ये भी ढाक के तीन पात साबित होते हैं।

कमियों को सुधारें

भारत गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है: पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि बीते सत्तर सालों में सरकारों ने भूख और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। समय के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं और नीतियाँ अस्तित्व में आईं। एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी कार्यक्रम आदि दुनिया की सबसे बड़ी कुपोषण निवारण योजनाएँ भारत में बरसों से चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में पिछली यूपीए सरकार के मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन देश में बड़े पैमाने पर कोई स्पष्ट बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कई वजहें हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं एक और आँकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक साल में जितना गेहूँ उपजाता है उतना गेहूँ भारत में समुचित भंडारण के अभाव में हर साल बर्बाद हो जाता है। इस स्थिति पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ जाता है जबकि दूसरी ओर करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोना पड़ता है।

(1) ग़रीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ़-सफाई और पोषण संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं में तालमेल और समावेशी दृष्टिकोण व एकजुटता का अभाव। साथ ही राष्ट्रीय समस्याओं में पोषण को निम्न वरीयता दिया जाना।

(2) योजनाओं पर तंत्र द्वारा सदाशयता और शिद्दत से अमल नहीं करना और भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक विसंगतियों की भारी मार।

(3) किशोरियों की कमजोर सामाजिक, शारीरिक व मानसिक स्थिति जैसे अशिक्षा, अपरिपक्व उम्र में विवाह और अतिरिक्त बच्चों का बोझ, खून की कमी इत्यादि।

(4) पोषण, समुचित आहार, साफ़-सफाई, टीकाकरण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ उठाने संबंधी व्यापक जन-जागरूकता की कमी।

(5) अनाज और भोजन की बेहिसाब बर्बादी।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है। वहीं एक और आँकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया एक साल में जितना गेहूँ उपजाता है उतना गेहूँ भारत में समुचित भंडारण के अभाव में हर साल बर्बाद हो जाता है। इस स्थिति पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड़ जाता है जबकि दूसरी ओर करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोना पड़ता है। सर्वोच्च अदालत की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी हालात जस के तस हैं। अनाज के समुचित भंडारण और वितरण की व्यवस्था कर कम से कम हम भुखमरी की

समस्या से पूर्णतः निजात पा सकते हैं। बाक़ी अन्य संस्थागत सुधारों जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है के द्वारा कुपोषण की समस्या को समूल समाप्त किया जा सकता है। बस जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति और समन्वित पहल की। सबसे बड़ी त्रासद बात तो यह है कि देश की चुनावी राजनीति में भूख और पोषण जैसे बुनियादी मुद्दों का कहीं कोई स्थान ही नहीं है।

वैश्विक पोषण रपट 2017 भी बताती है कि पोषण को गरीबी ख़त्म करने, बीमारियों से लड़ने, शैक्षिक मानकों को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे प्रयासों के हृदय में रखने की ज़रूरत है। रिपोर्ट विकास के अन्य सभी मुद्दों के साथ ही कुपोषण के मुद्दे को भी विशेष स्थान देने पर जोर देती है।

पोषणः आर्थिक विकास की नींव

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक तरक्की की बुनियाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूलतः उसके नागरिकों के पोषण स्तर पर टिकी होती है। कुपोषण और आर्थिक बदहाली में परस्पर कार्य-कारण संबंध है। ग़रीबी और अभाव भूख और कुपोषण को जन्म देते हैं जबकि भूख और कुपोषण मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता को कमजोर कर देते हैं और कई बार रोगग्रस्त भी। जिसका सीधा असर कार्य-क्षमता और फलस्वरूप आमदनी पर पड़ता है जो अंततः ग़रीबी को जन्म देती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है लेकिन दुर्भाग्यवश बड़ी तादाद में हमारे युवा ग़रीब हैं, भूखे और अधनंगे हैं, कुपोषित और अस्वस्थ हैं, अशिक्षित हैं और उनमें कौशल एवं दक्षता का अभाव है। ऐसे में हम अपनी जनसंख्या की 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' स्थिति का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ बरस बाद यह युवा आबादी बुजुर्गों और वृद्धों के विशाल आश्रित आबादी में तब्दील हो जाएगी जो अर्थव्यवस्था पर बोझ होगा।

> **एक कहावत है- *भूखे भजन न होई गोपाला।* मतलब भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। फिर सबसे बड़ी भूखी और कुपोषित आबादी वाला यह मुल्क अपनी आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक तरक्की कैसे सुनिश्चित करेगा। सो अगर हम ख़ुद को विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिलजुलकर भूख और कुपोषण की विकराल समस्याओं से निजात पाना होगा। वरना वक्त बीतता चला जाएगा और आम अवाम की सामूहिक बदहाली बदस्तूर कायम रहेगी।**

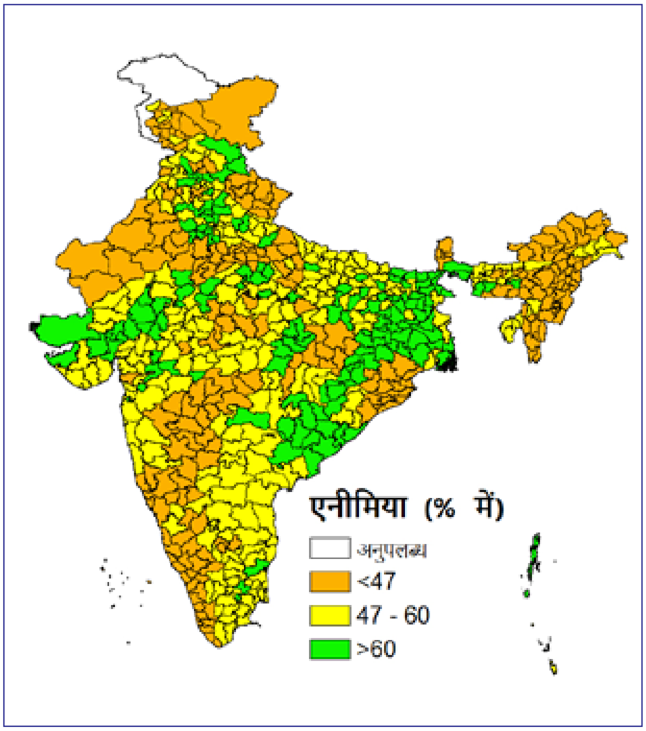

मानचित्र 1: महिलाओं में जिलावार रक्त-अल्पता (एनीमिया, % में);
स्रोतः एनएफएचएस-4

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि कुपोषण की रोकथाम पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर आर्थिक तरक्की में 16 डॉलर का योगदान करता है। नवंबर 2014 में दि गार्डियन में प्रकाशित एक लेख में कोपेनहेगन कन्सेन्सश सेंटर के आंकड़ों के हवाले से भी कहा गया कि भारत पोषण में प्रत्येक डॉलर का निवेश कर औसतन 134 डॉलर के खर्च (स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि पर) की बचत कर सकता है। वहीं विश्व बैंक के एक आकलन के मुताबिक भारत को कुपोषण के फलस्वरूप निम्न उत्पादकता से जीडीपी की वार्षिक विकास दर में 2-3 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 भी इस बात को स्वीकार करता है कि माताओं और बच्चों के जीवन शैली और पोषण में निवेश द्वारा मानव संसाधन के रूप में बेहतर प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। आज के दौर की दरकार है कि हम विशुद्ध आर्थिक विकास के साथ साथ अपने मानव संसाधन में बेहतर निवेश को प्रोत्साहित करें।

एक कहावत है- *भूखे भजन न होई गोपाला।* मतलब भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता है। फिर सबसे बड़ी भूखी और कुपोषित आबादी वाला यह मुल्क अपनी आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक तरक्की कैसे सुनिश्चित करेगा। सो अगर हम ख़ुद को विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मिलजुलकर भूख और कुपोषण की विकराल समस्याओं से निजात पाना होगा। वरना वक्त बीतता चला जाएगा और आम अवाम की सामूहिक बदहाली बदस्तूर कायम रहेगी। ❑

संदर्भ

- राष्ट्रीय परिवार स्वाथ्य सर्वेक्षण 3 एवं 4; आईआईपीएस मुंबई
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017; आईएफपीआरआई
- ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 एवं 2017; डीआईपीआरलि
- एसडीजी इंडेक्स 2017; यूएन-एसडीएसएन
- स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2017; एफएओ, संयुक्त राष्ट्र
- न्यूट्रिशन एटलस; राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद
- वी नीड ए न्यूट्रिशन मिशन; दि हिन्दू (23 जुलाई 2016)
- फूड एंड न्यूट्रिशन, ज्याँ द्रेज
- नीति आयोग वेबसाइट, भारत सरकार।

LUKMAAN IAS

GS फाउण्डेशन

CSE 2018 - 19

25 मई से बैच प्रारम्भ (अवधि – 10 महीने)

वैकल्पिक विषयों की कक्षाएं

• इतिहास • भूगोल • लोक प्रशासन • उर्दू • समाजशास्त्र

मई के तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ

मुख्य परीक्षा केंद्रित कार्यक्रम

(सा. अध्ययन के प्रमुख संभावित प्रश्न क्षेत्रों पर आधारित)

अवधि – 50 दिन (18 जून से प्रारम्भ)

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2018

मॉडल उत्तर और विस्तृत परिचर्चा के साथ

सा. अध्ययन
निबन्ध
नीति शास्त्र

लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल, उर्दू, इतिहास

जून के दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ

अधिक जानकारी के लिए **www.lukmaanias.com** पर log in करें

MUKHERJEE NAGAR :- 871, FIRST FLOOR, MAIN ROAD,
CONTACTS: 011-41415591 & 7836816247
OLD RAJINDER NAGAR : 011-45696019, 8506099919 & 9654034293

YH-826/2018

वित्तीय समावेशन की संभावनाएं

चरण सिंह

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता
The Rise of Indian Economy
PMJDY

वित्तीय समावेशन की व्यावसायिक व्यावहारिकता स्थापित हो चुकी है और दुनिया भर में सरकारें आबादी के बड़े हिस्से तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। दरअसल, वित्तीय समावेशन आर्थिक समानता और आर्थिक वृद्धि की राह बनाता है। एक खास तरह के वित्तीय संस्थान कम लागत में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, फंड की सुरक्षा करते हैं और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के अलावा सुविधाजनक हिसाब-किताब मुहैया कराते हैं। बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच काम करते हैं और इस तरह से विकास के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं

वित्तीय समावेशन ऐसी प्रक्रिया है, जिससे देश के सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गुंजाइश बनती है। यह समाज में वंचित लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर फोकस करता है। वित्तीय समावेशन का मकसद लोगों को बेहतर वित्तीय फैसले लेने के लिए जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही, यह आर्थिक विकास में कम आय वाले लोगों की भागीदारी की तस्दीक करता है। यह भागीदारी कम आय वाले समूह के पास वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

वित्तीय समावेशन (भारत सरकार, 2008) पर बनी समिति ने वित्तीय समावेशन की परिभाषा कुछ इस तरह दी है- यह कमजोर और वंचित लोगों को कम खर्च में और पर्याप्त और सही समय पर वित्तीय सेवाएं व क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन का मकसद कम आय वाले समूहों को समान अवसर के प्रावधानों के साथ वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। समिति ने सुझाव दिया था कि एक निश्चित समयसीमा के भीतर समग्र वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय समावेशन के काम को मिशनरी तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए। समिति का कहना था कि इस मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित दो फंड भी बनाया जाना चाहिए। इन फंडों का फोकस विकास और तकनीक पर हो, ताकि गरीबों को कर्ज आदि की बेहतर सुविधा मिल सके।

वित्तीय समावेशनः ऐतिहासिक घटनाक्रम

दरअसल, आम धारणा के उलट भारत वित्तीय समावेशन के मामले में अगुआ रहा है। सहकारी सोसायटी कानून, 1904 ने देश में सहकारी आंदोलन को रफ्तार दी। सहकारी बैंकों का मकसद बैंकिंग सुविधाओं के दायरे को बढ़ाना था- मुख्य तौर पर महाजन की तुलना में आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना। महाजन या सूदखोर ऊंची दर पर ब्याज वसूलने के लिए कुख्यात थे। भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआत 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ हुई।

1967 में सोशल बैंकिंग पर बहस छिड़ी और इसके परिणामस्वरूप 14 निजी बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी (मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाकों से ताल्लुख रखने वाले और गरीब व वंचित लोग) को इस सेवा से जोड़ा जा सके। प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग (प्राथमिकता के आधार पर बैंकों द्वारा लोन दिया जाना) की अवधारणा 1974 में आई, जिसका मकसद बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके बाद ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने के मकसद से1980 में 8 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से बैंकों के कर्ज देने की प्राथमिकता और बैंकिंग प्रणाली में काफी बदलाव हुआ है। खासतौर पर प्रायरिटी सेक्टर के मामले में ऐसा देखने को मिला है, जिस पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था।

भारत सरकार देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए साल 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय

लेखक यूसीएलए एंडर्सन, लॉस एंजिलिस में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगुलुरु में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। डॉ सिंह ने डॉक्टरेट की पढ़ाई हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से की और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। दिसंबर 2012 में अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाल हो चुके हैं। ईमेलः charan.singh@anderson.ucla.edu

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर देश में कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। इन उपायों में स्वयंसहायता समूह-बैंक लिकेंज कार्यक्रम, बिजनेस समन्वयक और कॉरस्पॉन्डन्ट (अभिकर्ता) का इस्तेमाल, केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियमों को आसान बनाना, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल, नो फ्रिल खाते खोलना और वित्तीय साक्षरता शामिल हैं। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किए गए बाकी उपायों में उपभोक्ता सेवा केंद्रों को खोला जाना, कर्ज संबंधी सलाह-मशवरा केंद्रों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मनरेगा योजना और आधार कार्यक्रम प्रमुख हैं।

इन तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकिंग सेवाओं की पहुंच कम थी। इसके मद्देनजर हर घर में एक बैंक खाता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 15 अगस्त 2014 को इस दिशा में केंद्रित प्रयासों की जरूरत के बारे में ऐलान किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद बचत बैंक खाता, जरूरत आधारित कर्ज, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं से वंचित तबकों यानी कमजोर और कम आय वाले लोगों को जोड़ना था। सरकार ने छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने पर फोकस करने की खातिर माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना पेश कर वित्तीय समावेशन हासिल करने संबंधी अपनी कोशिशें जारी रखीं। इसी तरह, सरकार ने 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिये 95 फीसदी घरों में बैंक खाता सुनिश्चित कर इससे जुड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। इसके अलावा, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा आम जनता तक पहुंचाया। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का इरादा असगंठित क्षेत्र में काम कर रहे गरीब लोगों को बुर्जुग हो जाने पर आय की सुरक्षा प्रदान करना है। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक साल का जीवन बीमा कवर मुहैया कराया जाता है और सालाना इसका पुनर्नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसी तरह, सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता या मृत्यु को कवर किया गया है और इसका भी सालाना आधार पर पुनर्नवीनीकरण कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुरू होने के बाद इस स्कीम ने अहम प्रगति की है। 4 अप्रैल 2018 के मुताबिक, इस योजना के तहत कुल 31.4 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 31.4 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए, जबकि शहरी इलाकों में 12.9 करोड़ खाते खुले। इसके तहत कुल 16.6 करोड़ महिलाओं का खाता खुला। रूपे काड्र्स की भी संख्या बढ़कर 23.7 करोड़ हो गई है। कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक रही है। 4 अप्रैल 2018 के मुताबिक, कमर्शियल बैंकों की जमा राशि 79,012.1 करोड़ रुपये थी।

चुनौतियां

वित्तीय समावेशन को व्यापक तौर पर फैलाने में अहम चुनौतियां कुछ इस तरह हैं:

1. **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** (पीएमजेडीवाई) के तहत सभी खाते चालू नहीं हैं। कुछ मामलों में खाताधारकों द्वारा फंड की कमी के कारण बैंक खाते चालू नहीं हैं। बैंक खातों में कम बैलेंस राशि के कारण तकनीकी प्रगति को लागू करने में लागत का मामला आड़े आ रहा है, जो चिंता का विषय है।
2. **वित्तीय साक्षरता की कमी:** ग्रामीण परिवारों में वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नहीं है। नतीजतन, वित्तीय संस्थानों द्वारा मुहैया कराई गई कई वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी है।
3. **खातों का बेहद बड़ा वॉल्यूम:** नए और पुराने खातों की बड़ी संख्या के

कारण ई-पेमेंट सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी और संस्थागत अवसंरचना की जरूरत है।

4. **स्टाफ संबंधी योजना तैयार करने की जरूरतः** बैंकों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल विकास की जरूरत है।
5. **सुरक्षित माहौलः** इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुरक्षा चिंता का विषय है। खासतौर पर देश के दूर-दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में नए खातों को देखते हुए यह बेहद प्रासंगिक है।
6. **लेनदेन की सहूलियतः** ग्रामीण परिवारों में महाजन से कर्ज लेने का सिलसिला काफी हद तक कायम है। यह साफतौर पर बैंकों की लेनदेन संबंधी गतिविधियों में दिक्कत की तरफ इशारा करता है।
7. **तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जरूरतः** जहां तक संचालन की बात है, तो बैंकिंग सेवाओं में एटीएम के जरिये दी जा रही सुविधा के बावजूद डेबिट कार्ड की पहुंच काफी कम है और अब तक सिर्फ 30 फीसदी खाताधारकों के पास डेबिट कार्ड है।
8. **मांग संबंधी पहलूः** कम आय या संपत्ति, वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, पहुंच के दायरे से बाहर माने जाने वाले उत्पाद, लेनदेन की ऊंची लागत, जटिल और ग्रामीण क्षेत्र की आय के चलन के लिहाज से अनुपयुक्त उत्पाद वित्तीय प्रणाली से आम लोगों के जुड़ाव में अहम बाधाएं हैं।
9. **तकनीक के इस्तेमाल में जोखिम और लागतः** सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैनाती पर बढ़ते खर्च और मौद्रिक नुकसान, डेटा चोरी और निजता में सेंधमारी चिंता की बात हैं। लिहाजा, बैंकों को ऐसे जोखिम से सावधान रहने की जरूरत है।
10. **साइबर सुरक्षाः** प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले 3 सालों में 31 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। इनमें से तकरीबन 80 फीसदी पहली बार खाता इस्तेमाल करने वाले हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपके केवाईसी नियमों में ढील दी गई हो।

प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद बचत बैंक खाता, जरूरत आधारित कर्ज, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं से वंचित तबकों यानी कमजोर और कम आय वाले लोगों को जोड़ना था। सरकार ने छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने पर फोकस करने की खातिर माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना पेश कर वित्तीय समावेशन हासिल करने संबंधी अपनी कोशिशें जारी रखीं। इसी तरह, सरकार ने 2015 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिये 95 फीसदी घरों में बैंक खाता सुनिश्चित कर इससे जुड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया।

आगे की राह

पिछले दो दशकों में भारत और विदेशी मुल्कों में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग जगत में अहम बदलाव हुए हैं। वित्तीय समावेशन की व्यावसायिक व्यावहारिकता स्थापित हो चुकी है और दुनियाभर में सरकारें आबादी के बड़े हिस्से तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। दरअसल, वित्तीय समावेशन आर्थिक समानता और आर्थिक वृद्धि की राह बनाता है। एक खास तरह के वित्तीय संस्थान कम लागत में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराते हैं, फंड की सुरक्षा करते हैं और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने के अलावा सुविधाजनक हिसाब-किताब मुहैया कराते हैं। बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच काम करते हैं और इस तरह से विकास के लिए संसाधन मुहैया कराते हैं। लिहाजा, मुमकिन है कि लोगों के पास बचत के तौर पर पैसा जमा करने को नहीं हो, लेकिन ऐसे संसाधनों की जरूरत हो, जिनका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के अलावा रोजगार पैदा करने में हो सकता है।

- भारत में अगले कुछ दशक के लिए परिदृश्य के आकलन में इन पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ सकता हैः
- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण गतिविधियों से करीबी तौर पर जुड़ी है। देश की आबादी का 66 फीसदी हिस्सा अब भी गांवों में बसता है।
- विश्व की कुल आबादी में भारत का हिस्सा 16 फीसदी है, जबकि उसके पास जल संसाधन महज 4 फीसदी है। कृषि क्षेत्र के लिए पानी की किल्लत का होना तय है। खासतौर पर बढ़ती आबादी को देखते हुए ऐसा होना तय माना जा रहा है।
- जमीन की कमी (खासतौर पर बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण औद्योगीकरण के कारण) के परिणामस्वरूप खाद्यान्न और कृषि उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाएगी।
- 31 मार्च, 2014 के मुताबिक, कुल 123 करोड़ जमा खाते थे। इसके अलावा, डाकघरों में 28 करोड़ खाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के परिणामस्वरूप बैंकों में तकरीबन 31 करोड़ नए खाते खुले। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ऐलान किया है, जिसका संचालन बैंकिंग प्रणाली के जरिये ही होगा।

Digital Wallet
CREDIT CARD
PAY

साथ ही, मुद्रा बैंक भी निचले आर्थिक पायदान पर बैंकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा।

- जन धन और हाल में ऐलान की गई अन्य योजनाओं के तहत खुले नए खातों के कारण बैंकिंग क्षेत्र का कामकाज बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा। साथ ही, वैसे क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहां भी बैंकिंग सेवाओं की उम्मीदें तेज हो जाएंगी।नतीजतन, व्यावसायिक बैंक दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवा मुहैया कराने के लिए भारी चार्ज वसूलेंगे।
- सरकार ने ऐलान किया है कि वह तकनीक और बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को संसाधानों का आवंटन करेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का मतलब यह होगा कि आम जनता खासतौर पर कम आय वाले समूह को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलेंगे। खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतों के कारण ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का भी वादा किया है। ऐसे में गरीबी से बाहर निकलने वाली आबादी के अनुपात का आकलन करने की जरूरत होगी।

निष्कर्ष और सुझाव

वित्तीय समावेशन का मकसद उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वित्तीय संसाधन मुहैया कराना है। वित्तीय समावेशन की बढ़ती जटिलता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक रोडमैप और नियामक की जरूरत हो सकती है।

डिजिटाइजेशन का मुद्दा गंभीर है और इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। ऊंचे स्तर पर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी है। भारत भाषा और लिपियों के मामले में विभिन्नता वाला देश है। साथ ही, देश में साक्षरता दर भी कम यानी तकरीबन 70 फीसदी है। अंग्रेजी साक्षरता तो देश की आबादी के 10 फीसदी हिस्से के पास भी नहीं होगी। अगर इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंग्रेजी में हैं और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां भी अंग्रेजी में हैं, तो निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप देने में स्वाभाविक बाधा है। भारत में अभी भी तकरीबन 40 करोड़ लोग यानी देश की 30 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। साथ ही, 90 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये लोग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने में सुस्त पड़ सकते हैं। साथ ही, ग्रामीण दुकानों में कारोबार के कम स्तर के कारण छोटी दुकानों, अन्य छोटी और अस्थायी दुकानों में डिजिटल सौदों और इसकी सुरक्षा के लिए उपकरण लगाया जाना काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। देश के दूर-दराज के इलाकों में उपकरण मुहैया कराने की कीमत और किफायती दर पर मनमाना कनेक्टिविटी मुहैया कराना एक और चुनौती है, जिससे निपटे जाने की जरूरत है। फिलहाल ई-मनी का इस्तेमाल शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाके के ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की मौजूदगी के बावजूद यह उपकरण परिवार के एक शख्स तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि इससे सीमित स्तर पर ही ऑनलाइन बैंकिंग गतिविधियां हो सकेंगी, क्योंकि इस तरह के लेनदेन में निजता काफी अहम होती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पिछले 3 सालों में 31 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। इनमें से तकरीबन 80 फीसदी पहली बार खाता इस्तेमाल करने वाले हैं। यह साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपके केवाईसी नियमों में ढील दी गई हो।

ऐसे में अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में फैसला करने के लिए निश्चित समयसीमा के साथ लागत के पहलू को ध्यान में रखते लंबी अवधि की योजना तैयार की जाती है, तो इससे काफी मदद मिल सकती है। भारत को तेजी से डिजिटल पटरी पर दौड़ाने के लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है, जो समस्या को समझे, चुनौतियों से वाकिफ हो और उसके बाद सफलता हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार करे। जिस तरह से सरकार ने स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत चरणबद्ध तरीके से तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 100 चुनिंदा शहरों की सूची जारी कर इस मसले पर काम किया है, डिजिटलाइजेशन के लिए भी उसी तरह की रणनीति, पायलट प्रोजेक्ट और अभियान का सिस्टम अपनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता के मद्देनजर साफ तौर पर एक खालीपन उभरा है। यह खालीपन माइक्रो और ग्रामीण क्षेत्र के नियमन का है। 1934 में स्थापित रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के नियमन और निगरानी का काम करता है। इसके अलावा, व्यावसायिक बैंक भले ही कई दशकों से वित्तीय समावेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें फोकस के साथ काम करने का उनका रवैया गायब है। अब शायद वित्तीय समावेशन के नियमन और निगरानी का काम नाबार्ड को सौंपना जरूरी हो गया है। नाबार्ड के पास स्पष्ट जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ चार दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। ❑

क्या आप जानते हैं?

पीएमएनसीएच यानी मां, नवजात और बच्चों की सेहत के लिए पार्टरनशिप

मां, नवजात और बच्चों की सेहत के लिए साझेदारी (पीएमएनसीएच) 100 से भी ज्यादा संगठनों का गठबंधन है, जिसकी मौजूदगी 77 देशों में है। बहु-क्षेत्रीय स्तर पर इस साझेदारी की मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। यह साझेदारी संबंधित अभियान के तहत मकसद, रणनीति और संसाधन तैयार करने के लिए मंच मुहैया कराता है और मां, नवजात, बच्चे और किशारों की सेहत सुधारने की खातिर उपायों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। पीएमएनसीएच अपने सदस्यों के साथ पूरे 10 क्षेत्रों में प्रजनन संबंधी, मां, नवजात और बच्चों की सेहत (आरएमएनसीएच) क्षेत्र में काम करता है। ये क्षेत्र कुछ हैं-

1. सदस्य देश;
2. योगदानकर्ता और फाउंडेशन;
3. अंतरसरकारी संगठन;
4. गैर-सरकारी संस्थाएं;
5. अकादमिक शोध और प्रशिक्षण वाले संस्थान;
6. किशोर और युवा;
7. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के संगठन;
8. निजी क्षेत्र के साझेदार;
9. संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और
10. वैश्विक वित्तीय तंत्र।

यह साझेदारी सितंबर 2005 में बनाई गई थी और इसके तहत तीन संगठनों के 80 सदस्यों को एकजुट किया गया। इनमें सुरक्षित मातृत्व और नवजात के स्वास्थ्य के लिए साझेदारी, सेहतमंद नवजात संबंधी साझेदारी और बच्चों को बचाने के लिए साझेदारी का मामला शामिल है। इन साझेदारियों का मकसद सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी), खास तौर पर एमडीजी 4 और 5 को हासिल करने में सहयोग के लिए आम-सहमति बनाना और मिलकर काम करना है। साथ ही, माताओं और 5 साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी लाने की बात थी। इस साझेदारी में खास तौर पर सेक्स और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने व महिलाओं और किशारों के अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी, पैदाइश के बाद पहले कुछ हफ्तों और शुरुआती वक्त के दौरान विशेष देखभाल जैसे पहलुओं भी फोकस किया गया।

सोच और मिशन

इस साझेदारी का मकसद हर महिला, बच्चे और किशारों के लिए ऐसी दुनिया बनाना है, जिसमें वे शारीरिक और मानसिक सेहत और बेहतरी के अपने अधिकारों को महसूस कर सकें, उनके पास सामाजिक और आर्थिक अवसर हों और समृद्ध, बेहतर व टिकाऊ समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस साझेदारी का मकसद एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म तैयार कर संबंधित पक्षों की भागीदारी, समन्वय और जवाबदेही को बढ़ाना है, जो महिलाओं, बच्चों और किशोरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति पर सफलतापूर्वक अमल में सहयोग करेगा। ऐसे में साझेदार खुद के मुकाबले सामूहिकता के जरिये बेहतर लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। इस साझेदारी का मकसद तमाम जगहों पर महिलाओं, नवजात बच्चों और किशारों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सक्रिय होकर काम करना और बहुपक्षीय स्तर पर कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय करना है। साझेदारी के तहत इसकी मुख्य ताकतों पर फोकस किया गया है- समन्वय, विश्लेषण, प्रतिपालन और जवाबदेही। ये चार चीजें 'हर महिला, हर बच्चा आंदोलन में योगदान' करेंगी और 2030 तक वैश्विक रणनीति को ध्यान में रखेत हुए सभी लक्ष्यों को हासिल करने की खातिर सभी पक्षों के मिलकर काम करने के लिए समर्थन मुहैया कराएंगी।

The Partnership
for Maternal, Newborn
& Child Health

इन लक्ष्यों में शामिल बातें इस तरह हैं-

1. वैश्विक स्तर पर माताओं की मौत का आंकड़ा घटाकर 1,00,000 बच्चों के जन्म पर 70 या इससे और कम करना, (एसडीजी3.1)

2. हर देश में नवजात मृत्यु दर को घटाकर 1,000 बच्चों के जन्म पर 12 या इससे कम करना (एसडीजी3.2)

3. हर देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में मृत्यु दर को घटाकर 1,000 बच्चों के जन्म के मुकाबले 25 करना (एसडीजी3.2) और

4. सबको प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों की उपलब्धता का लक्ष्य हासिल करना (एसडीजी3.7/5.6)।

इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि कम से कम परिवार नियोजन संबंधी 75 फीसदी मांग को आधुनिक गर्भनिरोधकों के जरिए पूरा किया जाए।

साझेदारों का फोरम

साझेदारों का फोरम पीएमएनसीएच की निर्णय लेने वाले सबसे अहम इकाई है। 'द पार्टनरशिप' नामक इस फोरम में सभी घटक और सदस्य का प्रतिनिधित्व है और मातृत्व, नवजात और

जारी... पृष्ठ सं. 41 पर

MIT-SOG MIT School of Government
Kindling the flame of Democratic Leadership...

MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | PUNE | INDIA

Estd.: Sept. 2005

MIT-WPU

India's 1st ever **LEADERSHIP PROGRAM** for a **CAREER** in **POLITICS**

Founder & Initiator: Rahul V. Karad

One-year full time residential

Master's Program In Government

MPG- 14, 2018-2019

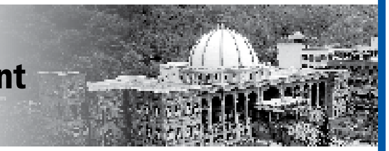

ADMISSIONS OPEN : BATCH -14 COMMENCES August 1, 2018

COURSE SYLLABUS:

- Political Marketing and Branding
- Political Economy
- Public Policy
- Global Politics
- Law, Public Administration & Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling

CAREER PROSPECTS

Along with Contesting Elections other Career Prospects are -

- Research / Policy Associate
- Political Analyst
- Political Strategist
- Political Consultant
- Election Managers
- Campaign Managers
- Social Media Managers
- Constituency Managers

ELIGIBILITY:
Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-14.

Contact: **9850897039 / 91460 38942**
admissions@mitsog.org
Apply online at **www.mitsog.org**
MIT Campus, Paud Road, Kothrud, Pune - 411 038

Supported by UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance World Peace Centre (Alandi) Pune, India

In Academic Alliance with TISS Tata Institute of Social Sciences

POLITICS AS THE BEST CAREER OPTION!

India needs leaders who are dynamic, proactive, capable and knowledgeable. All professions including Medicine, Engineering, Pharmacy, Management, Law etc. employ educated & skilled people in their respective fields. Then why not in Politics, which is as crucial as it concerns the wellbeing of nation and its populace at large. We have under graduate and post graduate programs to address the challenges of other sectors but none for those who envision to enter into politics in a professional way. When we look at the present political scenario, we all feel that India needs Leaders who have a fair idea about what is happening and what they need to do when they take over the mantle. But how do they go about it? Like getting proper guidance, training, knowledge whereby they can form their own perspective, and giving better guidance when leading the country and its citizens. Today's political environment demands knowledge & skills- like Foreign Policy, Political Economy, International relations, Public Policy, Constitution, Five Tier Structure and grass root politics required to win the elections, Election Management, Constituency Development etc.

The political leaders in their active public life are concerned mostly with Social Work focusing on policies related to betterment of the masses. They require trained/skilled manpower to assist them in this endeavor in the following areas- Political Analyst, Political Strategist, Election Consultants, Constituency Managers, Public Relation officer, Social Media analyst, Brand consultants etc.

All these positions require good analytical, research, managerial, leadership & communication skills along with good decision making power. Many professionals work for government and make excellent money, enjoy security in their positions. Think tanks and private firms also provide job opportunities, although the pay in such cases can vary, depending on the grants received and the group's political affiliations. These professionals represent the country in international forums, indulging in debates of grave importance, having meetings with international leaders, passing of bills in parliament etc. They assist to resolve the internal problems and issues as well as we need to make good relation with the other nation.

As professionals work for a corporate organization to enhance its brand equity, a healthy balance sheet and a good customer feedback, politicians are striving hard for their respective political parties and constituency. MIT School of Government, Pune established in 2005, is the only institute in the country to provide experiential learning and training to the young, dynamic leaders of India to take up challenging positions and leadership roles in the democratic fabric of the nation.

YH-829/2018

सतत विकास के लिए जरूरी ढांचे का उन्नयन

हिरण्यमय रॉय

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से जबरदस्त मुनाफा है। इस तथ्य को इसकी भारी मांग से समझा जा सकता है। देश के सतत विकास के लिए 2022 तक बुनियादी ढांचे में 50 खरब (यूएस डॉलर 777.73 बिलियन) के निवेश की आवश्यकता है। बिजली ट्रांसमिशन, सड़कों और राजमार्ग और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में निवेश को बढ़ावा देंगे। भारत में आकर्षक अवसर जैसे अनुकूल मूल्यांकन और आय, क्षेत्रीय संयोजन योजना और इसमें सुधार के लिए विपुल संभवनाएं हैं

सरकार ने बुनियादी ढांचे के व्यापक स्तर पर निर्माण की परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए काफी सार्वजनिक व्यय किया जाएगा और इन्हें निजी भागीदारी, जिसमें विदेशी निवेशकों की मदद भी सम्मिलित है, के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ढांचागत निर्माण में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां परियोजनाओं के पार्श्व प्रभाव या बाहरी कारक होते हैं जिन्हें अकेले सुलझाया नहीं जा सकता है। इसलिए, सरकार ने व्यवहारिक स्तर की समस्याओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय के माध्यम से समय-सीमा के भीतर वित्तीय अनुदान प्रबंधन के लिए विंडो की व्यववस्था की है।

शहरीकरण एक अवसर है और यह प्राथमिकता भी है। इसलिए सरकार ने दो अंतर-संबंधित कार्यक्रम शुरू किए हैं - स्मार्ट सिटीज अभियान और अमृत (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन-AMRUT)। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है। इसके लिए 99 शहरों का चयन किया गया है और 2.04 लाख करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इन शहरों में स्मार्ट कमांड और कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट सड़कें, सोलर कक्ष, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, स्मार्ट पार्क जैसी विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जाना प्रारंभ हो चुका है। परियोजनाओं के अंतर्गत 2350 करोड़ रुपये लागत का कार्य पूरा हो चुका है और 20,852 करोड़ रुपये लागत का कार्य प्रगति पर है।

भारत में विरासत शहरों की आत्मा का संरक्षण एवं पुनर्जीवन के माध्यम के रूप में *राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना* (हृदय) (HRIDAI) को अपनाया गया है। अमृत कार्यक्रम का मुख्य जोर 500 शहरों में सभी परिवारों के लिए जल-आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ की राज्य स्तर की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं; 494 परियोजनाओं के लिए 19,428 करोड़ के जल आपूर्ति अनुबंध और 274 परियोजनाओं के लिए 12,492 करोड़ रुपये लागत के सीवरेज अनुबंध प्राप्त हुए हैं। बुनियादी ढांचागत प्रमुख परियोजनाओं की सहायता के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IIFCL) से सामरिक और बड़े सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया है।

सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में निवेश सहित सरकार ने सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाया है। 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 9000 किमी से अधिक होने का पूरा विश्वास है। महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को आंतरिक की सहज कनेक्टिविटी और पिछड़े क्षेत्रों और देश की सीमाओं के बारे में चरण-1 में 5.35 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर लगभग 35000 किमी के विकास की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार ने कहा, “हम कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं जो विद्युत खरीद समझौतों (PPA) के लिए लागू होंगे। हम पीपीए के लिए किसी विशेष राज्य

लेखक अर्थशास्त्र विभाग, स्कूल ऑफ बिजनेस (एसओबी), पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, (यूपीईएस), देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके पास पढ़ाने और शोध का 17 साल का अनुभव है। उन्होंने नीति आयोग, यूजीसी और विश्व बैंक में कई शोध और सलाहकार संबंधी परियोजनाओं पर काम किया है। ईमेल: h.roy10@gmail.com

तालिका 1: 12 वीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान पूर्ण ढांचागत परियोजनाएं : सार-संक्षेप

क्षेत्र	संख्या	संचयी व्यय (यूएस डॉलर)
सड़क परिवहन और राजमार्ग	91	8.7 बिलियन
विद्युत	73	16.63 बिलियन
पेट्रोलियम	65	19.48 बिलियन
रेलवे	33	3.81 बिलियन
इस्पात	20	8.13 बिलियन
जहाजरानी और बंदरगाह	20	1.78 बिलियन
दूरसंचार	14	463.62 मिलियन
कोल	9	2.26 बिलियन
उर्वरक	6	596.24 मिलियन
नागरिक उड्डयन	5	861.16 मिलियन
शहरी विकास	5	678.83 मिलियन
परमाणु ऊर्जा	1	168.93 मिलियन

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

या एक डिस्काक की वार्षिक औसत मांग का 100 प्रतिशत कवर प्रदान करने जा रहे हैं।'' सरकार की रणनीति का लक्ष्य भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में सुधार करना है, जो कि दुनिया में सबसे कम 1000 केडब्ल्यूएच है। इसकी तुलना में, चीन में प्रति व्यक्ति खपत लगभग 4000 किलोवाट है। विकसित देशों की बिजली की खपत औसत प्रति व्यक्ति 15,000 किलो वाट प्रति व्यक्ति है। सरकार ने मौजूदा विद्युत वितरण कंपनियों के तथाकथित ढुलाई और सामग्री संचालन को अलग करने के लिए एक मूलगामी योजना के बारे में भी बात की है। ढुलाई के अंतर्गत वितरण का पहलू आता है और सामग्री का संबंध विद्युत से ही है। उद्योग की भाषा में, इन्हें "तार'' और "आपूर्ति'' कहा जाता है। इन दोनों का पृथक्करण भारत में जनता और कंपनियों को अपनी पसंद की विद्युत कंपनी से बिजली खरीदने का अवसर प्रदान करेगा और आपूर्ति निकटवर्ती वितरण नेटवर्क सेवा के माध्यम द्वारा संभव होगी। इसके दो फायदे हैं- एक, उपभोक्ता बिजली लेने के लिए अपनी पसंद की विद्युत कंपनी चुन सकेगा। दूसरा, कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बिजली की दर कम होगी, वह सस्ती पड़ेगी। इस प्रकार उद्योगों को दी जा रही छूट के रूप में सब्सिडी का बोझ सरकार पर कम हो सकेगा और 'मेक इन इंडिया' अभियान को बल मिलेगा। सरकार बिजली क्षेत्र में सब्सिडी के लिए बेहतर लक्ष्य के खातिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के उपयोग की दिशा में प्रयासरत है। नीति आयोग ने, जो नीति विशेषज्ञ समूह है, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे के साथ बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मसविदे को आगे बढ़ाया है।

आवास के क्षेत्र में, शहरी गरीब बुनियादी सेवाओं (BSUP) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP) जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) और राजीव आवास योजना (RAY) के घटक हैं, के माध्यम से कम आय समूह (LIG) के लोगों को आवास प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के सम्मुख उपयुक्त भूमि की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। भारत के योजना आयोग (2012-2017) ने शहरी जमीन की कमी को देखते हुए उप-भूमि उपयोग के स्वरूप में भू-खंडों की तकसीम के लिए सहभागी योजना प्रक्रिया के अभाव को समझा और दीर्घकालीन योजना के लिए नियामक शासन को प्रेरित किया।

इस तरह कार्यक्रमों को लागू करने में विलंब होने के कारण लागत बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि आवश्यकतानुसार आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। जिन लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना मकसद था, वे उनकी पहुंच के बाहर हो गए। शहरी बुनियादी ढांचा और शासन (UIG) के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए झुग्गी निवासियों को हटाकर जमीन खाली कराए जाने की जरूरत होती है। इसके लिए उनके पुनर्वास की स्पष्ट नीतियां जरूरी थीं। राजीव आवास योजना (RAY) कार्यक्रम में नए कार्यक्रम के पहले कार्यान्वयन का समय कम था। संक्षिप्त कार्यान्वयन अवधि के बाद इसे सभी के लिए आवास (नगरीय) मिशन 2015 में बदल दिया गया। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MHUPA) के अंतर्गत राजीव आवास योजना के संक्षिप्त विवरण के अनुसार 2013 और 2015 के बीच, 117,707 आवास स्वीकृत किए गए थे और इनमें से केवल 3,378 ही पूरे हो सके थे (MHUPA 2015)। राजीव आवास

योजना का लक्ष्य था सभी के लिए घर और 2022 तक आवास की समस्या का पूरी तरह से समाधान करना। हालांकि, इस कार्यक्रम के लिए 2015-2016 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक बजट आवंटन 40 अरब रुपये है, किसी भी ऐसी बड़ी योजना के लिए यह धनराशि बेहद कम है (MHUPA 2015)।

भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक एकीकृत परिवहन नीति निर्धारण के लिए अध्ययन करने के लिए संस्तुति की है। इस अध्ययन का उद्देश्य मुख्य रूप से अनुमानित यातायात प्रवाह, माल परिवहन और अगले दो दशकों में परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक निवेश पर गौर करना था। इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह सुझाव देना है कि परिवहन व्यवस्था को प्रशासनिक भौगोलिक क्षेत्रों में बदलना चाहिए और विकास के लिए नियामक और नीति के साथ पूंजी निवेश को एकीकृत करना चाहिए। सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ विशेष कदमों में अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौकावहन, रेलवे के लिए समर्पित फ्रेट कॉरीडोर, विद्युत पथकर प्रणाली, मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का विकास, शहरी परिवहन आदि के लिए तेज गति से चलने वाली बस और उनके लिए सामान्य टिकट आदि शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि एक ऐसी नीति विकसित करने की जरूरत है जिससे ऐसा वातावरण विकसित हो सके, जिसमें एकीकृत परिवहन व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और वैकल्पिक प्रणाली के बीच समन्वय को बढ़ावा मिले, लोगों को न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम दक्षता और न्यूनतम लागत से सामानों की ढुलाई की सुवधाएं हासिल हो सकें।

केंद्रीय बजट 2018 ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया है, यह गेम चेंजर सिद्ध हुआ है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी पहल की हैं। बजट में उठाए गए इन कदमों को पुष्ट करने के लिए इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के अवसरों और विकास चालकों के मूल्यांकन का गहन विश्लेषण करने की जरूरत है।

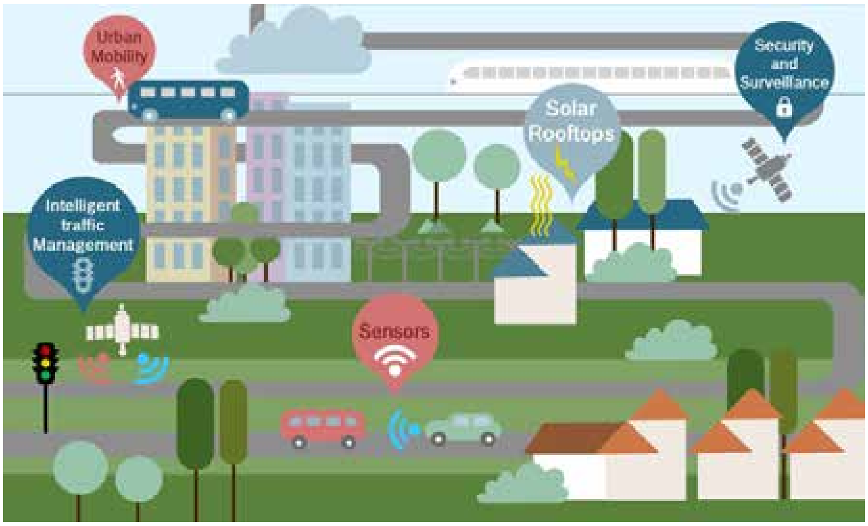

भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के नए रुझान और स्वरूप को समझने के लिए इस क्षेत्र के लिए किए गए अत्यधिक बजट आवंटन, बुनियादी ढांचे के सौदों में तेज बढ़ोतरी, इसमें निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, सुधार सुविधाओं व आपूर्ति सहित अन्य लॉजिस्टकों में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी (FDI) निवेश में बढ़ोतरी आदि विशेषताओं को देखना होगा।

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से जबरदस्त मुनाफा है। इस तथ्य को इसकी भारी मांग से समझा जा सकता है। देश के सतत विकास के लिए 2022 तक बुनियादी ढांचे में 50 खरब (यूएस डॉलर 777.73 बिलियन) के निवेश की आवश्यकता है। बिजली ट्रांसमिशन, सड़कों और राजमार्ग और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में निवेश को बढ़ावा देंगे। भारत में आकर्षक अवसर जैसे अनुकूल मूल्यांकन और आय, क्षेत्रीय संयोजन योजना (Regional Connectivity Scheme) और इसमें सुधार के लिए विपुल संभवनाएं हैं। अभी तक केवल 24 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग ही ऐसे हैं जो चार लेन के हैं। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक फायदा इतना अधिक है कि 2017 में प्रमुख वैश्विक कंपनियां, जैसे चीन हार्बर इंजीनियरिंग (China Harbour Engineering) और मिजुहो वित्तीय समूह (Mizuho Financial Group) इस ओर आकर्षित हुई हैं।

स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत अगले दशक में सैकड़ों नए शहरों को विकसित करने की जरूरत है। इसमें विश्व स्तर पर भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्माण बाजार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकने की संभावना है। इस क्षेत्र के माध्यम से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 15 प्रतिशत योगदान की उम्मीद है।

दिलचस्प स्थिति यह है कि एक 'सभी के लिए घर' और 'स्मार्ट सिटीज मिशन' जैसी योजनाओं के समर्थन की भारत सरकार की नीति बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में कारगर है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना-उदय (UDAY) बहुत परिवर्तनकारी सिद्ध हुई है। भारत की बिजली वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार और बिजली क्षेत्र के जबरदस्त विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति है।

सड़क मार्गों के विस्तार की गति मुकम्मल हो चुकी है। भारत में सड़कों और पुलों के रूप में हुए निर्मित बुनियादी ढांचे की कुल अनुमानित यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) मूल्य वित्त वर्ष 2009-17 में 13.6 प्रतिशत से 19.2 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इनके समग्र सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस सूचकांक वृद्धि में विद्युत (10 प्रतिशत), इस्पात (9

तालिका 2 : इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर पूंजी परिव्ययः केंद्रीय बजट 2018

	RE 2017-18 (करोड़)	BE 2018-19 (करोड़)	प्रति परिवर्तन
कोयला मंत्रालय	14478	15799	9.124188
पूर्वोत्तर क्षेत्र (बुनियादी के लिए) के विकास मंत्रालय	330	600	81.81818
नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय	9466	10317	8.99007
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	87319	89210	2.165623
बिजली मंत्रालय	64318	53469	-16.8678
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	2543	4086	60.67637
दूरसंचार विभाग	9786	16986	73.57449
रेल मंत्रालय	80000	93440	16.8
आवास और मंत्रालय शहरी मामलात	15193	39937	162.8645
मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग	59279	62000	4.590158
नौवहन मंत्रालय	3165	4042	27.70932
इस्पात मंत्रालय	11428	11294	-1.17256
कुल योग	**357305**	**401180**	**12.2794**

स्रोतः केंद्रीय बजट 2018

प्रतिशत), रिफाइनरी उत्पाद (8.9 प्रतिशत), सीमेंट (5.8 प्रतिशत) और उर्वरक (3.3 प्रतिशत) सबसे आगे रहे। अप्रैल-अक्टूबर 2017 के बीच सूचकांक में संचयी वृद्धि (cumulative growth) 3.5 प्रतिशत थी।

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास चालकों में सरकार की पहल, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, आवास विकास, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) है। बुनियादी ढांचे के लिए 2017-18 में कुल आवंटित बजट 61.48 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इसमें सम्मिलित मुख्य क्षेत्र हैं- रेलवे और मेट्रो रेल, निर्माण, दूरसंचार और ऊर्जा, सड़क और हवाई अड्डा।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में जो अवसर विकसित हो रहे हैं वे सामान्य तौर पर सरकारी पहल, अंतर्राष्ट्रीय संघों और भारतीय नगरीय रियल एस्टेट के माध्यम से हो रहे हैं। सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए कुल 61.48 बिलियन अमेरिकी डालर आवंटन का प्रावधान है। जापानी निवेश ने भारत की विकास कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जापान ने भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014-19 की अवधि के लिए 35 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश का वचन दिया है। जापानी सरकार लगातार भारत में निवेश के अवसरों की तलाश में है। मध्य प्रदेश में छोटे शहरों के तीव्र नगरीकरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एक पाइपयुक्त पानी की आपूर्ति परियोजना के लिए 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, जिसमें 3 लाख घरों को शामिल किया जाएगा। भारत को 2022 तक सभी के लिए घर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन 43,000 मकान बनाने की आवश्यकता 2022 तक रहेगी। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत अगले दशक में सैकड़ों नए शहरों को विकसित करने की जरूरत है। इसमें विश्व स्तर पर भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्माण बाजार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकने की संभावना है। इस क्षेत्र के माध्यम से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 15 प्रतिशत योगदान की उम्मीद है। नए नीतिगत सुधार जैसे रियल एस्टेट अधिनियम, जीएसटी, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) से मंजूरी मिलने में लगने वाली देरी कम होगी। इस प्रकार के प्रयासों से रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र को मजबूती ही मिलेगी।

सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए कुल 61.48 बिलियन अमेरिकी डालर आवंटन का प्रावधान है।

सरकार ने वित्त वर्ष-19 में 5.1 मिलियन ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान हालिया बजट में कर दिया है और प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत इस साल 5.1 मिलियन आवास निर्मित हुए हैं। सस्ते आवास के इस अभियान को तेज करने के सरकार के फैसले से सिमेंट, स्टील, पेंट्स, सेनेटरी वेयर और इलेक्ट्रिकल सहित क्षेत्र लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में सस्ते हाउसिंग निधि का सृजन सस्ते आवास योजना के लिए ही करेगी। उन ग्रामीण परिवारों को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शामिल नहीं आते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत अगले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे का सृजन और उन्नयन के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपये तक निवेश करने जा रहा है। उन्होंने कहा,"विकास और जीडीपी में वृद्धि, जनता को अच्छी गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने, राष्ट्र के सभी हिस्सों को परस्पर जोड़ने और एकीकृत करने के लिए सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग के तंत्र को विकसित करना होगा। इसके लिए हमारे देश को बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश, अनुमान है कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश की आवश्यकता है।"

संसाधनों को बढ़ाने के लिए, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स का उपयोग कर सकती हैं। बजट में भी आयातित पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपये लीटर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर लगाया है। सरकार और बाजार नियामकों ने भी मौद्रिक माध्यमों जैसे बुनियादी ढांचे निवेश ट्रस्ट (InvIT) और रियल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (ReITS) के विकास के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। सरकार को भी अगले साल से बुनियादी ढांचे निवेश ट्रस्ट

उपयोग करते हुए मौद्रिक माध्यम के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परिसंपत्ति का चयन करना होगा।

नई एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना मॉडल के एक हिस्से के रूप में एनडीए सरकार 2018-19 में 1.48 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा रेलवे और 1.21 लाख करोड़ रुपये का रोड बजट लायी है। भारत को बाजार से इक्विटी बढ़ाकर उसके माध्यम से अपने परिवहन ढांचे में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सागरमाला (बंदरगाह) और भारतमाला के लिए फंड की जरूरत है। अपनी तैयार सड़क परिसंपत्तियों के लिए बाजार से इक्विटी प्राप्त करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अपनी सड़क परिसंपत्तियों को विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) और टोल ऑपरेट और ट्रांसफर (TOT) और बुनियादी ढांचे निवेश ट्रस्ट (InvIT) जैसे मुद्रीकरण संरचना के नवाचारों पर विचार करेगा। भारतमाला के लिए अनुमानित कुल निवेश 10 लाख करोड़ रुपये हैं। यह सरकार की सड़क निर्माण योजना में सबसे अधिक खर्च वाली योजना है। इसके अतिरिक्त 2035 तक 8 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत सागरमाला योजना के लिए होगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार को यकीन है कि वह 2017-18 के दौरान 9000 किमी लंबाई से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा कर लेगी। देश में 3.3 मिलियन किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है।

अगले वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे के लिए अनुमानित योजना परिव्यय 1.48 लाख करोड़ रुपये है। यह राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा है। इसमें 3,999 किमी रेल पथ नवीनीकरण,12,000 वैगनों की खरीद, सुरक्षा निधि 20,000 करोड़ रुपये और 6,000 किलोमीटर की विद्युतीकरण के लिए नियोजित है। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर 28,500 करोड़ रुपये भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) बंधपत्र जैसे अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों से और 26,440 करोड़ रुपये अन्य उधारों के माध्यम से जुटायेंगे। एक एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फीडबैक इंफ्रा के अध्यक्ष विनायक चटर्जी ने कहा है कि रेलवे की पूंजीगत व्यय योजना विद्युतीकरण, सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। यात्री सुरक्षा और सुविधायें और दक्षता बढ़ाने के लिए गैर-किराया राजस्व में वृद्धि पर मुख्य जोर रहता है।

आवास और विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र (बुनियादी ढांचे के लिए) के लिए 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बजट में आवंटन सबसे अधिक है और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवंटन में समग्र वृद्धि 12.27 प्रतिशत है।

इस प्रकार, केंद्रीय बजट 2018 ने बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की आवश्यकता भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालक और भावी आर्थिक विकास के लिए उसके महत्व को समझा है। केंद्रीय बजट-2018-19 में जो अवसंरचना प्रावधान है उनसे जीडीपी में वृद्धि, कनेक्टिविटी में मजबूती, विशेष रूप से सीमा क्षेत्र का मुख्य भूमि से जुड़ाव जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, परिवहन, पर्यटन और समग्र बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री ने भी शहरी भारत की तकनीकी और डिजिटल समस्याओं का स्मार्ट समाधान प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन का उल्लेख किया है। शहरी भारत में सेवा प्रदाता के लिए अमृत और विरासत शहरों के संरक्षण के लिए हृदय और पर्यटन एवं विरासत स्थलों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ❑

जारी... (पृष्ठ सं. 35 से)

बाल स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन के तहत दो बार इसकी बैठक होती है।

फोरम की बैठक 'द पार्टनरशिप' के मिशन और प्रतिबद्धता के पुनर्नवीनीकरण के लिए नियमित तौर पर वैश्विक मंच मुहैया कराती है।

साझेदारों के फोरम बोर्ड में हर वर्ग समूह के प्रतिनिधि हैं। यह 'द पार्टनरशिप' के मकसदों को लेकर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के अलावा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। फोरम सक्रियता के साथ सूचनाओं और अनुभव के आदान-प्रदान के जरिये योजनाओं और गतिविधियों में इजाफा करता है। यह विशेष मकों और बाधाओं के बारे में भी प्रमुखता से बताता है, जिस पर बोर्ड को ध्यान देना पड़ता है। अब तक साझेदारों के फोरम की तीन बार बैठक हो चुकी है: 2008 तंजानिया में, 2010 में भारत में और 2014 में दक्षिण अफ्रीका में। फिलहाल बोर्ड की चेयरमैन ग्राक मैचल हैं। अफ्रीकी प्रोग्रेस पैनल और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य प्रतिपालन समूह में उनके योगदान की काफी प्रशंसा हुई है। इस बोर्ड के सह-चेयरमैन सीके मिश्रा, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ फ्लेविया बुस्ट्रेओ हैं।

हालिया गतिविधियां

स्विट्जरलैंड के जिनीवा मे 25-28 मार्च के दौरान 138वीं अंतर-संसदीय सभा (आईपीयू) हुई। पीएमएनसीएच ने आईपीयू और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर 'किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए निगरानी और जवाबदेही' विषय पर सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और चिली के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. मिशेल बाचेलेत और पीएमएनसीएच के आगामी बोर्ड चेयरमैन समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पीएमएनसीएच फोरम का संरक्षक बनने पर सहमति जताई और फोरम का लोगो भी स्वीकार कर लिया।

साझेदारों के फोरम की आगामी बैठक 12-13 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में होगी। साझेदारों का फोरम वैश्विक विकास कैलेंडर के तहत एक अहम आयोजन के तौर पर महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए हर महिला, हर बच्चा संबंधी वैश्विक रणनीति (2016-30) और 2030 के टिकाऊ विकास लक्ष्यों के अमल को रफ्तार देगा।

विकास के लिए 2018 को अहम साल मानते हुए साझेदारों का फोरम महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए साझा वित्तीय लक्ष्यों की खातिर तमाम पक्षों को सहयोग के जरिये मजबूत करेगा। साझीदारों का फोरम स्वतंत्र जवाबदेही कमेटी (आईएपी) की 2017 की रिपोर्ट की सिफारिशों पर भी जल्द काम करेगा। इस रिपोर्ट में 2020 ईडब्ल्यूईसी पार्टनर्स के ढांचे के तहत हुई प्रगति की संयुक्त समीक्षा के लिए समग्र प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की बात है। ❑

You Deserve the Best...

Niraj Singh (M.D.)

Divyasen Singh (Co-ordinator)

IAS
GS WORLD
IAS PCS
Committed To Excellence
ISO 9001 Certified
PCS

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch Starts...

दिल्ली केन्द्र
17 MAY
11:45 am

इलाहाबाद केन्द्र
8 MAY
8:00 am
22 MAY
5:00 pm
हिन्दी *& English Medium*

लखनऊ केन्द्र
15 MAY
11:50 am
हिन्दी *& English Medium*

जयपुर केन्द्र
Prepartation for RAS
9 MAY
8:00 am

IAS INTEGRATED MAINS TEST SERIES-2018

NCERT Mains Test Series
Total Test - 10

Magazine & TV Debate Test Series
Total Test - 20

IAS-2018 Specific Mains Test Series
Total Test - 12

ESSAY Test Series
Total Test - 10

Complete 52 Test
₹ 15000/-

At all GS World Center

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09
Ph.:7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr,
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. :9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-792/3/2017

सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

मनीषा वर्मा

NATIONAL
HEALTH POLICY 2017
TOWARDS A HEALTHY
TOMORROW

स्वास्थ्य मंत्रालय, लाभार्थी के क्षमता से अधिक (आउट आफ पॉकेट) खर्चों को कम करने के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामर्थ्य और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर लगातार कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारी उपचार केन्द्रों में नि:शुल्क ड्रग्स एवं डायग्नोस्टिक कार्यक्रम के माध्यम से नि:शुल्क आवश्यक दवाइयां और निदान सूचक सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। अन्य अभिनव पहल के अंतर्गत कम कीमत की दवाइयां और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं

देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में, गत चार वर्षों में बहुत अधिक कार्य हुआ है। चाहे नीतिगत बदलाव हो, नए कार्यक्रम हों अथवा योजनाएं हों और चाहे वित्तीय अथवा वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना हो, स्वास्थ्य देखभाल के प्रत्येक पहलू में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। सरकार समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए 'सबका साथ सबका विकास' के तहत स्वास्थ्य का विषय इसके केन्द्र बिंदु में रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अधिक कमजोर और सेवा से वंचित तबके तक हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने सबके लिए स्वास्थ्य-कवरेज को विस्तारित करने के लिए कई पहलें की हैं।

नीतिगत मामलों के फ्रंट पर, देश के बदलते सामाजिक-आर्थिक और महामारी विज्ञानगत परिदृश्यों के चलते पैदा हुई वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से 15 वर्षों के अंतराल के बाद, उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की घोषणा है। जबकि, इस नीति में देश के स्वास्थ्य देखभाल के सभी घटकों को समाहित किया गया है और इसका मुख्य फोकस निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और ऐसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, इन्हें समर्थकारी बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर है। अन्य नीतिगत प्रयासों में, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, एचआईवी तथा एड्स (निवारक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 और देश की सभी मेडिकल सीटों में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश-परीक्षा हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन करना शामिल है। *राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट)* के अंतर्गत पहली बार निजी कालेजों और मान्य विश्वविद्यालयों सहित सभी के लिए एक समान प्रवेश-परीक्षा है। साथ ही, मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा की मेरिट-सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यांगों के लिए वार्षिक स्वीकृत इनटेक क्षमता में वृद्धि करते हुए इसे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

पूरे देश में सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज को विस्तारित करने हेतु दूसरी युगान्तकारी पहल *आयुष्मान भारत* है। दो घटकों अर्थात 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) और *राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम)* के माध्यम से युनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में अपने कदम बढ़ाते भारत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2018 को जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) के जंगल में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरूआत की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम) सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनने वाली है। इससे जनसंख्या के उस तबके की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब तक छिपी रही थी। इसका उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को आपात स्थिति में भारी भरकम स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से बचाना है। 50 करोड़ लोगों (लगभग 10 करोड़ परिवारों से)

लेखिका भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मीडिया एवं संचार निदेशक हैं। ईमेल: pibhealth@gmail.com

आयुष्मान भारत योजना
2018

को 5,00,000 रुपये प्रति परिवार/प्रतिवर्ष के हिसाब से स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने पर कमोबेश सभी द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सा देखरेख को शामिल करते हुए लगभग 40 प्रतिशत आबादी को इससे लाभ पहुंचेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय, लाभार्थी के क्षमता से अधिक (आउट आफ पॉकेट) खर्चों को कम करने के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सामर्थ्य और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर लगातार कार्य कर रहा है। *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन* के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी सरकारी उपचार केन्द्रों में *निःशुल्क ड्रग्स एवं डायग्नोस्टिक* कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क आवश्यक दवाइयां और निदान सूचक सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। अन्य अभिनव पहल के अंतर्गत कम कीमत की दवाइयां और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 22 राज्यों में फैली 124 अमृत फार्मेसी के माध्यम से 5200 से अधिक औषधियां (कार्डियोकैस्बुअल, कैंसर डायबिटिज, स्टाट्स आदि से संबंधित औषधियों सहित) इम्लांट सर्जिकल डिस्पोथजेबल्सि तथा अन्य कंज्यूमेबल्स को बाजार दरों की तुलना में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय छूट पर बेचा जाता है। कुल 566.36 करोड़ रुपये के एमआरपी मूल्य वाली औषधियां 254.36 करोड़ रुपये में प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों के 311.90 करोड़ रुपयों की बचत हुई। *प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएम-एनडीपी)* के अंतर्गत 2,37,139 रोगियों को सेवाएं प्रदान की गई और 497 डायलिसिस ऑपरेशनल यूनिटों/केन्द्रों और 3330 टोटल ऑपरेशनल डायलिसिस मशीनों के द्वारा 22,84,353 निःशुल्क डायलिसिस संचालित किए गए। इसके साथ ही अपने *मातृका स्वास्थ्य कार्यक्रम* के हिस्से के रूप में 6485.17 करोड़ रुपये के व्यय के साथ जननी शिशु योजना के अंतर्गत 388.65 लाख माताओं को लाभ पहुंचाया गया। इसके परिणामस्वरूप देश में संस्थागत शिशु जन्म (डिलीवरी) की दर 47 प्रतिशत (डीएलएचएस-3, 2007-08) से बढ़कर 78.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-4 2015-16) पहुंच गई है। एक नए कार्यक्रम, *प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान* से 1.16 करोड़ प्रसूति-पूर्व जांचों के माध्यम से 6 लाख से अधिक उच्च जोखिम की गर्भावस्था का पता लगाने में मदद मिली। एक अन्य नई पहल है- *लक्ष्य-लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल* जो 11 दिसम्बर, 2017 को शुरू की गयी है। यह लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों से संबंधित मुख्य प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक केन्द्रीकृत और लक्षित दृष्टिकोण है।

एनएचएम के अंतर्गत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा समय में पूरे देश भर में 1416 सचल मेडिकल यूनिटें और 24276 रोगीवाहन (104/108) प्रचालन में हैं। जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7990 निर्माण कार्यों और 9615 मरम्मत कार्यों को पूरा किया गया, देश भर में 73879 'आशा' कर्मियों का चयन किया गया और 76283 स्वास्थ्य किटें मुहैया करायी गई तथा 8149 आयुष चिकित्सक नियुक्त किए गए। एक सफल और युगान्तकारी उपलब्धि यह रही है कि भारत को, दिसम्बर, 2015 की वैश्विक लक्ष्य 6 तारीख के बहुत पहले अप्रैल, 2015 में ही *मातृत्व एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एनएनटीई)* के लिए अभिपुष्ट कर दिया गया था। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में पांच वर्ष के अंदर होने वाली मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से नीचे गिरा है। *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन* की अवधि के दौरान आईएमआर में कमी की वार्षिक मिश्रित दर प्रतिशतता भी 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। देश की समग्र गर्भाधान दर (टीएफआर) 1990 में 3.8 से घटकर 2005 में 2.9 तथा वर्ष 2013 में 2.3 हो गई है और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही 2.1 से कम का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर लिया है।

एनएचएम के अंतर्गत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा समय में पूरे देश भर में 1416 सचल मेडिकल यूनिटें और 24276 रोगीवाहन (104/108) प्रचालन में हैं। जन स्वास्थ्य प्रणालियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 7990 निर्माण कार्यों और 9615 मरम्मत कार्यों को पूरा किया गया, देश भर में 73879 'आशा' कर्मियों का चयन किया गया और 76283 स्वास्थ्य किटें मुहैया करायी गई तथा 8149 आयुष चिकित्सक नियुक्त किए गए।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व की सबसे बड़ी जनस्वास्थ्य कार्य योजना अर्थात पांच नइ वैक्सीन (मीजल्स-रूबेला, न्यूनमोकोकाल, रोटावायरस, इनएक्टीतवेटेड पोलियो और जापानी इंसेफलाइटिस) की शुरुआत द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार है, जिसमें अब कुल वैक्सीन की संख्या 12 हो गई है। *मिशन इन्द्रधनुष*, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसने 528 जिलों में अपने 4 चरण पूरे कर लिए हैं। इस मिशन मोड स्कीम के अंतर्गत 2.55 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया और 66.57 लाख गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टी.बी. मुक्त भारत की उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) के हिस्से के रूप में 400,000 से अधिक डॉटा केन्द्रों, 74 कल्चर एवं ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में ड्रग-रजिस्टेंट टी.बी. ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण के निदान संबंधी नेटवर्क के माध्यम से ड्रग सेंसिटिव टी.बी. का उपचार मुहैया कराया जाता है।

से प्रतिरक्षित किया गया और 68.78 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के अकेले पहले दो चरणों में विगत 1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में एक वर्ष में संपूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल यही नहीं, 90 प्रतिशत के समग्र प्रतिरक्षण का लक्ष्य प्राप्त करने की तारीख को प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय से पहले इसे दिसम्बर, 2019 में ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वडनगर, गुजरात में 8 अक्तूबर, 2017 को गहन मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसे 121 जिलों, 17 शहरी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों (24 राज्यों के कुल 190 जिलों/शहरी क्षेत्रों में) में संचालित किया जाएगा।

केवल प्रतिरक्षण ही नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बच्चे के जीवन के हर एक स्त्री अर्थात् पूर्व प्रसूति से लेकर किशोरवय और वहां से परिवार नियोजन एवं गर्भाधान स्तर तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई एक कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। *एमएए-मदर्स एब्सोकल्यूवट अफेक्शन* ने दुग्ध-पान पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया है। बचपन में होने वाले डायरिया के कारण बच्चों में होने वाली मृत्यु का सामना करने के लिए गहन-डायरिया-नियंत्रण-पखवाड़े के माध्यम से वर्ष 2014 से अब तक 5 वर्ष से कम आयु के 2213 करोड़ बच्चों तक पहुंच कायम की गई है। मृदा संचारित हेलमिंथ संक्रमणों पर काबू पाने के लिए विकृमिरोग दिवस के हिस्से के रूप में वर्ष 2014 से, 1 से 19 वर्ष के समूह में, बच्चों को अल्बेंडाजोल की 97 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं। साथ ही, देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के प्रबंधन हेतु 1150 पोषणीय पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 4डी अर्थात जन्म के समय विकृतियां, बीमारियां, कमियां तथा विकास में विलंब की शीघ्र पड़ताल और प्रबंधन के द्वारा शिशु स्वास्थ्य जांच तथा शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं तथा तृतीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में शल्य-चिकित्सा सहित चिन्हित की गई 30 स्वास्थ्य दशाओं के नि:शुल्क प्रबंधन के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। सितम्बर, 2017 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1.55 करोड़ बच्चों को उपचार प्राप्त हो चुका है। किशोरवय स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के साथ *राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम* की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किशोरवय अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों में 7516 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इन क्लिनिकों में एक वर्ष में लगभग 60 लाख किशोर परामर्श और क्लिनिकल सेवाएं प्राप्त करते हैं।

इस मंत्रालय ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्राथमिकता तय की है। वर्ष 2016 में *मिशन परिवार विकास* कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि मुख्य पहलों के साथ-साथ 146 उच्च गर्भाधान वाले जिलों की निरोधों और परिवार नियोजनों के उपायों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। इसके अंतर्गत, उप-केन्द्र स्तर तक नवीन निरोधक उपलब्ध कराए जाते हैं। नई पहल के भाग के रूप में, नव दम्पतियों को 'आशा' कर्मियों द्वारा परिवार नियोजन किट मुहैया करायी जाती है। परिवार नियोजन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर खुली बातचीत करने के लिए युवा विवाहित महिलाओं और उनकी सास को बढ़ावा देने हेतु सास-बहू सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा पूरे देश में परिवार नियोजन विकल्पों की बास्केट में तीन नए निरोधकों को शामिल किया गया है अर्थात- अन्तर कार्यक्रम के अंतर्गत इंजेक्टेबल कान्ट्रा सेप्टिव एमपीए (मीड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट), केन्चे रोमन (छाया) तथा प्रोजेस्टेवरोन ऑनली पिल्स और इंजेक्टेकबल तथा सेन्ट्क्रोमेन शुरू किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में चिकित्सा अवंसरचना को सुदृढ़ एवं प्रवर्धित करने के लिए नए 'एम्स' की घोषणा की गई है तथा विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, वहन करने योग्य विश्वसनीय तृतीय स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना है।

जुलाई, 2014 से छह कार्यशील 'एम्स' में (पिछले एक वर्ष में बढ़ाए गए 850 बिस्तरों सहित) 1675 बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2017-18 में झारखण्ड और गुजरात में 2 नए 'एम्स' की घोषणा की गई है। उक्त छह 'एम्स' में सेवाओं के बास्केट में विस्तार किया गया है और वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 163 बड़ी सर्जरी की जा रही हैं। साथ ही, चार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है जिससे 902 अस्पताल बिस्तरों, छह सुपर स्पेशियलिटी विभागों और तीन ट्रॉमा सेंटरों की वृद्धि हुई तथा 13 और राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्तरोन्नयन परियोजनाओं के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में, पिछले चार वर्षों में कुल 92 मेडिकल कॉलेजों (46 सरकारी और 46 निजी) की स्थापना की गई है। इसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में एमबीबीएस की 15354 (राजकीय कॉलेजों में 6519 और निजी कॉलेजों में 8835) सीटों तथा पीजी सीटों में कुल 12646 (ब्राड एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम) सीटों की वृद्धि हुई है।

जुलाई, 2014 से छह कार्यशील 'एम्स' में (पिछले एक वर्ष में बढ़ाए गए 850 बिस्तरों सहित) 1675 बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है और वर्ष 2017-18 में झारखण्ड और गुजरात में 2 नए 'एम्स' की घोषणा की गई है। उक्त छह 'एम्स' में सेवाओं के बास्केट में विस्तार किया गया है और वर्तमान में प्रतिमाह औसतन 163 बड़ी सर्जरी की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 तक टी.बी. मुक्त भारत की उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) के हिस्से के रूप में 400,000 से अधिक डॉटा केन्द्रों, 74 कल्चर एवं ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण प्रयोगशालाओं में ड्रग-रजिस्टेंट टी.बी. ड्रग ससेप्टिबिलिटी परीक्षण के निदान संबंधी नेटवर्क के माध्यम से ड्रग सेंसिटिव टी.बी. का उपचार मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही, 14000 से भी अधिक अभिहित किए गए माइक्रोस्कोपी केन्द्रों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण निदान और एक्टिव केस फाइंडिंग के अंतर्गत 5.5 करोड़ की आबादी को कवर करते हुए टी.बी. लक्षणों के घर-घर जाकर जांच करने संबंधी उपाय भी शामिल हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि टी.बी. रोगियों के उपचार में पुष्ट आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सरकार ने डीबीटी (केन्द्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणानुसार) के द्वारा टी.बी. उपचार की अवधि के दौरान सभी टी.बी. रोगियों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का अनुमोदन प्रदान किया है।

एक दूरदर्शी कदम के रूप में, *राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण* कार्यक्रम के अंतर्गत, 'टेस्ट एंड ट्रीट' नीति का शुभारंभ किया गया है। इसमें, सीडी काउन्ट अथवा क्लिनिकल स्टेज को नजरअंदाज करते हुए एंटी रेट्रो वायरल (एआरवी) के सभी रोगियों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा एआरवी उपचार के दायरे में 01 लाख से भी अधिक अतिरिक्त एचआईवी संक्रमित लोगों को लाया गया है। इसका यह भी अर्थ है कि एचआईवी से संक्रमित 11.75 लाख से भी अधिक लोग एआरवी उपचार पर हैं, जो मार्च, 2014 की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग की बात करती है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास इंटर ऑपरेबल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्डस (ईएचआर) प्रणाली, टेलीमेडिसिन सेवाएं, जन स्वास्थ्य आईटी सोल्यूशंस (मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम/प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अनुप्रयोग, किलकारी एप्प, मोबाइल एकेडमी, एएनएम ऑनलाइन ड्रग्स एवं वैक्सीन विवरण प्रबंधन प्रणाली (ई-औषधि), टी.बी. रोगी निगरानी प्रणाली, 'निक्षय', केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा सुगम और (ई-रक्त कोष आदि) तथा वेब पोर्टलों और मोबाइल एप्लीकेशंस (नेशनल हेल्थ पोर्टल, पीएमएसएमए पोर्टल, मेरा अस्पताल (माय हास्पिटल), एम डायबिटिज कार्यक्रम, इंडिया फाइट्स डेंगू एप्प आदि के विकास सहित कई आईटी प्रयास विद्यमान हैं।

विभिन्न रणनीतिक अभियानों के माध्यम से वहन करने योग्य, पहुंच वाली, गुणवत्ता- पूर्ण स्वास्थ्य देख-रेख मुहैया कराने की दिशा में बहुत तीव्र रूप से फोकस रहा है। इन सभी अभियानों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव शक्ति को सुदृढ़ करने संबंधी पहलों और अवसंरचना मांगों को पूरा करने संबंधी कदमों का संपूर्ण रचनातंत्र शामिल है। ये सारे प्रयास *स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत* की उपलब्धि हासिल करने की दिशा में किए जा रहे हैं। ❑

IAS THE COUNCIL™ PCS

Since 2003 | एक विश्वसनीय संस्थान

Our Identity is QUALITY, QUALITY & QUALITY

सामान्य अध्ययन

दिल्ली आधारित अनुभवी एवं सशक्त हमारी टीम

कुमार गौरव, अनुज सिंह, शरद त्रिपाठी, धर्मेन्द्र, अनिल केशरी, हामिद खान, बी.के. सिंह, संजय भारद्वाज, निशान्त श्रीवास्तव, मु. सलीम एवं अन्य

हमारी विशेषता- पाठ्यक्रम के संचालन एवं समापन में समयबद्धता

फाउंडेशन कोर्स
बैच प्रारम्भ (प्रत्येक माह)
प्रथम बैच-8 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

मुख्य परीक्षा विशेष
बैच प्रारम्भ (प्रत्येक माह)
प्रथम बैच-10.30 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

वैकल्पिक विषय

भूगोल
द्वारा
कुमार गौरव

समाजशास्त्र
द्वारा
Dharmendra Sociology, Delhi

Mumfordganj Branch : Nigam Chauraha, Allahabad
Civil Lines Branch : Ganpati Tower, 56 Sardar Patel Marg, Allahabad
Contact : 09415217610, 07068696890, 0532-2642349

YH-831/2018

सामाजिक न्याय के लिए विशेष पहल

स्वदेश सिंह
देवीदयाल गौतम

> हमने अबतक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था लेकिन केंद्र सरकार ने सशक्तीकरण के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी नई कोशिश के तहत जिले को भी एक केंद्र माना है। अगर जिला ही पिछड़ा होगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो वहां रहने वाला हर नागरिक दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के 115 जिलों को चुना गया है और उनके विकास की अलग से योजना तैयार की गई है। इन पिछड़े जिलों में अब नई सोच के साथ काम हो रहा है

2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि यह गरीबों और वंचितों की सरकार है और जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और कार्यक्रम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। पिछले चार साल में जो योजनाएं बनीं और कार्यान्वित हुईं उनका लाभ अब तक नीचे तक पहुंचने लगा है और साफ तौर पर दिखने भी लगा है।

सामाजिक सशक्तीकरण की नई सोच

हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए *समूह आधारित उपागम* (ग्रुप बेस्ड अप्रोच) को स्वीकार किया गया। हमने संविधान निर्माण के दौरान ही समूह को लक्षित करके प्रावधान बनाए। समाज के पिछड़े, वंचित, दलित और हाशिए के समाज के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन और सशक्तीकरण के लिए हमने उन्हें विभिन्न समूहों के रूप में चिन्हित किया और सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को अपनाया। हमने माना कि जब शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए लोगों को बराबरी पर लाया जाएगा तो बाकी समस्याएं भी खत्म होती जाएंगी। हालांकि ऐसा पूरी तरीके से नहीं हुआ और दूसरे कानून भी बनाने पड़े जिसमें दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने वाला कानून प्रमुख है।

1950 में सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए लागू किए गए आरक्षण का दायरा बढाना पड़ा। हमने सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी जाति को आधार मानकर 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब जब लाखों-करोड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके के युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या तो करीब तीन करोड़ पर सीमित है जबकि सामान्य स्नातक से लेकर आईआईटी, आईआईएम और पीएचडी तक पढ़ाई करने वाले दलित और पिछड़े समाज के युवाओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। इसलिए वंचित और हाशिए के समाज के लिए नए तरीके की समझ विकसित कर काम करने की जरूरत थी। अब ऐसा होता दिख रहा है।

14 अप्रैल, 2018 को नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बीजापुर में *आयुष्मान भारत योजना* का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'पुराने रास्तों पर चलते हुए आप कभी भी नई मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते हैं। पुराने रास्तों से नई चीजें नहीं हासिल होती हैं। इसलिए हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है।'

मोदी सरकार का दर्शन है - सबका साथ सबका विकास। इसमें प्रयास है कि समाज की उस अंतिम औरत तक हर वह सुविधा पहुंचाई जाए जिन्होंने आजादी के सत्तर साल बाद भी विकास के सूरज की रोशनी नहीं देखी है।

समावेशीकरण

मौजूदा सरकार के गठन के बाद ही जनधन योजना शुरू की गई जिससे वित्तीय

स्वदेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं। ईमेलः swadesh171@gmail.com
देवीदयाल गौतम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबद्ध हैं।

समावेशीकरण की प्रक्रिया चालू हुई। हर उस व्यक्ति का अकाउंट खुला जिसे सरकारी योजना का लाभ मिलता था। करीब तीस करोड़ अकाउंट आज तक खोले जा चुके हैं। ये अकाउंट उन लोगों के हैं जिनके अब तक खुले नहीं थे और इनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वंचित समाज के इन लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाला पैसा सीधे अकाउंट में मिल रहा है और उन्हें किसी बिचौलिए को हिस्सा नहीं देना पड़ रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को लोन वितरित किए गए, जिनमें दलित, पिछड़े और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी।

उद्यमिता को बढ़ावा

स्टैंड अप योजना में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इस योजना के तहत देश की एक लाख पच्चीस हजार बैंक शाखाओं के माध्यम से दो उद्यमियों को व्यापार में आर्थिक मदद की बात की गई थी। इस योजना के तहत भी वंचित समाज के बहुत से लोगों को अपना उद्योग शुरू करने में मदद मिली है। हाल ही में इस योजना में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसके तहत अब बीस लाख रुपए तक भी सहायता मिल रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दलित वेंचर कैपिटलिस्ट फंड की स्थापना की गई जिसके तहत दलित समाज के उद्यमियों को व्यापार में पूंजी की मदद का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत भी दलित समाज से आने वाले कई उद्यमियों को लाभ पहुंचा है। *दलित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स* के अध्यक्ष मिलिंद कांबले ने भी साफ किया है कि हर शिक्षित दलित को नौकरी नहीं मुहैया कराई जा सकती इसलिए सूक्ष्म-उद्यमी बनने का प्रयास सबको करना चाहिए और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रवेश की कोशिश करनी चाहिए।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018 के अपने बजट भाषण में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 56,619 करोड़ रुपये और जनजातियों के विकास के लिए 39,135 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य लिया है। ऐसे समय में जब नौकरियां सीमित हैं तो उद्यमिता की तरफ ही हमें आगे बढ़ना होगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। आज दलित और पिछड़े समाज के हजारों युवा मुद्रा, स्टैंड अप और अन्य योजनाओं के माध्यम से अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं और लाखों लोगों को नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने स्वच्छता उद्यमी योजना शुरू की है जिसमें स्वच्छता अभियान ने जुड़े व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को आर्थिक मदद दी जा रही है।

संवैधानिक प्रावधान

अप्रैल 2016 में दलित उत्पीड़न को रोकने वाले कानून को और भी सख्त बनाते हुए सरकार ने कोशिश की ताकि दलित समाज और भी सुरक्षित महसूस कर सके। सरकार ने संसद में 123वां संविधान संसोधन प्रस्तुत किया है जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक नए आयोग के गठन की बात कही गई है। इस आयोग के बनने के बाद पिछड़े वर्ग को और भी कई तरीके की सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

अन्य कदम

केंद्र सरकार ने दलित हितों के लिए लड़ने वाले महान नेता डॉ आंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच स्थानों को पंच तीर्थ कहकर संबोधित किया और उनके विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया। दिल्ली में आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जहां रिसर्च और अन्य अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉ आंबेडकर के दिल्ली स्थित अलीपुर वाले आवास को सौ करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है। लंदन में जहां डॉ आंबेडकर रहे थे उस घर को भी खरीदा गया है। भारत सरकार ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से सौ विद्यार्थियों को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के *लंदन स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स* की सैर कराई जाती है जिससे वे आंबेडकर के विचारों से और प्रेरणा पा सकें।

> **वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं और कई योजनाओं के पैसे सत्तर से अस्सी फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इस योजना के तहत 2014-15 और 2015-16 में 42 करोड़ रुपए इकतालीस हजार वरिष्ठ नागरिकों पर खर्च किए गए और 2017 में 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।**

महिलाओं के लिए

वैसे कुछ हद तक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे आई हैं और उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके लिए काम किया जाना बाकी है। पहले गांवों में रहने वाली, अनपढ़ महिला वह चाहे किसी भी समाज से आती हो किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाती थी। मोदी सरकार से पहले ऐसी महिलाओं के लिए कोई कारगर योजना शायद ही बनी हो। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों के लिए विभिन्न योजना शुरू की। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि स्कीम सफल रही है। इस स्कीम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस स्कीम के तहत दो साल के भीतर ही देश में लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए। जिसमें 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए।

गरीबी रेखा से नीचे रहनी वाली हर महिला के लिए मोदी सरकार ने उज्जवला योजना शुरू की जिसके तहत उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक चार करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। इस बजट में आठ करोड़ महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है।

दिव्यांग कल्याण

सरकार ने इन चार वर्षों में दलित, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के साथ-साथ ऐसे अन्य वर्गों को भी चिन्हित करने और उनके लिए कारगर योजना

बनाने का काम किया है जो विकास की दौड़ में विभिन्न कारणों से साथ नहीं आ सके। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री ने एक नए शब्द दिव्यांग कहकर संबोधित किया और उनके लिए बड़े-बड़े कैंप आयोजित किए गए और वहां उन्हें मुफ्त में कृत्रिम अंग, हियरिंग एड, ट्राइसाइकिल आदि दिए गए। जहां 1992 से 2012 के बीच ऐसे 100 कैंप आयोजित किए गए थे वहीं 2014 से 2016 के बीच ही 100 से ज्यादा कैंप आयोजित किए गए। जिन दो कैंपों में प्रधानमंत्री का खुद रहना हुआ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए और उनमें दस हजार से ज्यादा दिव्यांगों को मदद की गई।

सुगम्य भारत कार्यक्रम के तहत हर सरकारी इमारत को दिव्यांगों को सुगम्य बनाने के लिए उसमें रैंप और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉ आंबेडकर के संपूर्ण वाङमय का ब्रेल लिपि में अनुवाद किया गया है जो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं और कई योजनाओं के पैसे सत्तर से अस्सी फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इस योजना के तहत 2014-15 और 2015-16 में 42 करोड़ रुपए इकतालीस हजार वरिष्ठ नागरिकों पर खर्च किए गए और 2017 में 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों पर बनी राष्ट्रीय नीति को बदलती जनसंख्या के हिसाब से बदला गया है जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक-जरूरतों और बदलते सामाजिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष कई लोगों को *वयोश्री सम्मान* से सम्मानित किया जाता है। एक स्कीम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड से जुड़े हुए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी सहूलियतें मिलेंगी।

घूमंतू जातियां

घूमंतू जातियों की समस्याओं के निवारण के लिए उनके लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया था। नानाजी देशमुख के नाम से एक योजना शुरू की गई जिसके तहत घूमंतू जाति के युवाओं के लिए छात्रावास की योजना शुरू की गई।

> **गरीबी रेखा से नीचे रहनी वाली हर महिला के लिए मोदी सरकार ने उज्जवला योजना शुरू की जिसके तहत उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक चार करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंच चुका है। इस बजट में आठ करोड़ महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है।**

छात्रवृत्ति

प्रीमैट्रिक में पढ़ने वालों दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को कारगर तरीके से स्कॉलरशिप बांटी गई है। 2014-15 और 2015-16 में 49 लाख 24 हजार सात सौ दलित छात्रों को 1038.73 करोड़ रुपए और 2016-17 में रुपए 344.28 करोड़ करीब साढ़े 13 लाख से अधिक दलित छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में दिए गए। करीब पचास लाख ओबीसी छात्रों को 230 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 2014-15 और 2015-16 में दी गई। 2016-17 के दौरान 106 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप ओबीसी छात्रों को दी गई। इसी तरह मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को जो दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें सहयोग किया गया। उच्चशिक्षा प्राप्त कर रहे दलित समाज के 3476 छात्रों को 2014-15 और 2015-16 में करीब 50 करोड़ की धनराशि दी गई और 2016-17 में करीब 1310 छात्रों को 18.41 की राशि बांटी गई।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग - जिसमें अगड़ी जातियों के युवाओं के लिए भी पहली बार 2014-15 में पोस्ट-मैट्रिक लेवल पर डॉ आंबेडकर के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की गई। 2014-15 और 2015-16 में 50,000 विद्यार्थियों के लिए दस करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई और 2016-17 में भी करीब इतनी ही धनराशि बांटी गई। शोध कर रहे दलित समाज के करीब दो हजार विद्यार्थियों को 2016-17 में 196 करोड़ की राशि दी गई। ओबीसी समाज के छात्रों के लिए पहली बार नेशनल फैलोशिप की शुरुआत की गई है।

विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले दलित विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान बनाकर उन्हें आर्थिक मदद की गई। ऐसी ही योजना पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए भी पहली बार इस सरकार में बनाए गए हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की योजना को नए तरीके से बनाया गया जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। पिछड़े और दलित विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए दी जानी वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है।

वंचितों के लिए बुनियादी सुविधाएं

गरीब और वंचितों को स्वास्थ्य सुविधा आसानी से मुहैया कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री डॉ आंबेडकर के जन्मदिवस पर बीजापुर में पहले हेल्थ और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करके इस योजना की शुरुआत की। इस तरह के डेढ़ लाख सेंटर देश में बनाए जाएंगे। इस योजना के के तहत देश के दस करोड़ परिवारों यानी करीब पचास करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और उनका पांच लाख तक का बीमा भी किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार वंचित समाज की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित कर दवाइयां कम मूल्य पर बेच रही है। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की गई है और वंचितों के लिए मुफ्त डायलिसिस की विशेष योजना शुरू की गई है।

सामान्य रूप से मध्य और उच्च वर्ग के लोगों के यहां तो शौचालय होता है लेकिन समाज का वह वर्ग जो अपने लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता, वह अपने लिए शौचालय कैसे बनाएगा। सरकार अब तक छह करोड़ शौचालयों का निर्माण करवा चुकी है। इस वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालयों का और निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। सरकार ने तय किया है कि 2022 तक देश में हर गरीब का अपना घर हो, इसके लिए भी सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 51 लाख नए

मकान बनाए जाएंगे। गांवों में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने 14 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। बिजली की समस्या से निपटने के लिए *प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना* शुरू की गई है। इस योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।

जिले को केंद्र मानकर काम

हमने अबतक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था लेकिन केंद्र सरकार ने सशक्तीकरण के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी नई कोशिश के तहत जिले को भी एक केंद्र माना है। अगर जिला ही पिछड़ा होगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो वहां रहने वाला हर नागरिक दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के 115 जिलों को चुना गया है और उनके विकास की अलग से योजना तैयार की गई है। इन पिछड़े जिलों में अब नई सोच के साथ काम हो रहा है।

केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि समाज के सभी वर्गों और विशेषकर उन तबकों के लिए जो वंचित और हाशिए पर हैं ईज ऑफ डूइंग बजनेस की तरह ईज ऑफ लिविंग का वातावरण तैयार किया जाए। इसीलिए इस बार के बजट में कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य इस सरकार ने लिया है।

केंद्र सरकार समाज के सभी तबकों को एक स्तर पर लाकर एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक समरसता के सिद्धांत को आधार मानकर सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रावधान बनाकर वंचित, दलित, शोषित समाज को सशक्त बनाने का काम तो किया ही है साथ ही उनके लिए उद्यमिता का वातावरण बनाया है जहां वे खुद तो काम शुरू ही कर सकें साथ ही अपने समाज के दूसरे लोगों को भी काम पर लगा सकें। इसमें एक नया जोड़ते हुए सरकार ने वंचित समाज के लिए ईज ऑफ लिविंग का विचार भी दिया है जिसके तहत उनके लिए बुनियादी सुविधाएं फौरी तौर पर सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक एक नए भारत (न्यू इंडिया) बनाने का जो लक्ष्य लिया है उसे पूरा करने के लिए वह भरपूर प्रयास कर रही है। समाज को वो तबका जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से पीछे छूट गया है उनके सशक्तीकरण के लिए विशेष प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं। ❑

संदर्भ

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार http%//socialjustice.nic.in/ViewData/\mid¾76658

http%//socialjustice.nic.in/SSSU&English/e_book.pdf

https%//www.theweek.in/news/biz&tech/2018/03/10/modi&promise&to&uplift&sc&entrepreneurs& seems&a&distant& dream.html

https%//www.fairobserver.com/region/central_south_asia/ india&budget&socialism&narendra&modi&world&news&today &32090/

https%//naidunia.jagran.com/national&union&budget&2018&live&poor&will&get&these&benefits&in&budget&1536638

https%//www.hindustantimes.com/india&news/assured&market&makes&this&best&time&for&dalit&entrepreneurs&says&dicci&founder&milind&kamble/story&TzEpKkHAJW BX5hz8Yu7qwI.html

http%//indianexpress.com/article/cities/mumbai/dalit&tribal&youths&should&make&inroads &in&non&govt&sect ors&5137872/

अब उपलब्ध है ... हमारी पत्रिकाओं की ऑनलाइन सदस्यता
कुरुक्षेत्र
Kurukshetra
Agriculture & Allied Sectors
आजकल
बाल भारती
योजना
YOJANA
INDIA STRIDES
திட்டம்
লোঁग ऑन करें
http://publicationsdivision.nic.in/,
bharatkosh.gov.in के सहयोग से

LIVE / ONLINE
Classes also
available

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन

✦ **फाउंडेशन कोर्स 2019**

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI: 17 April | JAIPUR: 15 May

Starting soon at LUCKNOW

- प्रारंभिक परीक्षा के लिए
- मुख्य परीक्षा के लिए

✦ **इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक**

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
- MAINS 365 कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

✦ **PT 365** One Year Current Affairs for Prelims

English Medium | 21 Mar | हिन्दी माध्यम | 5 April

✦ **MAINS 365** English Medium | हिन्दी माध्यम

- One Year Current Affairs for Mains

/visionias.upsc /Vision_IAS /c/VisionIASdelhi

www.visionias.in

ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

PRELIMS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

MAINS
✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
✓ Philosophy ✓ Sociology
✓ Geography

PHILOSOPHY

by **Anoop Kumar Singh**

@ JAIPUR | PUNE

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

> Includes comprehensive and updated study material
> Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20
70+ Selections in Top 100 in CSE 2016

TINA DABI AIR-1
ANMOL SHER SINGH BEDI AIR-2
SAUMYA PANDEY AIR-4
ABHILASH MISHRA AIR-5

DELHI 8468022022 9650617807
JAIPUR 9001949244 9799974032
PUNE 8007500096 020-40040015
HYDERABAD 9000104133 9494374078

DELHI
- 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
- 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

YH-822/2018

Give the best ★ Take the best

निर्माण IAS

सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)

गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध

सा. अध्ययन

(फाउण्डेशन बैच-2019)

(निःशुल्क कार्यशाला के साथ)

17 MAY	21 JUNE
6:00 PM	9:00 AM

पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध (सम्पर्क सूत्रः 011-47058219)

DELHI (HEAD OFFICE)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797

ALLAHABAD	GWALIOR	JAIPUR
10/14, Elgin Road, Civil Line, Allahabad (U.P.):- 211001, Ph:- 09984474888	2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277	M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503

You can also visit our digital platform YouTube NIRMAN IAS APP

Website : www.nirmanias.com
E-mail : nirmanias07@gmail.com

YH-791/3/2017

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Also known as Chanakya Civil Services Academy

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,
4000+ selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

OUR RESULT IN CIVIL SERVICES EXAMINATION 2016
5 in top 10 | 40 in top 100 | Total selections 435

Under the direction of
Success Guru AK MISHRA

IAS 2019
Upgraded Foundation Course™
A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

BATCH DATES
10th May , 10th June, 10th July-2018

General Studies/ CSAT

OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE*
Geography | Sociology | Public Administration
History | Political Science | Psychology| Mathematics

*Optional subjects may vary from centre to centre

Salient Features
- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra, retired civil servants & personalty experts
- Intensive Classes with online support
- Regular test series
- Pattern proof teaching
- Separate Classes in Hindi & English Medium
- Experienced faculties
- Hostel assistance

To reserve your seat Call: 1800-274-5005(Toll Free)

CENTRAL DELHI (Rajendra Nagar Branch): Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445
NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 9811671844/ 45
HO/ SOUTH DELHI BRANCH: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Gate No. 1, Delhi-21, Ph: 9971989980/ 81

Our Branches
Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955
Faridabad: 8860403403 | Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 9204950999 | Srinagar: 9599224341

www.chanakyaiasacademy.com
Follow us on

चेतावनी
छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे ट्रेडमार्क/ट्रेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रोन्नत) के ट्रेडमार्क/ट्रेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान ट्रेडमार्क/ट्रेडनेम के तहत हो रही किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथा info@chanakyaacademygroup.com पर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

YH-823/2018

पुस्तक चर्चा

चंपारण में गांधी (तमिल)

சம்பாரணில் காந்தி

लेखक : डीजी तेंदुलकर

मूल्य: ₹ 160

यह किताब भारत में सत्याग्रह को लेकर महात्मा गांधी के प्रयोग को लेकर विस्तार से जानकारी देती है। इस किताब को 1917 की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है, जब बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को इकट्ठा किया। इन किसानों को अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और इसकी कीमत भी ब्रिटिश लोग ही तय करते थे। इस किताब में लेखक डीजी तेंदुलकर ने भारतीय सरजमीं पर सविनय अवज्ञा को लेकर महात्मा गांधी की लड़ाई के बारे में बयां किया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि किस तरह से इस आंदोलन ने किसानों की गरीबी के बारे में जागरूकता फैलाई। तेंदुलकर गांधी पर अपनी कृति 'महात्मा' की 8 वॉल्यूम की सीरीज के लिए जाने जाते हैं।

गांधी के साथ (तमिल)

लेखक: कानू और आभा गांधी

मूल्य: ₹ 90

गांधी के जीवन के कई पहलू हैं, जिसके बारे में आम तौर पर अलग-अलग किताबों में चर्चा नहीं हुई है। महात्मा गांधी के पड़पोते द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में बापू के जीवन के उन निजी मामलों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। इस किताब के तहत हिंदी में मूल रूप से प्रकाशित किताब 'बापू के साथ' का तमिल में अनुवाद किया गया है।

காந்தியுடன் நாங்கள்

महात्मा गांधी और एक दुनिया (तमिल)

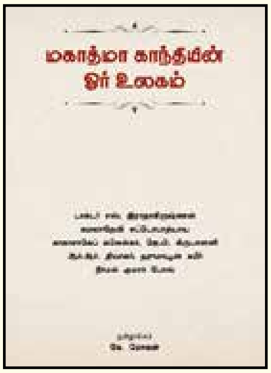

மகாத்மா காந்தியின் ஓர் உலகம்

मूल्य: ₹ 80

यह किताब दर्शन और जीवन के तौर-तरीकों को लेकर महात्मा गांधी के सार्वभौमिक रवैये पर अहम शख्सियतों की तरफ से व्यक्त किए गए विचारों का संग्रह है। वे इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि गांधी जी हमेशा विश्व समुदाय की अवधारणा को राष्ट्रवाद से श्रेष्ठ मानते थे। इसकी झलक पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह और अहिंसा में मिलती है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है और यह पूरी दुनिया पर लागू होता है। यह किताब गांधी जी के जीवन को लेकर दार्शनिक रुख के बारे में साफ तौर पर बताती है, जो महज एक समुदाय के बजाय पूरी मानवता की बेहतरी के सिद्धांत पर आधारित है। ❑

हमारी पुस्तकें खरीदने के लिए http://publicationsdivision.nic.in पर लॉग ऑन करें।

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453, ई-मेल: pdjucir@gmail.com

अब उपलब्ध

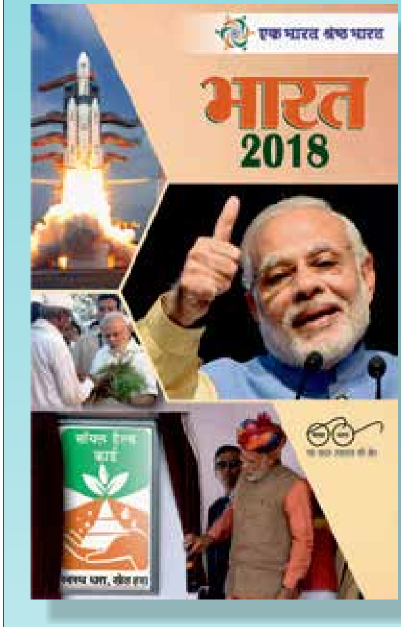
एक भारत श्रेष्ठ भारत
भारत
2018

भारत 2018

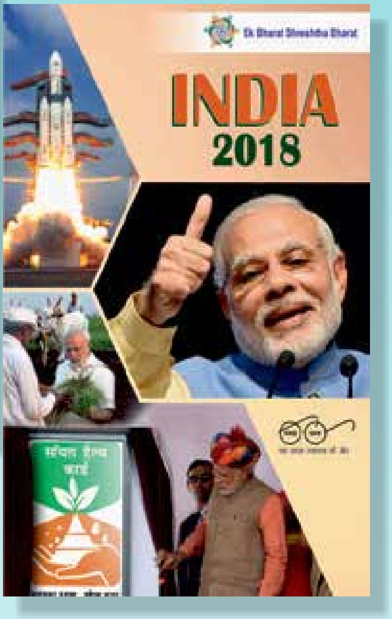
Ek Bharat Shreshtha Bharat
INDIA
2018

भारत सरकार की नीतियों,
कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
जानकारियों से परिपूर्ण पुस्तक

amazon.in और play.google.com पर
'ई बुक' के रूप में भी उपलब्ध

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें – www.bharatkosh.gov.in
या www.publicationsdivision.nic.in
अथवा संपर्क करें –
फोन – 011 24367453, 24367260, 24365609

प्रकाशन विभाग की अत्याधुनिक पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन में पधारें

@ DPD_India

www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2018-20
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2018-20 at RMS, Delhi
29 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित • 2-3 मई, 2018 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2018-20
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

संशोधित
एवं परिवर्द्धित
संस्करण 2018

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री. विभिन्न विश्वविद्यालयों के **भारतीय अर्थव्यवस्था** के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.

संघीय बजट : 2018-19 **आर्थिक समीक्षा : 2017-18**

प्रतियोगिता दर्पण
सामान्य अध्ययन
भारतीय अर्थव्यवस्था
संघीय बजट 2018-19
आर्थिक समीक्षा 2017-18

Code No.
791
₹ 270/-

PRATIYOGITA DARPAN
Extra Issue
OPTIONAL SUBJECT
Indian Economy
UNION BUDGET : 2018-19
ECONOMIC SURVEY : 2017-18

Code No.
790
₹ 280/-

टॉपर्स की राय में...

- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांकों का उपयोग किया.
  —अनमोल शेर सिंह बेदी
  सिविल सेवा परीक्षा, 2016 में द्वितीय स्थान
- .....विज्ञान, इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों पर प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक के द्वारा निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की विशेष सहायता की जा रही है.
  —श्वेता चौहान
  सिविल सेवा परीक्षा, 2016 में 8वाँ स्थान
- .....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांकों का उपयोग किया, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर.
  —अनुज मलिक
  सिविल सेवा परीक्षा, 2016 में 16वाँ स्थान
- .....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांकों से काफी मदद मिली, विषयवस्तु को गइराई से समझने में उपयोगी रहे और इनसे नोट्स बनाए. अर्थव्यवस्था और इतिहास वाले अतिरिक्तांक विशेष रूप से काम आए.
  —गौरव कुमार
  सिविल सेवा परीक्षा, 2016 (हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान)
- .....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक अच्छा है.
  —गंगा सिंह
  सिविल सेवा परीक्षा, 2016 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान
- ....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक विद्यार्थियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था जैसे कठिन विषय को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
  —मंगलेश दुबे
  उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2015 में द्वितीय स्थान

मुख्य आकर्षण

• भारतीय अर्थव्यवस्था—प्रमुख विशेषताएं
• राष्ट्रीय आय : 2017-18 • जनांकिकीय परिदृश्य एवं जनगणना 2011
• कृषि, उद्योग, बैंकिंग एवं अधोरचना सम्बन्धी नवीन तथ्य
• विदेशी व्यापार : 2017-18 • नई विदेश व्यापार नीति : 2015-20/2017-18
• भारत पर विदेशी ऋण : 2017 • वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू
• मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018 • प्रमुख रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
• केन्द्र सरकार की नवीन योजनाएं • नीतिगत पहलें
• नीति आयोग का त्रिवर्षीय एक्शन एजेण्डा • प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
• वैश्विक परिदृश्य में भारत, 2017/18 • आर्थिक शब्दावली
• नवीनतम आर्थिक तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, **आगरा-282 002** फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• **E-mail : care@pdgroup.in** • **Website : www.pdgroup.in**
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-811/1/2018

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक